Professional Accounting Ethics: A Visual Reporting of Public Perception

Balkishan Vaishnav

Assistant Professors, Department of Accountancy & Management, S.D.S.Badamia (P.G) College of Professional Studies, Varkana, Pali (Raj.)

Dr. Kamlesh Pritwani

Professor, Department of Accountancy Govind Singh Gujar Govt. (P.G) College, Nasirabad ,Ajmer (Raj.)

Abstract

1) Purpose

This Research paper examines various aspects on professional accounting ethics in respect of public perception.

2) Summary

Accounting ethics is basically a field or approach of applied ethics and is the base of business ethics and part of human ethics and professional ethics. Due to the diverse range of accounting services and scandals attention has been drawn to ethical accounting standards. These collapse and accounting standards have damaged the concerned company and organization goodwill. Therefore government and various related organization have developed regulations for improved ethics for the well being of concerned parties or stakeholder. In other words for the well being of the society.

There is no existence of any work without Ethics. Ethics words is a big word, in which includes all the things related to discipline directly and indirectly. The objects of this research paper are disclosure of general Professional Accounting Ethics. To support a better understanding of this phenomenon, the objective of this study is to identify and analyze whether the accounting profession is negatively stereotyped by public perception according to ethics. Based on an adapted photo-survey, with 1,034 randomly selected respondents, and tests of differences between means, the central hypothesis of this study was rejected: it is not possible to state that accounting professionals are negatively stereotyped for professional ethics. Also, there were no significant differences basedon gender, academic background or education levels of the respondents, but on the other hand is possible to confirm a positive perception based on confidence interval analysis. Implications for practice and recommendations for future studies are both presented in the last section.

Key-words: Professional ethics; Accounting; Stereotypes; Public perception, alternative career, business environment s.

INTRODUCTION

The decline in the past two decades in both the number and quality of students choosing accounting programs has been a worldwide source of concern to scholars and practitioners. According to Albrecht and Sack (2000), that decline is a consequence of several factors, such as changes in business environment, decrease in salary levels and development of alternative careers perceived as more attractive to students and lack of information and/or misunderstanding related to accounting career. According to those authors, accounting education is still too tied to knowledge memorization and mastering of content in detriment to development of students' skills and attitudes as forms of enriching their lives and making them successful. has been damaged in the recent past by the widely publicized accounting frauds, scandals and failures involving accounting firms and accountants. Accounting ethics is primarily a field of applied ethics and is part of business ethics and human ethics, the study of moral values and judgments as they apply to accountancy. It is an example of professional ethics. Accounting introduced by Luca Pacioli, and later expanded by government groups, professional organizations, and independent companies. Ethics are taught in accounting courses at higher education institutions as well as by companies training accountants and auditors.

Due to the diverse range of accounting services and recent corporate collapses, attention has been drawn to ethical standards accepted within the accounting profession. These collapses have resulted in a widespread disregard for the reputation of the accounting profession. To combat the criticism and prevent fraudulent accounting, various accounting organizations and governments have developed regulations and remedies for improved ethics among the accounting profession. Importance of ethics

The nature of the work carried out by accountants and auditors requires a high level of ethics. Shareholders, potential shareholders, and other users of the financial statements rely heavily on the yearly financial statements of a company as they can use this information to make an informed decision about investment.[4] They rely on the opinion of the accountants who prepared the statements, as well as the auditors that verified it, to present a true and fair view of the company.[5] Knowledge of ethics can help accountants and auditors to overcome ethical dilemmas, allowing for the right choice that, although it may not benefit the company, will benefit the public who relies on the accountant/auditor'sreporting.

Research goal and problem

Scientific research begins with the choice of an issue-topic-problem, and must concomitantly comply with the principles of importance, originality and feasibility. In

this sense, Castro (1978) stresses that research is truly scientific when: (a) it is connected to an issue that substantively affects a segment of society or is linked to a theoretical issue deserving attention (importance); (b) when it has the capacity to surprise, bringing out new elements and enabling new understandings related to phenomena (originality); and (c) it is liable to observation in relation to theoretical and technical aspects, time conditions, cost and researchers' competences (feasibility). In view of the limitation of previous studies on perceptions and stereotypes related to the accounting profession, restricted to identification and analysis of the views of specific groups, such as students, professors and other accounting practitioners, this study stands out by posing a broader research question, namely: "Are accounting practioners stereotyped negatively by public perception in relation to ethics?

Justification and contributions It has been known for decades that students consider stereotypes about different careers when deciding on their academic training (Decoster, 1971). According to Carnegie and Napier (2010), an understanding of accounting and practioners' external image is important for appreciating their roles in a broader social context. The accounting profession fails to project trust and respectability and to offer challenges, rewards, and perspectives sufficient to attract and retain more talented, ethical, and competent students and professionals. While stereotypes can be useful by allowing people to simplify and understand large amounts of social information and thus make inferences on others going beyond the available information (Ensari and Miller, 2002; Robbins, 2005), incorrect or inadequate stereotypes and perceptions can result in erroneous and inconsistent evaluations and expectations (Robbins, 2005; Schlee et al., 2007). If people perceive accounting as an area that is linked with ethically doubtful practices or still unconnected to social commitment, students and professionals that value ethics and social responsibility will not pursue accounting careers.

CONCLUSION

Based on the analysis of the confidence intervals (assuming 95%) and of the t-tests, the hypothesis that the public perceives accountants negatively concerning professional ethics was rejected. For this hypothesis, we also tested the possible existence of difference in terms of gender, professional training and level of schooling. In all cases, the statistical tests did not indicate significant differences in the findings based on these aspects. Thus, these results confer greater consistency to reject that accounting professionals are perceived negatively by the public, in the Brazilian case, related to professional ethics. More surprisingly, in opposition to what the literature review and cultural characteristic attributed to Brazil indicate regarding the low level of legal enforcement, high level of frauds and slow justice system, accounting

professionals are perceived positively by the public regarding professional ethics according to the evidence gathered and the analysis of the confidence interval outcomes. The first implication to the academia is of a methodological nature, where the employment of the photo questionnaire method, the adoption of an enlarged sample of respondents in the field survey and the scale including a neutral response option confer other variants that are not only textual and limited to the university environment. Even though there are perhaps social differences in these professions' reputation and characteristics, such studies have disregarded possible professional rivalry in the majority of these compared areas, which compete for the same labor market with accounting professionals. By enlarging the analysis of perceptions to the general public, we noted that the negative perception concerning accounts' professional ethics is not significant, unlike found in the literature. However, even though it was not possible to state the presence of negative stereotypes for characteristics studied, we believe it is still necessary to promote this area to the population. As example, throughout the entire process of interviews in the Field, we note that the majority of people classified accounting as an exact science rather than having features of applied social science, with consequent social implications for the profession.

REFERENCES

1. ALBRECHT, W. S.; SACK, R. J. Accounting education: charting the course through a perilous future. American Accounting Association, Sarasota. Retrieved from http://en Wikipedia.org.on15Feb.2018
2. Vaishnav B.K, the general guide to Indian Accounting Standards, ramesh book depot,jaipurpg58-65on12feb,2018
3. Jui Len & wong Jessie roles and importance of professional Accountants in business, Retrieved from www.ifac.org.on25jan.2018.
4. BAR-ILAN, A. An empirical examination of the stereotype accountant based on Holland's theory. Journal of Occupational Psychology, v. 51, n. 2, p. 139–145, on 22 jan.2018.
5. ARONSON, E.; WILSON, T. D.; AKERT, A. M. Social psychology. 5th. ed. New Jersey: Prentice Hall, on 22 jan.2018.
6. ATKINSON, R. C.; ATKINSON, R. L.; HILGRARD, E. Introduction to Psychology. 8. ed. New York: Hancourt Brace Jovanovich Inc, on 02 jan.2018.

7. FELTON, S.; DIMNIK, T.; BAY, D. Perceptions of accountants' ethics: evidence from their portrayal in cinema. Journal of Business Ethics, v. 83, n. 2, p. 217-232 on 02 jan.2018.

8. FELTON, S.; DIMNIK, T.; NORTHEY, M. A Theory of Reasoned Action Model of the Chartered Accountant Career Choice. Journal of Accounting Education, v. 13, n. 1, p. 1-19, Dec.2017.

Solid and Liquid Waste Management in Rural Areas

Dr. Rashmi

Ph.D. (Sociology), P.G. Department of Sociology, Ranchi University, Ranchi

"We need a new system of values, a system of the organic unity between human kind and nature and the ethic of global responsibility."

INTRODUCTION

Water, sanitation and hygiene, (WASH) directly impact human health and have for reaching consequences when ignored. India is one of the fastest de4veloping economics, but when it comes to wash indicators, it continues to lag behind with a population of over 1.2 billion, there is a mounting and urgent need to address sanitation.

Objective of Waste Management in Rural Areas :

- To protech human health and improve quality of life among people living in rural areas.
- To reduce environment pollution and make rural areas clean.
- To promote recycling and reuse of solid waste.
- To convert bio waste into organic manure which is nutrient source of agricultural and horticultural crop.
- To generate employment for rural poor by offering new opportu-nities in waste management by adopting cost effective and environmentally sound solid waste treatment technologies.

Waste :

Waste is an any item beyond use in its current form and discarded as unwanted. It can be solid or liquid with respective Management Method.

I. Solid Waste :

In rural areas, examples of solid waste include wastes from Kitchens, gardens, cattle sheds, agriculture and materials such as metal, paper, plastic, cloth and so on. They are organic and inorganic materials with no remaining economic value to the owner produced by homes, commercial and industrial establishment. Most houses hold

waste in rural areas is organic with little inorganic material, and is non-toxic. Because of its environment friendilness, compositing is a highly suitable method of waste Management in rural areas.

As per biodegradiability, solid waste can be classified as :-

Biodegradable - Waste that are completely decomposed by biological process either in presence or in absence of air are called biodegradable eg : Kitchen waste, animal dung agriculture waste etc.

Non Biodegradable - Waste which cannot be be decomposed by biological processes as two types - (a) Recylable - Wastes having economic values but destined for disposal can be recovered and reused along with their energy value eg. plastic, paper, old cloth etc. (b) Non-recyclable - waste which do not have economic value of recovery eg - tetra packs, carbon paper, thermo coal etc.

I. The entire Methodology of solid Waste Management is based on :-

(a) Collection of Waste

(b) Disposal

(c) Resource recovery

Collection of Waste :-

The solid waste are usually collected by a covered truck.

Disposal of Waste :-

After the collection of Waste, the Wastes are disposed of by anyone of the mehods described below.

(i) Dumping :

It is a process of controlled and final disposal of waste at land fill steer which must be done usig state of the art Methods (base sealing tretmant of Percolated water, landfill gas disposal / utilisation etc.).

(ii) Sanitary land fill :

It is a method of disposing of the waste without creating nuisances or hazards to to public health by using the principals of engineering. In the process, the waste is cofined to smallest practical volume by covering it with a layer of earth, at the conclusion of each day's operation.

(iii) Liceneration :

It is a method of converting the volume of waste to arhes by burning. This method is adopted when the cost of land filling is very high.

(iv) Pyrolysis :

It is a method of burning waste in absence of oxygen or air. The process reduces volume of the waste and produces stable end products.

(v) Composting :

This process envolves preparation of refuse and degrading the organic matter on waste in to bio-fertiliser by aerobic micro-organism. After about 3 to 4 weeks of the operation, the compositing product becomes ready for curing blending with additives, bagging and marketing.

(vi) Biogas technology :

The organic matter present in solid waste is decomposed by pretrefactivs bacteria in absence of air (anaerobic condition) to biograss in a biogas degestor. The approximate composition of biogas is 60% methane (CH_4) and 40% CO_2 for better yield of biogas, the organic solid waste may be mixed with poultry waste, grass leaves, straw, Kitchen waste etc.

(c) Resource recovery (Recyling)

By the process of reccycling a number of useful products can be obtained from the solid wastes.

Some important products obtainable from solid wastes are descrebed below :

- Electricity can be generated from encinearted plastics.
- Sythetic oil can be produced from plastic wastes.
- Waste papers and cardboards from sugar cane. bagass can be used from the preparation of unbreakable dolls, packing cardboards etc.
- Metals can be recycled from the industrial scrap.
- Ethyl alcohol can be produced from from agricultural wastes.
- Heavy metals can be extracted by bioleaching technology.
- Waste glasses can be used for the preparation of new glass bottle.
- Bricks and concretes can be prepared by using ash generated by power plants, slit from water works and red mud from aluminium industry.

II. Liquid waste :

When water is used once and is no longer fit for human consumption or any other use, it is considered to be liquid waste. Waste water can be subcategorised as industrial and domestic.

- Industrial waste water is generated by Manufacturing process and is difficult to treat.
- Domestic Waste Water includes water discharged from homes, commercial complex, hotels, and educatiional institutions.

Some important liquid Waste Management Method are described below:-

(a) The process of sewage is subjected to perfect dilution is that the dissolved oxygen in natural water decomposes the organic wastes completely, thereby reducing the turbidity. The reduction of turbidity favours career penetration of sunlight and natural ecosystem is restored.

(b) Mechanical Treatments :

The sewage is allowed to pass through different screens. Filters, grit chambers, sedimentation basins etc. At first they sewage is filtered to remove suspended particles. Thus the sewage is subjected to griuding following by some chemical treatment.

By this operation the minute solid particles present within the sewage get coagulated and settle at the bottom. The preceipitates are separated either by filteration or by gravity setting. The sediments obtained above are then pest in sludge digester where it is difested in absence of air to release biogas.

(c) Biological treatments :

In this method the sewage is panel through trickling filters where aerobic bacteria degradle the sewages as it seeps through large vat beds filled with crossed stoms covered with bacterial growth. Alternationly, the sewage is pumped into of large tank, mixed with bacteria rich sludge and agetated hearrly in presence of sufficient amount of oxygen for seeral hours which causes bacterial degradation of organic waste.

The waste is then pumped into sedimentation tank where the suspended solids settle as sludge. The entire solution is filtered to sepeare sludge and deffecient. The sludge is taken in an anaerobic digester and broken down. After suitable treatment, the sludgs can be used as fertiliser. The effluent may be chlorinated to kill the pathogens microbes and discharged into water bodies.

(d) Chemical Treatments :

The sewage obtained after mechanical or biological treatments is subjected to specific chemical treatment followed some physical operations :

(i) Precipation :

The sewage may be treated with calcium oxide to precipitate upto 90% of phosphates and suspended particles. The precipitate seperates and settles at the botton.

(ii) Adroaption :

The effluent is treated with activated charcol which adsorbs colour, odour and dissolved organic compounds.

(iii) Osmosis :

The dissolved organic and organic substances can also be seperated by the process of osmosis.

(iv) Chemical oxidation :

The effluent may be subjected to oxidation in presence of ozone or hydrogen peroxide to remove dissolved organic compounds.

II. Removal of ammonia :

The treatment of industrial effluents in `Effluent treatment einvolves chemical or primary treatment followed by biological or secondary treatment and testiary treatment.

III. Effluent water can be used to grow algae and aquatic plants to produce biomass for biogas plants.

IV. The effluents containing heavy metals like cadmium, mercury, lead etc. can be purified by growing water hyacinth plants.

V. The sewage with organic nutrients is stored in specially constructed shallow ponds called as oxidixing or stabilizing pond. In the pond green algae and bacteria grow in prosence of sunlight, consuming organic nutrients. This water contains enough nitrogen, phosphorous and potassium and is highly helpful for the growth of plants.

Approaches for Solid and Liquid Waste Management :

The solid waste management is the collection, transport, processing, recycling or disposal of waste materials, usually ones produced by human activity in an effort to

reduce their effect on human health or local aesthetics or amenity. For effective management of solid waste in rural areas, focus should be on management at household level. That which cannot be managed at household level should be managed at the community level. In general, the following approach should be followed :

- Segregation of solid waste at the household level (Biodegradable and non biodegradable).
- Reuse of non biodegradable waste at the household level to the extent possible.
- Household level treatment of bio degradable waste.
- Collection and transportation of segregated waste at the household level to a place identified at the community level (in cases where household level treatment is not possible).
- Community level treatment or recycling/reuse of waste.
- All the biodegradable waste should be composted at the community level.
- Non biodegradable waste may be further segregated and sold or recycled.
- Waste which cannot be composted, reused or recycled may be disposed at the landfill sites following appropriate procedure, (such waste may usually be construction waste, debris etc.)

Conclusion

The rural India as tremendous wealth in terms of underutilized crop residues, animal excretion and domestic refuge normally known as waste. A systematic management and utilization approach applying the recent innovations will only help in maintaining rural areas clean but will also provide sufficient energy, manure and raw material for many industries. The sustainable waste management technologies have brought about a positive change in the sanitation and hygiene behavioural changes in the rural people. But, we have long way to go before we can attain a level of maturity in the areas of waste management in the rural area.

REFERENCES :

1. Technological options for solid and liquid waste management in Rural Areas, Ministry of drinking water and sanitation SBM(G), Gol. New Delhi, April 2015.
2. Solid and Liquid Waste Management in Rural Areas - A : Technical, Note, UNICEF and Gol. Ministry of Rural Development, Department of Drinking Water Supply, 2007.

3. Abduli, M.A. and Narrabadi, T. (2007), Municipal solid waste Management in Kurdistah Province J. Envison. Health.

4. Agrawal, S.K. (1996). Industrial . Environment Assessment and strategy (Ed) APH Publishing Corporation, New Delhi.

5. Syed, A.A. (2001), Ananlytical Techniques in Monitoring the Environment, S.O. Printer.

6. Lency, L.E. (1971). Plating operations in Industrial Control Handbook. McGraw Hill Inc, N.Y.

7. Kumar, (1986) Pollution Control Handbook, Utility Publication, Secunderabad.

The Heart of the Country: A Protestant Confessional Text

Dr. Jamashed Ansari

Guest Assistant Professor, Department of English, Govt. Degree College Rudraprayag (UK)

Abstract:

The confessional text, as we have already learned, is always told for a specific purpose or set of purposes, despite the fact that these purposes may be unknown to all persons involved. Coetzee's critical thinking on confession in fact has led him to believe that "self-deception and confession go hand in hand" (Doubling the Point 252). Although the confessant has an underlying reason to speak out, that is, an ethical purpose so to speak, this reason cannot be fully known by the confessant; indeed, what is more often the case, is that the obligation to confess is completely hidden from the confessant and the confessor. Moreover, because self-deception is so adamant in this mode of communication, the confessant is doubly obliged to conceal from himself or herself the very impetus that has driven him or her to cry out in the first place; that is, the desire for human companionship. Cutting to the heart of the matter, Peter Brooks (who has written widely on confessional discourse) succinctly articulates his conclusions on this matter: "Stories are told for purposes, to establish a claim on the listener's attention, an appeal to hearing, which is also an appeal to complicity, perhaps to judgment, and inevitably to interpretation and construction" (Psychoanalysis 61). This examination will take his idea as a theoretical credo. Why is Magda composing her diary-like entries? What is her purpose in composing a confessional text? Magda attempts to expose her unique alterity by way of her confession, despite her ignorance of doing so. She confesses her story, an offering o f self, because the ethical obligation that draws humans together speaks through her. In this way, the concept o f Saying (that underlies all human speech) creeps up to rear its head in the "intelligibility" o f the Said. The "ethical" is thus revealed, a reckoning of pure silence that attempts to place Magda in proximity with the other, the only "other" that has ever witnessed her human speech— herself. She becomes curiously interested in the language that mediates her stories because she comes to believe that her words can create an external presence for her inner self, a self that if represented in the external world, becoming other in that process, may promise her entrance into human ethics.

Keywords: Confessional Text, Protestant Confession, Ethical Exchange, Victimization

In the final section of her narrative, Magda addresses the three most fundamental aspects o f her approach to confessional narrative. She questions the motives of her self-exploration:

> Will I find the courage to die a crazy old queen in the middle of nowhere, unexplained by and inexplicable to the archaeologists, her tomb full of *naif* whitewash paintings o f sky-gods; or am I going to yield to the spectre of reason and explain myself to myself in the only kind of confession we protestants know? To die an enigma with a full soul or to die emptied of my secrets that is how I picturesquely put the question to myself. For instance: Have I ever fully explained to myself why I do not run away from the farm and die in civilization in one of the asylums I am sure must abound there, with picture-books at my bedside and a stack o f empty coffins in the basement and a trained nurse to put the obol on my tongue (138)?

The first and most apparent point about confession Magda demonstrates above is her awareness o f confessional discourse as a distinct form o f storytelling—she knows of the confession, and she seems to know it very well. Moreover, this element of her question relates back to the Magistrate's knowledge of the confession; both he and Magda are aware of the confessional genre. If we were to revisit the M agistrate's story, for instance, then we will recognize that he never refers to the text we find in *Barbarians* as his confession; more properly, I have approached the first-person narrative we encounter in *Barbarians* as if it is in fact a confession.

Writing in a similar vein as Magda, the Magistrate suggests that sometime in the future—but not necessarily by writing the text in front of him—he may write an autobiographical account o f some sort. He poses the question: ''What the second document is to be I do not yet know. A testament? A memoir? A confession? A history of thirty years on the frontier?" (56-57). Similarly, Magda never admits that the text we read in *the Heart o f the Country* is a confession; rather, like the Magistrate, she questions whether or not she will eventually write something in that mode. She poses the question: "*Am I going to yield to the spectre of reason and explain myself to m yself in the only kind of confession we protestants know?"*" (138; emphasis added). My immediate answer is *yes,* Magda, *yes,* you are going to set out to write a confession; and not only are you going to set out to do so, you are also going to do so in the very text in which you devised such a plan. Like the Magistrate who believes he has not yet composed a confession, when in reality he composed one in the text he just inked, Magda too is unaware (for discemable reasons, which include her own selfdeception)

that she is composing a confession in the very text where she questions herself on the matter.

The second aspect of confession introduced in the excerpt quoted above touches upon the classification of a specific type of narrative— that of the Protestant confession, which in Magda's viewpoint is seemingly distinct from another type o f confession (most likely the Catholic tradition). The classification of confession with the word "Protestant,'' although the exact meaning behind this word remains unknown, suggests that something Protestant, that is, something protesting the Catholic notion of confession is present within Magda's approach to the tradition. She mentions such a confession in these terms: *the only kind of confession we protestants lenow*, a phrase which at this point does not communicate anything clear to the reader, but one that nonetheless asserts a belief that this type of confession—whatever it may be—is the only means available for her to engage in a process of self-exploration. In order to more fully address Magda's belief that her confession represents a Protestant confession, I will turn to Susan VanZanten Gallagher's introductory outline of confession in her book *Truth and Reconciliation.* In this excellent commentary, Gallagher emphasizes the communal nature o f confession, "particularly as it was developed and practiced following the Protestant Revolution" (25). Following Gallagher's lead, we can assume that Magda's conception o f the Protestant confession, an alternative to the Catholic conception, is related to the refashioning of the auricular confession in sixteenth- and seventeenth-century Europe. Although there has not been one uniform set of principles applied to each Protestant group's treatment of the confession, there have been several noticeable changes present in all the varying traditions of Protestantism—except for those groups that removed confession altogether, of course, which only amount to a small number. In the wake o f the Revolution, many religious groups chose not to recognize auricular confession as a religious sacrament— a designation established at the Fourth Lateran Council in 1215. This altercation emphasized the testimonial aspect of confession, a change which urged a religious follower to verbalize God's greatness, and to further provide an acknowledgement of debt to one's creator. Not surprisingly, given that it altered a Christian's approach to everyday life, the emphasis on testimony led to at least two more significant changes in the newly established Protestant tradition. First, the role of the religious officiator was altered from one who redeemed in the name o f the Lord to one who became more concerned with the matters of his congregation. Because a follower gave testimony in his or her voice and was, more importantly, heard by the Lord above in doing so, the religious officiator was no longer needed in the verbal transaction between mortal and immortal; in the wake of Protestantism, then, the confessional booth expired. The second change, which was perhaps the more significant of the two, was not so much a change as it was a return to

an earlier tradition that emphasized the communal aspect of confession. Before the Lateran Council in 1215 established the confessional booth and emphasized the authority o f the religious officiator, confessions were what Gallagher described as "oral, public, and voluntary" *(Truth* 4). To illustrate the Protestant return to these ideals, Gallagher provides two examples that explicitly outline how the Protestant confession relates to and fosters community. For one, Gallagher points out that the Calvinist tradition, which was a leading church in the Protestant movement, ''emphasized confession's communal aspect by casting the recitation into the first-person plural'' (5).

> The second example addresses the contemporary state of Protestantism: "Today, Reformed liturgies include a public confession of sins" (5). According to this tradition, the confession o f sins are witnessed by the entire congregation; and the burden of an individual believer's sins are carried by all. Taking the historical context into consideration, then, Magda's classification o f her text as a "Protestant" confession emphasizes the communal aspect of confession, a tradition which emphasizes the importance of others in an individual's life. Moreover, Magda's confession, written in a tradition o f *protest*, has undermined the hierarchy of the father—not that o f the Holy Father, but rather, more intimately, her family's patriarchal order. However, despite the negativity attached to the concept o f protest, Magda does not attempt to subvert patriarchy in order to sever all ties with the other. Magda challenges her father's rule in order to overthrow a patriarchal system that has fostered the unethical treatment o f others. What has Magda taught us by classifying her narrative as *the only kind of confession we Protestants know*? Undoubtedly, she has taught us that confession, religious or otherwise, is the absolute epitome of human ethics; it cannot exist without either the proximity o f the other or the care offered by the self.

The third aspect o f confession introduced in the final section o f the novel deals with Magda's intrigue in her ability to communicate with herself through the gift of language. She explicitly, and in two separate sentences, refers to herself as other; rather directly, she says she wants to *"explain myself to myself"* (138; emphasis added). Because she believes she can explain her own life story to herself, a process that would undoubtedly yield self-knowledge, Magda comes to realize that she can rely on herself— and not necessarily another human being—to engage in an ethical exchange. Earlier in the novel, she comments on her need for another person: "For the day will

come when one must have another human being, must hear another voice . . . This monologue of the self is a maze o f words out o f which I shall not find a way until someone else gives me a lead' (16). Magda needs someone: at this point, however, she is well on her way to learning that the "someone" she needs resides within herself. Through the wonder of language, and particularly autobiographical discourse, a genre which brings distinct awareness o f one's alterity to oneself, Magda can meet and greet 'the other, the reader in the process o f meeting and greeting herself in the realm o f text. A written confession promises Magda the chance to come face to face with the other; and this "other," of course, is no one other than herself. By fashioning a version o f herself through words, she can touch and be touched, speak and be spoken to; she gains the ability to feel the primordial— the unspeakable—presence o f the other, a phenomenon which is fully ethical and thus fully human. Or is it?

Despite the communal aspect o f confession, the "ethical" dimension of otherness to which Magda adheres is uncertain to say the least. By writing a confession for 'the other, the reader' (but still one that resists the living other), Magda places herself in a precarious situation that is neither discemibly ethical nor unethical. This situation is particularly problematic for the terms of the present examination. Does Magda's narrative represent what I am calling an ethical confession or does it represent what Gallagher calls a "Pseudo-confession— either that performed under coercion or that which is selfcentered" *(Truth* xxi)? I cannot provide a definitive answer. Nonetheless, as this paper comes to a close, I must at least address the complexities o f this question. Magda's reliance on herself as other, what amounts to a "self-centered" act, is a reaction against the "ethical" dimension that underlies her desire to be in proximity with the other.

Although she longs to hear the speech and feel the touch o f others, the result of Magda's confession—placing her in a state of unnatural solitude— seemingly places her outside ethical proximity. And so, in a strictly Levinasian sense, Magda's confession is certainly unethical. She remains alone at the end o f her confession despite her "protestant" efforts to speak to the other; the only company she keeps is a confessed version o f herself. Still, on yet another level, and perhaps Coetzee is trying to expand the parameters of Levinas's ethical thought, Magda's level of solitude has promised her the touch and speech of another person (albeit herself) who will regard her in what could be considered an "ethical" manner. The possibility o f an ethics for the other that manifests in a self-self relationship relates to Magda's compromised history with the living other. Because Magda's severe victimization has consistently placed her on the fringes o f humanity, a position that shows her an unethical infinity (so to speak), she may be granted the profound ability (as victim) to enter into an

ethical relationship with herself as other. In her petrified garden, a space carved out by herself for herself, Magda may be lonely and mad; but it is a loneliness and a madness that is all her own. For once in her life, Magda lives according to her own rules and not by the law(s) of the father. At the end o f her story, in fact, Magda hypothesizes that her confession may recreate her as "a crazy old queen in the middle of nowhere" (138). By confessing herself into a book, Magda places herself in a stone garden, and counts herself the queen o f infinite space. However, Coetzee leaves the debate open as to whether or not this infinite space accords to a different set o f ethical parameters than the "infinite" ones involved in Levinas's thinking. Magda's birthright has been an unusually cruel process o f victimization, a progression from bad to worse that could only be undone if she herself found a means to start that very process of undoing. And so it is that she turns to autobiography, the most easily accessible *means* of self-exploration. More particularly, she comes to rely on the confession (the narrative offering of one's self to the other) as a means of coming face to face with herself, an unprecedented phenomenon, but one that still follows the lines of the authentic face-to-face encounter. Magda wants to appeal to 'the other, the reader' on a visceral and human level. Indeed, she intends to find ethical communion—human friendship— in the other, that is, in the position of the reader. Because Magda's relationship to the flesh and blood other has been troublesome— in a word, unethical— throughout her lifetime, she sets out to tell a story about herself to herself, thus recasting herself not only as the author of her confession but also its potential reader. In this sense, then, in response to the utter lack o f ethical communion she has experienced in the past, Magda sets the stage for human ethics, a stage that allows her to be held in ethical regard by a ''re-representation of herself in text. As Susan VanZanten Gallagher posits, and all of the characters under examination in this thesis sponsor, "The confessional mode is performed voluntarily rather than being coerced, as the self that had been denied speech reconstitutes itself through speech, as the language of agency performs constructively rather than destructively" (*Truth* 17). Arguably, and by now we should understand the parameters of just such an argument, Magda reconstitutes herself through an ethical speech that she has been denied over the course of her life.

In the Heart o f the Country suggests that confessional discourse allows victims to rewrite the process of their victimization, an essential act o f selfhood that permits those who have been harmed to take back the autobiographical content o f their own lives. In light of this idea, then, a confession can work to place a victim in the caring arms of no one other than himself or herself, the only person who can be trusted after living through the rupture o f ethics by the other's unethical behaviour. Lastly, and this is the point that may in fact reinvest the "ethical" into Magda's confession, the confessional form can reintroduce a victim into an ethics o f otherness, given that the

autobiographical content of the confession invites the living other, the reader, to respond to the victim's underlying *humanity*, like I have done in my reading of *In the Heart o f the Country.* Does Magda find and apprehend what she may call her *humanity*? Yes, the varied sections o f M agda's confession have most likely offered her the potential of ethical freedom, which in her case is only found in both the move away from victimization and the further autobiographical embrace of the other. Magda is her own saviour; and confession is her salvation. Like the Magistrate's confession, Magda's autobiographical text ruptures the Said, exposes Saying, and introduces her into the ethical. By the end o f the story, Magda has the potential to bury her loneliness in the stone garden o f her text; the discovery o f an ethical friendship that lurks just beneath her skin means she will always have someone *other* than herself in close proximity. In fact, Magda may have prophesized this phenomenon o f ethics early on in her narrative: "I have spoken and been spoken to, touched and been touched. Therefore I am more than just the trace o f these words passing through my head on their way from nowhere to nowhere" (56). Magda is indeed much more: speaking to the other and being spoken to by the other, touching the other and being touched by the other, allows her to become more fully human.

Works Cited and Consulted

1. Brooks, Peter. *Psychoanalysis and Stoiytclling.* Cambridge: Blackwell, 1994. Print.
2. Coetzee. J. M. "Confession and Double Thoughts: Tolstoy. Rousseau. Dostoevsky." 1985.
3. *Doubling the Point: Essays and Interviews.* Ed. David Attwell. Cambridge: Harvard UP, 1992. Print.
4. ---. *In the Heart o f the Country.* New York: Penguin, 1977. Print.
5. ---. "Interview: Autobiography and Confession." *Doubling the Point: Essays and Interviews.* Ed.
6. David Attwell. Cambridge: Harvard UP, 1992. Print.
7. Durrant, Samuel. "Bearing Witness to Apartheid: J. M. Coetzee's Inconsolable Works of Mourning." *Contemporary Literature* 40.3 (Fall 1999). Print.
8. Gallagher, Susan VanZanten. *Truth and Reconciliation: The Confessional Mode in South African Literature.* Studies in African Literature. Portsmouth: Heinemann, 2002. Print.
9. ---. *A Story o f South Africa: J. M. Coetzee's Fiction in Context.* Cambridge: Harvard UP, 1991. Print.

भारतीय ग्रामीण महिलाओं की दशा एवं दिशा का एक समाजशास्त्रीय अवलोकन

डॉ. राहुल गुप्ता

असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,वाराणसी

सारांशिका

भारत देश में महिलाओं की स्थिति में प्रारम्भ काल से लेकर वर्तमान काल में बहुत सारे उतार–चढ़ाव देख गए हैं, चूँकि भारतवर्ष में ज्यादातर जनसंख्या गाँवों में निवास करती हैं और गाँवों को ही परम्पराओं, रीति–रिवाजों, प्रथाओं इत्यादि का पोषण माना जाता है। इसलिए बहुत सारे परिवर्तनों के बाद भी ग्रामीण महिलाओं की दशाओं मे कोई व्यापक बदलाव दृष्टिगोचर नहीं हुए, परन्तु जैसे–जैसे आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण और वैश्वीकरण का प्रसार बढ़ने लगा ग्रामीण महिलाओं की दशाओं में कुछ बदलाव भी दिखाई देने लगे। साथ ही कुछ अन्य नवीन परिवर्तनों ने जैसे पंचायती राज व्यवस्था और नवीन पंचायती राज व्यवस्था के लागू हो जाने तथा शिक्षा के प्रति सरकार द्वारा नित नई योजनाओं के लागू होने से अबग्रामीण महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन होने लगा है। प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से वर्तमान समय में ग्रामीण महिलाओं की दशा एवं दिशा में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश डाला गया है।

प्राचीन समय से ही महिलाओं को परम्पराओं का पोषक एवं परिवार के संचालन का प्रमुख आधार माना गया था। इसके साथ ही साथ ग्रामीण भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, परिवार की महिलाओं को ही दिया गया था किन्तु इस प्रदत्त जिम्मेदारी का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने की वजह से ग्रामीण महिलाएँ सदियों से ही घर की चहारदीवारी में कैद होकर रह गयी। धीरे–धीरे उनका यह कर्तव्य पालन उनके शोषण का प्रमुख कारण बन गया और पीढ़ी दर पीढ़ी उनसे सिर्फ उसी कर्तव्य पालन की अपेक्षा की जाने लगी। जिसका परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनैतिक दशा अत्यन्त दयनीय होती चली गयी।

परन्तु समय के परिवर्तन एवं सामाजिक आन्दोलनों के द्वारा महिलाओं की दशा को सुधारने की दिशा में बहुत सारे प्रयास किए गए इन प्रयासों के फलस्वरूप न सिर्फ शहरों में निवास करने वाली महिलाओं में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली महिलाओं में भी व्यापक बदलाव आया और आज स्थिति यह है कि गाँवों में निवास करने वाली महिलाओं की दशा काफी बदल चुकी है।

भारतीय समाज में नारी के स्थान की बात हो तो अक्सर हम प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध दृष्टान्तो गार्गी, अपाला, घोषा ,दुर्गा, शक्ति एवं वर्तमान में विज्ञान, तकनीकी, शोध, गणितीय जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली युवतियों से लेकर इन्दिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल जैसी नेताओं के उदाहरण देकर हम अपना गर्व व्यक्त करते हैं कि भारत ने इस दिशा में कितनी तरक्की की है, कैसे हर क्षेत्र में नारियाँ पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर बढ़ रही है। इस बदलते भारत में जहाँ एक ओर नारी विकास और प्रगति की चर्चा होती है वही दूसरी ओर भारत के गाँव कितना बदल रहे हैं और गाँवों में रहने वाली महिलाओं की स्थिति क्या है, इस पर चर्चा या तो कम होती है या फिर बिल्कुल भी नहीं होती। भारत मूलतः गाँवों का देश है इस देश में कुल 6,49,481 (छः लाख उन्चास हजार चार सौ इक्यासी) ग्राम हैं। जहाँ देश की 68.

84: जनसंख्या निवास करती है। जिस देश में लगभग तीन चौथाई आबादी गांवो में बसी हो और कृषि ही अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हो, उस देश में ग्रामीण विकास के बिना राष्ट्र के विकास की कल्पना भी भला कैसे सम्भव है? यही कारण है कि योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया के प्रथम सोपान यानी पहली पंचवर्षीय योजना से ही ग्रामीण विकास सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। देश की बहुत बड़ी जनसंख्या, विस्तृत क्षेत्रफल तथा सीमित संसाधनों के कारण अपेक्षित परिणाम चाहे नहीं मिल पाए हैं, परन्तु यह भी सत्य है कि सरकार के अब तक के प्रयासों से ऐसा बुनियादी ढाँचा खड़ा हो चुका है जिसके बल पर ग्रामीण विकास का सपना साकार होने की आशा की जा सकती है।

भारत जैसे विशाल देश में भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में विभिन्नता के कारण ग्रामीण विकास के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करना आसान नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में वस्तुतः ग्रामीण विकास को एक सतत प्रक्रिया के रूप में देखा जाना आवश्यक है। बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, बेरोजगारी, भूमि तथा अन्य सभी संसाधनों का असामान्य बँटवारा, सामाजिक अन्याय जैसी अनेक समस्याएँ ग्रामीण भारत के विकास में बाधक है। महात्मा गांधी ने सच कहा था कि 'भारत का आधार और आत्मा गांव हैं। यदि भारत का विकास करना है तो गाँवों तथा ग्रामवासियों का विकास करना होगा।

प्रस्तुत प्रपत्र में द्वितियक स्रोतो के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि भारतीय ग्रामीण महिलाओं की दशा क्या है और वे अब अपनी विकास की दिशा का निर्धारण किस प्रकार कर रही है। इन तथ्यों को जानने के लिए कुछ आंकडों एवम् सारिणियों का तुलनात्मक प्रयोग किया गया है जो वर्ष 2001एवम् 2011 की जनगणना पर आधारित है।

भारतीय ग्रामीण महिलाओं की जनसंख्यात्मक स्थिति

सारिणी न0–01

जनसंख्या (करोड़ में)			
	2001	**2011**	**अन्तर**
भारत	**102.9**	**121.5**	**18.15**
ग्रामीण	**74.26** (72.19%)	**83.34** (68.84%)	**9.08**
शहरी	**28.61** (27.81%)	**37.71** (31.2%)	**9.1**

सारिणी संख्या 1 का अवलोकन करने पर वर्ष 2001 की जनगणना तथा वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त आँकड़ों का पता चलता है। इस सारिणी से ग्रामीण जनसंख्या एवं शहरी जनसंख्या में हो रहे परिवर्तन भी दिखाई पड़ते हैं। जहाँ वर्ष 2001 में भारत वर्ष की कुल ग्रामीण जनसंख्या 74.26 करोड़ पूरी जनसंख्या का 72.17 प्रतिशत तथा शहरी जनसंख्या 28.61 करोड़ तथा पूरी जनसंख्या का 27. 81 प्रतिशत थी। वहीं 2011 में इसकी संख्या में तो वृद्धि होती है परन्तु ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कम होता हुआ दिखाई पड़ता है। वर्ष 2011 में भारतवर्ष की कुल जनसंख्या 121.5 करोड़ है जिसमें 83. 34 करोड़ (68.84%) ग्रामीण जनसंख्या तथा 37.71 करोड़ (31%) शहरी जनसंख्या है। 2001 से 2011

तक कुल वृद्धि 18.75 करोड़ की हुई है। ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या में यह वृद्धि क्रमशः 9.08 तथा 9.1 करोड़ की हुई है। आँकड़ों के अनुसार शहरी जनसंख्या में वृद्धि की दर अधिक दिखाई पड़ती है।

सारिणी न0–02

ग्रामीण एवम् शहरी लिंगानुपात			
	2001	2011	अन्तर
भारत	933	943	(+) 10
ग्रामीण	946	949	(+) 3
शहरी	900	929	(+) 29

सारिणी संख्या 2 ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात को प्रकट करता है। लिंगानुपात एक बहुत बड़ा तथ्य है जो महिलाओं के प्रति समाज की सोच को प्रकट करता है। यह सारिणी वर्ष 2001 तथा 2011 के मध्य तुलनात्मक स्थिति को स्पष्ट करने हेतु निर्मित की गयी है। सम्पूर्ण भारतवर्ष में वर्ष 2001 की जनगणना से प्राप्त आँकड़ों से पता चलता है कि कुल 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएँ थी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह लिंगानुपात ज्यादा बेहतर था जो कि 1000 पुरुषों पर 946 महिलाओं को प्रदर्शित करता है। शहरी क्षेत्रों में स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम अच्छी थी जो 1000 पुरुषो पर मात्र 900 महिलाओं तक सीमित था।

वर्ष 2011 की जनगणना में लिंगानुपात में काफी अन्तर दिखाई पड़ता है जो पूरे देश के लिंगानुपात के साथ ही साथ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिंगानुपात में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। पूरे भारत के लिंगानुपात की तुलना में शहरी लिंगानुपात में काफी वृद्धि दिखाई पड़ती है। जो पूर्व की जनगणना से धनात्मक वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है।

सारिणी न0–03

महिला एवं पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत में						
वर्ष	पुरुष साक्षरता			महिला साक्षरता		
	भारत	ग्रामीण	शहरी	भारत	ग्रामीण	शहरी
2001	75.3	70.7	86.3	53.7	46.1	72.9
2011	80.9	77.2	88.8	64.6	57.9	79.1
अन्तर	(+)5-6	(+)6-5	(+)2-5	(+)10-9	(+)11-8	(+)6-2

सारिणी संख्या 03 का अध्ययन करने पर महिला एवं पुरुषों की साक्षरता दर के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। साक्षरता एक ऐसा विषय है जिसके आधार पर महिलाओं की दशा एवं दिशा के विषय में और स्पष्ट आंकलन किया जा सकता है। यह सारिणी वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना में पूरे भारत वर्ष की महिला साक्षरता दर 53.7 प्रतिशत जिसमें शहरी क्षेत्रों में 72.9 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों की 46.1 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर थी परन्तु जब हम वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़े को देखते हैं तो पता चलता है कि सम्पूर्ण भारत को महिला साक्षरता में 10.9 प्रतिशत की वृद्धि होकर यह 64.6 प्रतिशत हो गया है तथा इसके साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जिससे ग्रामीण महिलों की साक्षरता का प्रतिशत 57.9 प्रतिशत हो गया है। शहरी क्षेत्रों में भी वृद्धि दर्ज की गयी है जो 2001 की साक्षरता दर से 6.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 79.1 प्रतिशत हो गयी है।

आजादी के बाद बने भारतीय संविधान और उसमें होते रहे संशोधनों में इस तथ्य को बराबर महसूस किया जाता रहा कि महिलाओं की भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्रों में बढ़ाना आवश्यक है।समाज के उत्थान में महिलाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह भी सर्वविदित है कि ग्रामीण महिलाएँ किसी काम के लिए आगे आने में संकोच करती हैं तथा व्यक्तिगत रूप से पहल भी नहीं करती है इसलिए उन्हें सामूहिक रूप से आगे बढ़ाकर सशक्त करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। किसानों की घनिष्ट सहयोगी उसकी पत्नी, बेटी या मॉ होती हैं। ग्रामीणमहिलाएँ पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर खेत–खलिहान में रोजाना 8 से 9 घण्टे खेती–बाड़ी के अनेक कार्यों में हाथ बँटाकर अपने परिवार का बोझ हल्का करती हैं। ग्रामीण महिलाएँ पुरुषों के काम में 60 से 70 प्रतिशत सहायता करती हैं विश्वविख्यात कृषि वैज्ञानिक **डा0एम0एस0 स्वामीनाथन ने कहा हैं कि 'इतिहासकारों का मानना है कि नारी ने ही सर्वप्रथम खाद्यान्न फसलों के पौधों को अपनाया और घरेलू बनाया। जब पुरुष भोजन की तलाश में शिकार पर जाते तो नारी घर के आसपास से बीज इकट्ठा कर बो दिया करती थी और इस प्रकार खाद्यान्न फसलों को अपनाने का कार्य प्रारम्भ हुआ।'**

हमारे देश भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाएँ मुख्य कार्यबल हैं सन् 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या 50.74 करोड़ है जो कि कुल जनसंख्या का 48.53ः है। इसका 75 हिस्सा ग्रामीण महिलाओं का है। वर्ष 2011 की जनगणना में महिला श्रमिकों कीकार्य सहभागिता दर 27.5 प्रतिशत थी। कृषि भी आर्थिक रूप से क्रियाशील महिलाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराता है। वास्तविकता यह है कि ग्रामीण महिलाओं के विकास की लगातार अनदेखी होती रही है लेकिन वर्तमान में कुछ प्रयास शुरु हुए हैं जिससे महिलाओं के चौतरफा विकास की सम्भावनाएँ बढ़ी हैं।

भारत जैसे देश में ग्रामीण महिलाओं के लिए शिक्षा की उचित उपलब्धता एक बडी समस्या रही है यह एक ऐसा कारण रहा है जिसकी वजह से ग्रामीण महिलाओं की दशा दयनीय बनी हुई थी, परन्तु आधुनिक भारत में नये–नये कानूनो का निर्माण होने से तथा **शिक्षा का अधिकार अधिनियम** लागू होने से अबग्रामीण महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में जबरदस्त परिवर्तन दिखायी देने लगा है। अबग्रामीण महिलाऐं भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है और उच्च शिक्षा प्राप्त करके वे अनेक क्षेत्रो में रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है।

भारत में आज भी सामाजिक ताना–बाना ऐसा है जिसमें अधिकांश महिलाएँ पिता या पति पर ही आर्थिक रूप से निर्भर करती है तथा कोई भी निर्णय लेने के लिए भी परिवार के पुरुषों पर ही निर्भर रहती है। महिलाओं को न तो घर के मामलों से सम्बन्धित निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाता है और न ही बाहर के मामलों में। विवाह से पूर्व वे पिता व विवाह के बाद पति के अधीन रहते हुए जीवनयापन

करती हैं। हालांकि देश के संविधान में महिलाओं को सदियों पुरानी दासता एवं गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाने के प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 30 बी एवं 44 तथा अनुच्छेद 325 स्त्री को भी पुरुषों के समान अधिकारों की पुष्टि करते हैं।

1992 में भारतीय संसद द्वारा भारतीय संविधान में 73वाँ संविधान संशोधन किया गया जिसमें पंचायती राज के लिए चुनावों की बात थी और इन चुनावों में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गयी थी। इस बदलाव को अनेक नामो जैसे–'**मौन क्रान्ति', 'हमारे समय का सबसे बड़ा सामाजिक प्रयोग' और 'जनता के स्तर पर होने वाले जनतन्त्र का दुनिया का सबसे बेहतरीन नवप्रयोग'** आदि कहा गया है। इस संविधान संशोधन की वजह से 30 लाख महिलाएँ राजनीति में आयी ,जिनमें से करीब दस लाख से अधिक महिलाएँ चुनाव में जीत कर पंचायती राज का हिस्सा बनीं। दूसरी ओर इस प्रयोग को दिखावा भी कहा गया , और आरोप लगाया गया कि असली ताकत तो पति, पिता व ससुर के हाथों में ही है, जिनके हाथों में यह चुनी हुई महिलाएँ केवल कठपुतलियाँ भर ही होती हैं।

सन् 2006–07 की पंचायती राज की स्थिति की रिपोर्ट में पाया गया था कि विभिन्न राज्यों में पंचायत सदस्यों में महिलाओं की संख्या आरक्षित सीटों को पार कर चुकी हें, पंचायतों में 37 से 54 प्रतिशत सदस्य महिलाएँ हैं। 2008 की एक अन्य रिपोर्ट में पाया गया कि इनमें से अधिकतर महिलाएँ निर्णय लेने के लिए अपने पति या अन्य पुरुषों पर निर्भर नहीं हैं, अपने निर्णय खुद लेती हैं। ग्रामीण राजनैतिक क्षेत्र में आजादी के कुछ वर्षों बाद तक महिलाओं की भूमिका नगण्य रही तथा पंचायतों में उनका प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर रहा है। परन्तु आज ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक की संस्थाओं में महिलाएँ निर्वाचित होकर ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक दृष्टि से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति का प्रश्न है वह दयनीय है फिर भी जनतान्त्रिक माहौल व महिलाओं की बढती भागीदारी के चलते स्थितियों में बदलाव आना प्रारम्भ हो गया है। पिुछले कुछ वर्षो में देश के कुछ हिस्सों की ग्रामीण महिलाओं ने अभूतपूर्व जागृति का परिचय दिया है। मणिपुर, आन्ध्रप्रदेश तथा हरियाणा में शराब बन्दी लागू कराने के पीछे ग्रामीण महिलाओं के आन्दोलन की ही एकमात्र भूमिका रही है। मणिपुर में तो ग्रामीण महिलाओं ने न केवल शराब बन्दी के लिए आन्दोलन चलाया बल्कि शराब पीने वाले पुरुषों का सामाजिक बहिष्कार भी किया तथा शराब पिए हुए पुरुषों की पिटाई करने तक का आन्दोलन चलाया और इसमें अपने परिवार के पुरुषों तक को भी नहीं बख्शा। इसके अलावा अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में चुनी हुई महिलाओं ने सामाजिक बुराईयों तथा अन्याय के प्रति संघर्ष का बिगुल बजाकर उन पर काबू पाने में आशातीत सफलताएँ अर्जित कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। भारत सरकार समय–समय पर ग्रामीण महिलाओं की दशा को सुदृढ़ करने के सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करती हैं।

इसके साथ–साथ संचार क्रान्ति ने भी ग्रामीण महिलाओं को विकास की नयी दिशा से साक्षात्कार कराया है। आज गॉवो में भी यह स्थिति है कि टेलिविजन, रेडियो के साथ ही मोबाइल, इण्टरनेट और सोशल मीडिया की पहुॅच भी ग्रामीण महिलाओं तक हो चुकी है। देश–विदेश में घटित होने वाली घटनाओं के विषय में भी ग्रामीण महिलाओं को पूरी जानकारी प्राप्त होने लगी है।

हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की ओर से जारी ग्लोबल जेण्डर इण्डेक्स में लैंगिक समानता के मामले में भारत को 87वां स्थान मिला है, जिसमें आर्थिक तौर पर असमानता को सबसे बड़ी चुनौती माना गया है। यानी बिना आर्थिक खाई को पाटे हम लैंगिक समानता का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

इस कार्य के लिए सरकार और समाज दोनों को प्रयास करना होगा कुछ सरकारी प्रयास प्रारम्भ भी हो गए हैं–

क) 2001 में महिला उत्थान नीति बनाई गयी जिसके तहत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं।

ख) महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु स्टैण्डअप इण्डिया जैसी योजनाएँ चलाई गयी, जिसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में महिलाओं को आगे आने का मौका मिल रहा है।

ग) प्रधानमन्त्री जनधन योजना और महिला बैंक जैसे कदम उठाकर महिलाओं की पहुँच बैंक तक आसान कर दी गयी जिसमें उनकी कमाई सुरक्षित रह सके।

महिलाएँ राजनीति में एक उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो नवीन पंचायती राज अधिनियम के लागू होने के पश्चात् ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ परन्तु अभी इनकी स्थिति उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सही है कि वे स्वयं में सक्षम हो सकें इसके लिए सबसे पहले उनके लिए उपलब्ध शिक्षा व्यवस्था में सुधार और विकास की आवश्यकता है। साथ ही साथ परिवार के सदस्यों के साथ ही गाँव और समाज के लोगों की अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाते हुए उनके शिक्षित होने की दिशा में सहयोग करना होगा।

अतः अब यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण महिलाऐं अपने चतुर्दिक विकास हेतु प्रयत्नशील हो गयी है साथ ही अब वे स्वयं के लिए एक ऐसी दिशा का चुनाव करने के लिए खुद को मानसिक रुप से तैयार कर रही है जिससे कि वे अपना विकास करने में समर्थ हो सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अटल, योगेश (1992) : 'अण्डरस्टैन्डिंग इण्डियन सोसायटी' हरआनन्द पब्लिकेशन,न्यू देहली
2. चन्द्रा, विपिन (1976) : मार्डन इण्डिया , एन.सी.आर.टी., न्यू देलही
3. गुप्ता, एम.एल., शर्मा, डी.डी. (2002) : 'समाजशास्त्र', साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
4. दोषी, एस.एल., जैन., पी.सी. (1999) : 'रुरल सोशियोलाजी' रावत पब्लिशिंग, जयपुर
5. जनगणना (2011) : जनसंख्या एवं नगरीकरण, शुभकामना पब्लिकेशन, इलाहाबाद

बच्चों में अपराध के बदलते आयाम : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

अनु कुमारी

शोध छात्रा, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, रांची विश्वविद्यालय रांची

समाज की संरचना समाज की अनेक इकाईयों की अंतःक्रियाओं तथा अंतः संबंधों से एक निश्चित परिस्थिति एवं भूमिका के संदर्भ में व्यवस्थित होती है। यह कुछ ऐसे नियमों, मूल्यों व आदर्शों पर आधारित होती है। जिनके द्वारा सामाजिक संबंधों में एकरूपता कायम रहती है। इन्हीं संबंधों के आधार पर व्यक्ति अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। जिससे सामाजिक संगठन सदैव प्राकार्यशील रहता है। जब तक समाज की निर्माणात्मक इकाईयों में संतुलन बना रहेगा तब तक समाज का संगठन स्थायी रहेगा। सामाजिक परिवर्तन की दशा में कभी यह देखा जाता है कि सामाजिक सदस्यों की आवाश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को बदल जाती है। लेकिन सामाजिक मूल्यों में स्थायित्व की स्थिति बनी रहती है। परिणामस्वरूप सामाजिक समस्यायें उत्पन्न हो जाती हैं। जिससे सामाजिक विघटन की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि सामाजिक समस्याओं का समाधान बदलते परिवेश के साथ नहीं किया गया तो इसका परिणाम समाज में असंतुलन या विघटन का बीजारोपण हो जाएगा। इस प्रकार के विघटन से समाज का संतुलन बिगड़ने लगता है। सामाजिक विघटन की समस्याओं में से बाल अपराध भी एक समस्या है। जो कि सामाजिक और वैयक्तिक विघटन से उत्पन्न होती है। वास्तव में बाल अपराध की समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि आज यह किसी एक देश या समाज की समस्या न रहकर संपूर्ण विश्व की समस्या बन चुकी हैं।

बाल अपराध की समस्या एक विश्वव्यापी समस्या है जो केवल कृषि प्रधान एवं अर्धविकसित देशों की ही नहीं बल्कि उन देशों में अधिक गंभीर हो गयी है जो औद्योगिक क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति कर गये हैं। औद्योगिक क्षेत्र में जहां आर्थिक ढांचे में प्रगति हो रही है, वही नगरीकरण की प्रक्रिया का भी विकास हो रहा है। समाजिक और आर्थिक मूल्यों में नगरीकरण के प्रभाव से बदलाव हो रहा है। इन परिवर्तनों के कारण ही नगरों में बाल अपराधियों में वृद्धि हो रही है।

वर्तमान में विकसित और विकासशील दोनों समाजों में बाल अपराध का परिमाण बढ़ रहा है। इसका कारण तीव्र रूप से हो रहे सामाजिक परिवर्तन हैं जो समाज के मुख्य आधारों को हिला कर रख रहे हैं। यहां तक कि सभ्य, संयुक्त और अच्छे परिवार भी इस तरह के तीव्र परिवर्तन से हिल गये हैं। यदि इस सामाजिक परिवर्तन द्वारा सभ्य व्यवहारों और सामाजिक मापदण्डों व मूल्यों में परिवर्तन किया जाये उन्हें प्रतिस्थापित न किया जाये तो इससे समाज को प्रभावी दिशा एवं विशिष्ट उददेश्यों की प्राप्ति होगी। परंतु यदि इसका विपरीत हुआ तो वयस्क लोगों में अपराध और बच्चों में बाल अपराध की समस्या उत्पन्न हो जायेगी।[1]

भारत में तथा अन्य देशों में नगरीकरण चोटी दर चोटी बढ रहा है। गांव कस्बे में, शहर बड़े शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं। धीरे धीरे बढते बढते ये मलिन बस्तियों का रूप धारण कर रहे हैं। इन बस्तियों में सामाजिक विचलन व बाल अपराध की समस्या की उत्पति होती है।[2]

इस प्रकार से विभिन्न देशों व समाजों में बाल अपराध के लिए अलग अलग कारकों को उतरदायी माना गया है। संयुक्त राज्य अमेंरिका में विघटित परिवार को बाल अपराध के लिए उतरदायी माना जाता है। भारत में एवं अन्य विकासशील देशों में सामाजिक और आर्थिक स्थिति तथा ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों के बीच बढ़ती हुई विभिन्नता को बाल अपराध के लिए उतरदायी माना जाता है।[3]

इसके अतिरिक्त औद्योगिकरण व नगरीकरण भी बाल अपराध के लिए उतरदायी हैं। क्योंकि औद्योगिकरण व नगरीकरण की प्रक्रिया के दौरान माता पिता अपने बच्चों की ओर कम ध्यान देते हैं। जिससे बच्चे उनके प्यार से वंचित रह जाते हैं। ओर अपने आप को तिरस्कृत व हीन भावना से ग्रसित कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में वे अपने आप को तिरस्कृत व हीन भावना से ग्रसित कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में वे अपने आप की ओर आकर्षित करने के लिए ऐसा व्यवहार करते हैं। जिसे समाज स्वीकृति प्रदान नहीं करता तथा जिसे विचलित व्यवहार की श्रेणी में रखा जाता है। यही विचलित व्यवहार धीरे धीरे अपराधोन्मुख हो जाता है। अतः बालक को अपराध की ओर धकेलने में कभी एक ही कारक प्रभावी नहीं होता। यह उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जब कोई बालक प्रभावित होकर अपराधिक व्यवहार करने लगता है। अतः यह कहा जा सकता है कि परिस्थियां ही अपराध की मुख्य कारक होती है जिसके कारण एक सामान्य बालक अपराधी बालक में परिवर्तित हो जाता है।[4]

बल अपराध की अवधारणा–

बल अपराध कई शताब्दियों से हर समाज में पायी जाने वाली एक सार्वभौमिक समस्या है। पहले यह माना जाता था कि व्यक्ति किसी बुरी आत्मा या भूत प्रेत के वशीभूत होकर ही अपराध करता है। उस समय भूत प्रेत को भगाकर या अपराधी को मृत्युदंड देकर अपराध पर प्रतिबंध लगाया जाता था, ताकि समाज सुरक्षित रह सके। चुंकी इस सिद्धांत में कोई वैज्ञानिकता नहीं थी। इसलिए इसका पतन हो गया[5]। इस सिद्धांत के पतन के बाद प्राकृतिक विचारधारा प्रसिद्ध हुई जिसमें यह माना जाता था कि अपराध बालक में निहित जन्मजात या अर्जित प्रवृतियों के आधार पर शारीरिक, मानसिक आर्थिक व सामाजिक आदि कारकों के द्वारा किया जाता है। अठारहवीं शताब्दी में शास्त्रीय सम्प्रदाय प्रस्तुत करने वाले इटेलियन विचारक वैकेरिया तथा ब्रिटिश विचारक बेंन्थम के अनुसार मानव प्रकृति तार्किक एवं स्वतंत्र है। जो अपने स्वार्थ से निर्धारित होती है तथा व्यक्ति का व्यवहार संप्रयोजन और विवेकपूर्ण है। इस कारण मानव सुखवाद के सिद्धांत के आधार पर अपराध करता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक सुख प्राप्ति के लिए कार्य करता है ओर दुख से बचना चाहता हैं यदि किसी कार्य को करने में बालक को सुख की अनुभूति होती है तो वह अवश्य उस कार्य को करेगा चाहे वह कार्य असामाजिक या अवैधानिक ही क्यों न हो[6]। किसी अपराधी के अनुसार अपने स्वतंत्र इच्छा की पूर्ति व सुख प्राप्ति के लिए वह अपराध करता हैं प्राकृतिक विचारधारा के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने सुख के लिए अपराध करता है तो उसका दंड भी उतना ही कठोर होना चाहिए जिससे फिर से वह अपराध न करें। अतः अपराधी की पृष्ठभूमि मानसिकता व परिस्थितियों को ध्यान नहीं देना चाहिए।[7]

अपराध व्यक्ति की नैतिकता को नुकसान पहुंचाती है चूंकी व्यक्ति स्वतंत्र इच्छा द्वारा सही पथ भी चल सकता है और अपराध के पथ पर भी चल सकता है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए उसे दंड दिया जाना चाहिए। शास्त्रीय संप्रदाय में कुछ कमियां थी जैसे– आयु, लिंग या बुद्धि में भेद किये बिना सभी अपराधियों के साथ समान व्यवहार किया जाता था। अपराध की प्रकृति को कोई महत्व नहीं दिया जाता था चाहे वह अपराध जघ्ज्ञन्य हो या साधारण। अतः इस संप्रदाय की कमियों को देखते हुए नव शास्त्रीय संप्रदाय की स्थापना की गयी। नव शास्त्रीय संप्रदाय में न्यायिक विवेक का प्रावधान था

तथा न्यूनतम और अधिकतम दंड के विचार को प्रस्तुत किया गया। सामान्य न्याय की अवधारणा को अवास्तविक बताते हुए अपराधियों का दंड निर्धारित करते समय उनकी आयु लिंग और बुद्धि या मानसिक स्थिति का तथा अपराध के पीछे उसकी लघुकारक परिस्थितियों को महत्व दिया गया।[8] नव शास्त्रीय संप्रदाय में इन परिवर्तनों के बावजुद स्वतंत्र इच्छा एवं सुखवाद के सिद्धांतों को स्वीकार किया गया है। शास्त्रीय एवं नव शास्त्रीय संप्रदाय के बाद प्रत्यक्षवादी संप्रदाय का प्रतिपादन लोम्ब्रोसो, फैरी व गैरफैलो ने किया। इनके अनुसार आपराधिक व्यवहार की जैविकी और वंशानुगत पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इन्होंने यह भी दावा किया कि अपराधी व्यक्ति शारीरिक रूप से भिन्न होता है। इन्होंने यह भी दावा किया की अपराधियों का असमयिता चेहरा, बडे कान, बहुत लंबी बांहें, पिचकी नाक, पीछे की ओर झुकी ललाट, गुच्छेदार और कुचित बाल आदि विभिन्न प्रकार की शारीरिक विशेषतायें होती हैं। जिससे उनको पहचाना जा सकता है। लोम्ब्रोसो ने बताया कि अपराधी जन्मजात होते हैं उनको बनाया नहीं जाता । लोम्ब्रोसो की यह व्याख्या बाल अपराधियों की उन शक्तियों की ओर बल प्रकट करती है जो मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हैं तथा यह व्याख्या वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा की जा सकती है। इस कारण इस संप्रदाय को सकारात्मक या प्रत्यक्षवादी संप्रदाय का नाम दिया गया। [9]

भारत में बाल अपराध–

विकास के मार्ग पर चलते हुए आज भारत भी अन्य विकसित देशों के समान औद्योगिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रों में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जिसमें भारत भी प्रगति के नये आयाम कायम कर सके। वैज्ञानिक एवं मशीनी युग की विशेषताओं ने समाज के परंपरागत मूल्यों, विश्वासों, स्थितियों भूमिकाओं को ही नहीं अपितु सामाजिक व्यवस्था, संगठन एवं ढांचे को भी बदल दिया है। इस प्रकार के परिवर्तन द्वारा देश में बाल अपराध की समस्या का उदय हुआ। जैसे जैसे कोई भी देश आर्थिक विकास करने लगता है वैसे वैसे बाल अपराध की दरों में भी बढ़ोतरी होने लगती है। सन् 1996 के दौरान 1709576 अपराधियों में से 10024 बाल अपराधियों की गणना की गयी। जिसकी प्रतिशतता 0. 6 प्रतिशत थी।[10] 2001 में बाल अपराध की दर 0.9 प्रतिशत तथा 2002 में इसकी दर बढकर 1.0 प्रतिशत हो गयी। 2003,2004,2005 में बाल अपराध की दर समान अर्थात 1.0 प्रतिशत ही थी परंतु 2006 व 2007 में इसकी मात्रा बढ़कर 1.1 प्रतिशत हो गयी। बाल अपराध की यह बढ़ी हुई दर बाल अपराधियों की आयु में हुए परिवर्तन से हुई है जो 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। इसी कारण बाल अपराध दर जो 1999 एवं 2000 में 0.9 प्रतिशत थी वह 2003 से 2007 के वर्षों में क्रमशः 1.7 प्रतिशत, 1. 8 प्रतिशत, 1.7 प्रतिशत, 1.9 प्रतिशत और 2.0 प्रतिशत हो गयी।

2006 एवं 2007 के दौरान जिन बाल अपराधों में कमी देखी गयी उनमें से तिरस्कार के कारण मृत्यु 33.7 प्रतिशत, लैंगिक उत्पीड़न 12.8 प्रतिशत, भिक्षावृति 2.7 प्रतिशत और अश्लील गालियां देना 2.5 प्रतिशत प्रमुख हैं। सबसे अधिक बाल अपराध तमिलनाडु 873 जिसकी दर 21.5 प्रतिशत, मध्यप्रदेश 785 और गुजरात 531 पाया गया। इन तीनों राज्यों में एक साथ देखा जाये तो 52.6 प्रतिशत बाल अपराध विशेष व राज्य स्तरीय कानून के अंतर्गत आते हैं। कुल 780 बाल अपराध गैम्बलिंग एक्ट के अंतर्गत आते हैं। जिनमें से 33.5 प्रतिशत केस जो कि मध्यप्रदेश से 261, हरियाणा से 150 और छत्तीसगढ़ से 124 हैं। इन तीनों राज्यों को एक साथ देखा जाये तो 68.6 प्रतिशत बाल अपराध की गणना की गयी। एक्साइज एक्ट के अंतर्गत कुल 528 बाल अपराधों की गणना की गयी। जिनमें से 208 मध्य प्रदेश से, 184 हरियाणा से 60 राजस्थान से तथा 46 छततीसगढ से प्राप्त हुए। इन चारों राज्यों को एक साथ जोडा जाये तो 87.5 प्रतिशत बाल अपराध एक्साइज एक्ट के अंतर्गत आते हैं।

बाल अपराधियों का वर्गीकरण–

विभिन्न शोधकर्ताओं ने बाल अपराधियों को विभिन्न वर्गों में रखकर उनकी व्याख्या की है–

हर्ष ने बाल अपराधियों को छः वर्गों में बांटकर व्याख्या की है–

1. जिसमें सुधार न हो सके जैसे देर रात तक बाहर रहना, अवज्ञाकारी
2. भगोडापन स्कुल से लेकर डकैती तक
3. हिंसा किसी एक व्यक्ति या समुदाय को किसी हथियार के माध्यम से हिंसा
4. चोरी चोरी से डकैती तक
5. संपति का विनाश प्रशासनिक एवं व्यक्तिगत संपति
6. यौन उपचार समलैंगिक संबंध से लेकर बलात्कार।[11]

इटोन और पॉल्क ने बाल अपराधियों को पांच वर्गों में वर्गीकृत किया है–

1. समाजिक नियमों का उल्लंघन
2. कानून का उल्लंघन
3. नशा करना
4. संपति के लिए कानून का उल्लंघन
5. शारीरिक क्षति पहुंचाना।

बाल अपराधियों के सुधार एवं पुर्नवास हेतु प्रयास–

बच्चे न केवल राष्ट्र की धरोहर हैं बल्कि भविष्य में उन्हीं के कंधों पर देश के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था का उतरदायित्व रहेगा। राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के सर्वांगिण विकास और उन्हें देश का उपयोगी नागरिक बनाने के लिए सदैव से ही प्रयास किये जाते रहे हैं। आजादी के पूर्व ब्रिटिश शासनकाल में सुधार विद्यालय अधिनियम 1876 जिसे बाद में सन् 1897 में संशोधित किया गया। इसके बाद भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 62 में विशेष रूप से बच्चों तथा युवा अपराधियों को सदव्यवहार बनाये रखने के लिए परिवीक्षा पर रिहा करने का प्रावधान किया गया था। इस संबंध में इंडियन जेल कमेटी 1991–20 की रिपोर्ट के अनुसार युवा अपराधियों के लिए अलग से उपचार की आवश्यकता पर बल दिया गया था और इसके बाद 1920,1922 एवं 1924 में मद्रास, बंगाल और बंबई की सरकारों द्वारा बाल अधिनियम बनाये गये थे। जिनका मुख्य उददेश्य बच्चों की अभिरक्षा, संरक्षण एवं युवा अपराधियों को उचित उपचार प्रदान करना था। 1960 में भारत सरकार द्वारा बाल अधिनियम, 1960 केंद्र शासित क्षेत्र के लिए बनाकर उपेक्षित बच्चेां के लिए बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई जो केंद्र शासित क्षेत्रें से संबंधित थी। सन् 1986 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किये गये जिनका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भारतीय सरकार द्वारा संपूर्ण देश के बच्चों के हित के लिए और उपेक्षित एवं अपचारी बच्चों की देखभाल, विकास तथा पुर्नवास के साथ साथ बच्चों के लिए न्याय व्यवस्था के समुचित संचालन हेतु किशोर न्याय अधिनियम 1986 संसद द्वारा पारित कराया गया। इस अधिनियम में बच्चों के लिए समुचित न्याय प्रणाली हेतु एक विधिक व्यवस्था को निर्धारित

किया गया है। इस अधिनियम में उपेक्षित और अपचारित बच्चों के लिए किये गये विविध प्रावधानों को अधिक व्यवस्थित रूप प्रदान करने तथा उपेक्षित एवं अपचारी बच्चों में स्पष्ट रूप से फर्क करके उनकी जरूरतों के हिसाब से सुरक्षात्मक एवं पुर्नवास की बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उददेश्य से वर्ष 2000 में संशोधित भी किया गया। संशोधित अधिनियम को किशोर न्याय अधिनियम 2000 कहा गया। इसके अंतर्गत किशोर अपराधियों की देखभाल और संरक्षण के लिए विशेष किशोर अपराध पुलिस यूनिट के गठन का भी प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त बच्चों के खिलाफ किसी भी अपराध को अब संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपेक्षित और अपचारी बच्चों के लिए किशोर गृहों, विशेष गृहों, प्रेक्षण गृहों तथा अनरक्षण संस्थानों के निर्माण और रखरखाव के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

निष्कर्ष–

भारतीय समाज में बाल अपराध की दर दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। इसका कारण है कि वर्तमान समय में नगरीकरण तथा औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने एक ऐसे वातावरण का सृजन किया है जिसमें अधिकांश परिवार बच्चों पर नियंत्रण रखने में असफल सिद्ध हो रहे हैं। वैयक्तिक स्वतंत्रता में वृद्धि के कारण नैतिक मूल्य बिखरने लगे हैं। इसके साथ ही अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ने बालकों में विचलन पैदा किया है। कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता ने इन्हें समाज से अलग कर दिया है। फलस्वरूप वे अवसाद के शिकार होकर अपराधों में लिप्त हो रहे हैं। बहुत से आरोपी जो पहले किशोर न्यायालय में पेश होते अब सामान्य अदालत में पेश होंगे और उन पर उन्हीं धाराओं के तहत मुकदमे चलेंगे जो वयस्कों पर लागू होते है। इसलिए जोर सजा की कठोरता पर नहीं सुधार होना चाहिए। इसका अर्थ यह भी है कि बाल अपराध की जड़ों का उन्मूलन किया जाए। गरीबी, पारिवारिक सामाजिक विघटन, पोर्नोग्राफी, बालश्रम तथा अन्य प्रकार से होने वाले बच्चों के शोषण उत्पीडन से निपटे बगैर बाल अपराध को खत्म करने की रणनीति बहुत कारगर नही हो सकती। यह अफसोस की बात है कि इन तकाजों को नजरअंदाज करके सिर्फ कानून को और कड़ा करने तथा सजा की सख्ती पर जोर देने का रूझान बढ़ता गया। विभिन्न देशो की भांति भारत में भी बाल अपराधियों को सुधारने के प्रयास किये गये हैं और बाल अपराध की पुनरावृत में कमी आई है। फिर भी इन उपायों में अभी भी कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर करना आवश्यक हैं बालक अपराध की ओर उन्मुख न हो इसके लिए आवश्यक है कि बालकों को स्वस्थ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराये जाये। अश्लील साहित्य व दोषपूर्ण चलचित्रों पर रोक लगाई जाये बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने में माता पिता की मदद करने के लिए बाल सलाहकार केंद्र गठित किए जायें तथा संबंधित कर्मिकों उचित प्रशिक्षण दिया जाये। बाल अपराध की रोकथाम के लिए सरकारी एजेंसियों, शैक्षिक संस्थाओं, पुलिस न्यायपालिका, सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा स्वैच्छिक संगठनों के बीच तालमेल की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची–

1. शर्मा भारती 1990, जुवेनाइल डेलिंक्वेश एण्ड देयर सोशल कल्चर, नई दिल्ली उप्पल पब्लिशिंग हाउस पृ 2
2. खान, एम जेड एण्ड देसाई ए 1995, सोशल टॉलरेंस एण्ड डेवियेंस एमंग स्लम चिलड्रेन, इंडियन पुलिस जर्नल, वॉल्यूम 42 2 नई दिल्ली पृ 41–56

3. शर्मा बी पूर्वोक्त पृ 2

4. आहुजा राम 2000 क्रिमिनोलॉजी रावत प्रकाशन, जयपूर, पृ 82

5. ट्राफट, डी. आर, 1956, क्रिमीनोलॉजी, मैकमिलन, न्यूयॉर्क, पृ 76

6. शोमेकर, डोनॉल्ड जे, 2005, थ्यिरिज ऑफ डेलिंक्वेंशी, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क पृ 14

7. मार्टिन, आर हैसकेल,1970,क्राइम एण्ड डेलिंक्वेंसी, रैंड मैक नेली एण्ड को,शिकागो, पृ 344

8. पूर्वोक्त शोमेकर, पृ 16

9. पूर्वोक्त,शोमेंकर पृ 23

10. क्राइम इन इंडिया 1996

11. जोहारी, प्रदीप कुमार 2005, सोंशल डेवलपमेंट एण्ड सोशल वेलफेयर, अनमोल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली पृ 319

अनुसूचित जातियों के अभिजन वर्ग का पारिवारिक विकास एवं परिवर्तन का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

सुधा कुमारी

शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, डी.ए.वी.पी.जी., कॉलेज, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

सारांश :–

परिवार एक सामाजिक संस्था है जिसके अन्तर्गत विभिन्न परिवारिक भूमिका की निर्वहन होता है परिवार के सभी सदस्य साथ में निवास करते हैं। अनुसूचित जातियों सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है इन जातियों में देखें तो दो वर्ग हैं उच्च व निम्न और उसमें भी अभिजन वर्ग अनुसूचित जाति का उच्च वर्ग है जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से सशक्त है, इसलिए अनुसूचित जातियों के अभिजन वर्ग की पारिवारिक संरचना काविकास किन–किन क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ इसी का विस्तृत विश्लेषण शोध–पत्र में किया जायेगा।

प्रस्तावना :–

भारतीय सामाजिक विकास के लिए परिवार अति महत्वपूर्ण संस्था है। यदि विकास की प्रक्रिया को देखें तो परिवार का सामाजिक विकास हो रहा हैं, उसमें भी अनुसूचित जातियाँके अभिजन वर्ग के परिवार की विकास की बात करें तो उनका विकास काफी तेजी से हुआ है, वे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से मजबूत हैं उनके परिवार के स्वरूप भी विकसित हैं उनके परिवार के लोगों, बच्चों एवं महिलाएं काफी सशक्त है और महिलाएं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन स्वयं कर रही है उनमें ज्यादातर नौकरी में हैं। उनके परिवार के संरचना का विकास हुआ है अभिजन वर्ग के लोगों में उच्च शिक्षा का दर, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, महिला सशक्तिकरण अभिजन वर्ग का पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी है। उच्च वर्ग की अनुसूचित जातियों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिवेश में इनके समक्ष आन्तरिक समस्या विद्यमान है यदि हम अनुसूचित जातियों के निम्न वर्ग व अभिजन वर्ग को देखें तो दोनों वर्ग की समस्याओं में भिन्नता है। अनुसूचित जातियों के अभिजन वर्ग के परिवार का विकास इतना तेजी से हो रहा है वही पर दलित निम्न वर्ग के विभिन्न प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं साथ ही दलित के निम्न वर्ग आज भी रोटी, कपड़ा एवं मकान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यदि हम अभिजन वर्ग के परिवार के संरचना का विकास के माध्यम को जानना है तो अभिजन वर्ग के लोगों का पारिवारिक विकास कोजानना होगा। अभिजन वर्ग का विकास कैसे हुआ है और अभिजन वर्ग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से सशक्त तो जरूर है परन्तु उनकी परिवार की संरचना के विकास में विभिन्न चुनौतियां उत्पन्न हुई है। अभिजन वर्ग के पारिवारिक विकास के पीछे आर्थिक स्थिति अच्छा होना है जिससे उनका पारिवारिक विकास अच्छे तरीके से हुआ है। आगे अभिजन वर्ग के परिवार का सामाजिक विकास की प्रक्रिया को ज्ञात करना है।

अध्ययन की समस्या :–

अनुसूचित अभिजन वर्ग वह वर्ग जो दलितों में सर्वोच्च है जिनकी अनुसूचित जातियों के अन्य लोगों केतुलना में स्थिति बहुत अच्छी है। वे सामाजिक, आर्थिक राजनैतिक एवं शैक्षणिक रूप से सम्पन्न

हैं। जिससे उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी अच्छी है और उनके पारिवारिक संरचना का विकास भी हुआ है। उनके परिवार के सदस्यों में महिलाएं एवं बच्चों की स्थिति भी बेहतर है। अध्ययन की समस्या में यह देखना है कि अनुसूचित जातियों के अभिजन वर्ग परिवार किस तरीके से हुआ इसी का विस्तृत अध्ययन करना है।

उद्देश्य :–

1. अनूसूचित जातियों के अभिजन वर्ग सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास के स्वरूप का परीक्षण करना।
2. अभिजन वर्ग के परिवार के सामाजिक विकास का अध्ययन करना।
3. अनुसूचित जातियों अभिजन वर्ग के परिवार संरचना को ज्ञात करना है।

अवधारणात्मक व्याख्यान :–

अभिजन वर्ग– अभिजन वर्ग की समाज का वह वर्ग है जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से सर्वोच्च है।

अनुसूचित जातियाँ– अनुसूचित जाति से तात्पर्य ऐसे वर्ग या जाति से है जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से पिछड़ी है और संविधान में उनके लिए कुछ विशेष दर्जे प्रदान है। अधिनियम 1935 के अनुसार संविधान विशेष अधिकार एवं सुरक्षाएवं अनुसूचित जातियाँ कहाँ गया है।

पारिवारिक विकास :–

परिवार एक सामाजिक संस्था है, जिसके अन्तर्गत एक परिवार में कई लोग साथ निवास करते हैं। परिवारिक विकास से तात्पर्य परिवार में विभिन्न आवश्यकतों की पूर्ति से है। अर्थात् पुरी तरह साधन सम्पन्न होना ही पारिवारिक विकास है।

अध्ययन क्षेत्र :–

प्रस्तुत शोध पत्र वाराणसी जनपद के डी0एल0डब्ल्यू में अभिजन वर्ग के अनुसूचित जातियों के कार्यरत कर्मचारियों को चयनित किया गया है।

समग्र एवं न्यायदर्श का चयन :–

प्रस्तुत अध्ययन 25 ईकाइयों का चयन सरल दैव निदर्शन पद्धति द्वारा किया गया है तथा तथ्य संकलन के लिए अवलोकन, साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन पद्धति :–

प्रस्तुत अध्ययन पद्धति अन्वेषणात्मक एवं सह वर्णनात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है।

तथ्य संकलन के स्रोत :–

प्रस्तुत शोध–पत्र को पूर्ण करने हेतु प्राथमिक एवं द्वैतीयक दोनों स्रोत का संकलन का प्रयोग किया गया है।

तथ्य संकलन का उपकरण एवं विधि–प्रस्तुत शोध–पत्र में तथ्य संकलन के अनुसूची तथा साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया है।

वर्गीकरण सारणीयन एवं विश्लेषण :–

प्रस्तुत शोध–पत्र में उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण किया गया है और सारणी से प्राप्त तथ्यों के आधार पर विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रस्तुत शोध पत्र में सारणीवार तथ्यों की विवेचना निष्कर्ष सहित इस प्रकार है।

सारणी संख्या 1.1

आयु के आधार पर स्थिति

प्रत्युत्तर (वर्षों में)	आवृत्ति	प्रतिशत
18–28	12	48.00
29–35	5	20.00
36–50	5	20.00
50 से उपर	3	12.00
योग	**25**	**100**.00

स्रोत– प्राथमिक

उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 48.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं 18 से 28 वर्ष के आयु एवं 20.00 प्रतिशत 29 से 35 और 20.00 ही प्रतिशत लोग 36 से 50 वर्ष आयु के लोग हैं और 12.00 प्रतिशत लोग 50.00 आयु वर्ग से ऊपर हैं।

सारणी संख्या 1.2

आपके परिवार के विकास सभी सदस्यों का सहयोग के आधार पर

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	15	60.00
नहीं	10	40.00
योग	**25**	**100**.00

स्रोत–प्राथमिक

उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि 60.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उनको परिवार के लोग सहयोग प्रदान करते हैं और 40.00 प्रतिशत लोगों के अनुसार परिवार सहयोग का अभाव है।

अतः प्राथमिक आँकड़े के आधार पर पाया गया कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास के आधार पर देखें तो अभिजन वर्ग के लोगों सहयोग रहता है।

सारणी संख्या 1.3

अभिजन वर्ग के लोगों के परिवार का सामाजिक विकास

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	20	80.00
नहीं	5	20.00
योग	**25**	**100**.00

स्रोत– प्राथमिक

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट है कि 80.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सामाजिक विकास हुआ है वहीं 20.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उनका पूरी तरह से परिवार काविकास नहीं हुआ है।

अतः ज्यादातर लोगों का मानना है कि उनका पारिवारिक विकास हुआ है वे समाज के विभिन्न क्षेत्र में पहचान स्थापित कर रहे हैं।

सारणी संख्या 1.4

परिवार में महिला एवं पुरूष भेदभाव के आधार पर

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	18	72.00
नहीं	7	28.00
योग	**25**	**100**.00

स्रोत– प्राथमिक

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि महिला पुरूष भेदभाव के अनुसार 72.00 प्रतिशत लोग कोई भेदभाव नहीं होता है जबकि 28.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार कहीं न कहीं भेदभाव देखने को मिलता है।

अतः निष्कर्ष के रूप में देखें तो महिला और पुरूषों में भेदभाव कम हुआ पहले के तुलना में महिला सशक्तिकरण हुआ है।

सारणी संख्या 1.5

परिवार के लोगों के बीच आपसी सम्पर्क के आधार

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	17	68.00
नहीं	8	32.00
योग	**25**	**100**.00

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि 68.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि इसमें लोग आपसी सामंजस्य बनाकर रहते हैं। 32.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है, परिवार सामंजस्य बनाने में समस्या उत्पन्न होती है।

अतः परिवार समाज को निर्धारण प्रदान करता है जैसा आकड़ों से प्राप्त उत्तर से प्राप्त हुआ कि लोगों के पारिवारिक सामंजस्य बनाकर रखते हैं।

सारणी संख्या 1.6

अभिजन वर्ग के लोगों में शिक्षा के आधार पर

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	23	92.00
नहीं	2	8.00
योग	**25**	**100**.00

स्रोत– प्राथमिक

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि 92.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि वे पूर्णतः शिक्षित हैं और वही पर 8.00 प्रतिशत लोगों का मानना है वे पूर्णतः शिक्षित नहीं हैं।

अतः अभिजन वर्ग के लोगों में ज्यादातर शिक्षित हैं।

सारणी संख्या 1.7

अभिजन वर्ग के लोगों एवं निम्न वर्ग के बीच सामाजिक सम्पर्क के आधार पर

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	18	72.00
नहीं	7	28.00
योग	**25**	**100**.00

स्रोत– प्राथमिक

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि 72.00 प्रतिशत लोगों का मानना है कि वे अपने समाज के निम्न वर्ग के लोगों से सम्पर्क रखते हैं और 28.00 प्रतिशत लोगों का मानना है कि वे समाज में सम्पर्क रखते हैं।

अतः ज्यादातर लोगों का मानना है कि वे समाज के लोगों से सम्पर्क रखते हैं और जरूरत पड़ने पर सहायता भी करते हैं।

सारणी संख्या 1.8

परिवार के बच्चों का शिक्षा के प्रति जागरूकता के आधार पर

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	22	88.00
नहीं	3	12.00
योग	**25**	**100**.00

स्रोत– प्राथमिक

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट होता है कि वे 88.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि वे अपने बच्चों का पारिवारिक विकास एवं शिक्षा का उचित तरीके से प्रबन्ध करते हैं एवं वहीं पर 12.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार वे उनके बच्चों में कहीं ना कहीं हर चीजे होने के बावजूद वे शिक्षा से दूर हो जाते हैं।

अतः निष्कर्ष के रूप में अभिजन वर्ग के लोगों में शिक्षा स्तर उच्च पाया गया।

निष्कर्ष :–

अभिजन वर्ग समाज का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में सर्वोच्च है जिससे अभिजत वर्ग के पारिवारिक विकास हुआ है, परिवार के रहन सहन, खान–पान के तौर तरीके सामान्य लोगों से अलग है उनके घर के बच्चों, महिलाओं में भी विशेष अन्तर है अनुसूचित जातियों के निम्न वर्ग की तुलना में अभिजन वर्ग के महिलाओं में भी आत्म निर्भरता में वृद्धि एवं सशक्तिकरण हुआ हैं साथ ही उनके परिवार हर एक सदस्य नौकरी एवं अच्छे व्यवसाय से जुड़ा है। इसलिए उनको ज्यादा समस्या नहीं है परन्तु आन्तरिक समस्या है। प्राथमिक एवं द्वैतीयक स्रोत के आँकड़े से जैसा प्रतीत हो रहा है कि अनुसूचित जातियों के अभिजन वर्ग के लोगों के पारिवारिक सहयोग, सांमजस्य, महिला पुरूष में भेदभाव सम्बन्धित कुछ समस्यायें विद्यमान हैं। इस प्रकार देखें तो हम पहले की अपेक्षा वर्तमान परिपेक्ष्य में अभिजन वर्ग के लोगों का पारिवारिक विकास तेजी से हुआ है। अनुसूचित जातियो के लोगों में चेतना में वृद्धि हुई है, साथ ही अनुसूचित जातियों के निम्न वर्ग को अभिजन वर्ग के द्वारा सहयोग प्रदान हो रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. Mohan, Madan, Planning & Development in India, Umang Publication, New Delhi, 2017.
2. तिवारी, जयकान्त, 2003, ''भारत का समाजशास्त्र'', अवध पब्लिशिंग हाऊस, लखनऊ।
3. कमल, राजवीर सिंह, 2007, 'दलित समाज : दशा और दिशा', कान्ती पब्लिकेशन्स दिल्ली।
4. पाण्डेय अनुराधा, 2010, महिला सशक्तिकरण, इशिका पब्लिकेशन हाऊस, जयपुर।
5. एम.एन. श्रीनिवास : (2016),आधुनिक भारत में जाति, राजकमल प्रकाशन, प्रा. लि. नई दिल्ली
6. चलम के. एस. :(2017), आर्थिक सुधार और सामाजिक अपवर्जन भारत में उपेक्षित समूहों पर उदारीकरण का प्रभाव, सेज पब्लिकेशन्स प्रा0लि0 नई दिल्ली।

7. नामदेव, संन्देश, विजय कुमार, दलित चेतना और स्त्री विमर्श, 2009, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ला।

8. त्रिपाठी, मधुसूदन, 2010, महिला विकास एक मूल्यांकन, ओमेगा पब्लिकेशन, दिल्ली ।

9. ओमवेट, गेल, 2017, 'दलित और प्रजातान्त्रिक क्रान्ति, उपनिवेशीय भारत में डॉ0 अम्बेडकर एवं दलित आन्दोलन, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, ।

10. ओझा सीमा, 2009,भारत प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, ।

11. ओझा, एन0एन0,अंक 4, 'भारत योजना 2009', क्रॉनिकल पब्लिकेशन प्रा0लि0 नई दिल्ली, नवम्बर 2017।

विज्ञापन के कर्मकार और उनके कार्य

डॉ0 भगवती नन्दन मिश्र

प्रवक्ता, दृश्यकला, नाथ चन्द्रावत महाविद्यालय जगदीशपुर गोरखपुर

विज्ञापन संदेश भेजने की एक कला है विज्ञापन क्षेत्र में कार्यरत कार्मकारों के निम्न दो वर्गों में विचार किया जाता है।

1. वे रचनात्मक कर्मकार जो रेडियो, टेलीविजन के प्रिंटकॉपी, कला तथा मार्केटिंग कार्यक्रमों के नियोजन में लगे हैं, उपभोक्ता तथा एजेन्सी के सम्पर्क मे है उन्हें ''आइडियामैन'' कहा जाता है।
2. वाणिज्य के वे कर्मकार जो प्रशासनिक शोध तथा सहायक कार्यों में लगे हुए हैं जिन्हें नियोजन, प्रशासन तथा निर्णय लेने की हैसियत है जो विज्ञापन के लिए आवश्यक भी है उन्हें ''विजिनेस पर्सोनेल'' कहा जाता है।

रचनात्मक व्यवसायी–

विज्ञापन क्षेत्र में प्रभावी लोग रचनात्मक सोच वाले लोग हैं जो थीम को सोचते हैं, व्यूह रचना की खोज करते हैं जिससे उत्पादों की खपत तथा सेवा की सतता उपभोक्ता के साथ प्रभावी संदेश के साथ बना रहता है निश्चित ही विज्ञापन कर्मियों का विश्वास है कि उनकी आइडिया ही जो वे स्वंय पैदा करते है, एक पूॅजी है वे अपने आप में इस बात का गर्व महसूस करते हैं। निश्चित ही कहा जा सकता है कि आज के परिवर्तनशील प्रतिस्पर्धात्मक इकोनामी में प्रभावी विज्ञापन बिना रचनात्मकता के नहीं किया जा सकता। विज्ञापन के रचनात्मक अवयवों को पुरूष तथा महिला विज्ञापनकर्ती मिलकर मूल विज्ञापन एजेन्सी तथा डिपार्टमेण्ट का निर्माण करते हैं। ''लियो बर्नेट चेयरमैन, लियो बर्नेट कम्पनी शिकागो ने'' क्रिएटिव प्रोफेसनल के बारे में निम्न भावना व्यक्त की है।

1. सर्वप्रथम उसका विश्वास विज्ञापनों में रहना चाहिए। उत्पाद, उपभोक्ता, स्पर्धा तथा एजेन्सी के प्रति उसमें सम्मान होना चाहिए।
2. वह उस उत्पाद के विज्ञापन की प्रेरणा के वास्तविक उद्देश्य से भिज्ञ है कि वह क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता? लोगों के जीवन में उस उत्पाद का क्या महत्व है उनके लिए कितना लाभकारी है।
3. उसके पास आइडिया के प्रति वास्तविक अभिलाषा है तो वह उपभोक्ता तक पहुॅचने की कोशिश में कमी नहीं करता।
4. वह अत्यन्त सूक्ष्म मस्तिष्क तथा जिज्ञासा के साथ नये तकनीकि को तलाशता है पुराने अनुभवों के आधार पर नये विज्ञापन में क्या शिक्षा देना चाहता है जिससे पूर्व में महसूस की गई कठिनाइयो से मुक्त हुआ जा सकता है।
5. वह शोध को एक मास्टर के रूप में नहीं अपितु एक सेवा के रूप में प्रयोग करता है। मिडिया पर अनुमानित व्यय का आकलन करने के बाद अनुबंध हस्ताक्षरित हो जाता है।

रचनात्मक लोगों के विशेष गुण–

हमें रचनात्मक विज्ञापन कार्यों के लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो अपने व्यक्तिगत विज्ञापन कार्यों से रचनात्मकता को प्रदर्शित करते हैं।

रचनात्मक व्यक्तियों को समझने के लिए अनेकों प्रयास किये गये हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के इन्स्टीच्यूट आफ पर्सनालिटी असेस्मेंट एण्ड रिसर्च (IPAR) में मनोवैज्ञानिक गहन शोध कार्य कर रहे हैं। शोध के कुछ अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि रचनात्मकता के विभिन्न प्रकार तथा स्तर पाये गये हैं जैसे– पापुलर म्यूजिक में तथा हायर मैथमेटिक्स में।

रचनात्मक व्यक्ति उच्च अन्तर्ज्ञानी होते हैं। वे छोटे विवरण से रूचि नहीं रखते हैं। विशेषकर वे अभिप्राय वस्तु तथा आइडिया के प्रतिकात्मक समकक्षता में रूचि रखते हैं। रचनात्मक व्यक्ति अपने लक्षण से होता है अनुरूपता से नहीं होता। सच्चे रूप में रचनात्मक व्यक्ति साधारण तथा अनाश्रित होता है। रचनात्मक व्यक्ति संतुष्ट छात्र नहीं होता है। यह सामुहिक कार्य से विरोध करता है वह अपना उद्देश्य ऐसा निर्धारित करता है जो किसी वर्ग के लिए निर्धारित कार्य के विरोध में होता है। वह अपने स्वंय के रूचि का पालन करता है।

वास्तव में एक रचनात्मक व्यक्ति चाहे वह समाज में हो या विद्यालय में वह आज समाज के मूल्यों में हो रहे संघर्ष का शिकार हो गया है।

रचनात्मक गुणी सदा कायम रहे हैं तथा पुष्पित होने की व्यवस्था करते रहे हैं और आगे भी सतता बनाये रहेंगे। उच्च स्तर की बुद्धि उच्च स्तर की रचनात्मकता को प्रदर्शित नहीं कर सकती। उच्च स्तर बुद्धि रखने वाले बहुत से लोग रचनात्मक नहीं होते हैं परन्तु अधिक रचनात्मक लोग औसत स्तर पर बुद्धिमान होते हैं।

दो मनोवैज्ञानिक जो शिकागो विश्वविद्यालय के थे जैकब डब्ल्यू गेट जेल तथा फिलिप्स डब्ल्यू जैकसन ने सेकेण्ड्री विद्यालय के किशोरों का अध्ययन 4 वर्ष तक किये। छात्रों को दो ग्रुप में बॉटा गया (1) वे जो उच्च बुद्धि वाले थे लेकिन रचनात्मकता में बराबर नहीं थे।

(2) वे जो रचनात्मकता में उॅचे हैं लेकिन गुण में समान नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षक उॅचे गुणों वाले मनुष्यों को स्पष्टतः पसंद करेंगे। रचनात्मक छात्र अच्छे अंक की उम्मीद नहीं करते थे परन्तु उनके पास रूचि का आधार क्षेत्र था तथा भावनात्मक स्थिरता अधिक थी।

उॅचे आई. क्यू. वाले छात्र युवा अवस्था में सफलता हेतु उस क्वालिटी को अपनाना चाहते थे जिसे वे सफलता हेतु उपयुक्त समझते थे जो रचनात्मक सोच वाले छात्र थे वे भावी सफलता हेतु कम चिंतित थे। व्यवसाय के रूप में उॅचे आई.क्यू. वाले छात्र परम्परागत व्यवसाय को चुनते हैं जैसे, वकील, डाक्टर, प्रोफेसर जबकि रचनात्मक छात्रों ने अपरम्परागत व्यवसाय को चुना जैसे– लेखक, आविष्कारक, खोज करने वाला।

ये शोध विज्ञापन के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में बहुत से कार्य हैं जिसमें उच्चकोटि के रचनात्मकता की आवश्यकता है बहुत से विज्ञापन विभागों तथा एजेन्सीज में रचनात्मकता वाले उत्साही तथा प्रभावशाली होते हैं इसका अर्थ यह नहीं कि जो व्यापार का कार्य करते हैं वह कम महत्व का कार्य है इससे अलग वे मार्केटिंग व अन्य गतिविधि के लिए आवश्यक है।

जब रचनात्मक व्यक्ति विज्ञापन के क्षेत्र में कैरियर पाते हैं तो लाक्षणिक रूप से कला को अपनाते हैं या प्रतिलेख के लिए प्रिन्ट में या रेडियो टेलीविजन में जाते हैं। विज्ञापन में रचनात्मक तथा व्यापारिक पदों पर काम करने के लिए विज्ञापन एजेन्सी तथा उसके क्रिया क्लाप से अवगत हो जाना चाहिए।

विज्ञापन एजेन्सी– मास कम्यूनिकेसन में विज्ञापन एजेन्सी एक अनुभवी सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करती है विज्ञापन कर्ता एजेन्सी को हायर करता है।

एजेन्सी सर्विस स्टैन्डर्ड–

अमेरिका ऐसासिएशन ऑफ एडवरटाइजिंग एजेन्सी के अनुसार किसी उत्पाद या सेवा के सम्बन्ध में पब्लिक में व्याख्या करना। आर्थात् पूरा अथवा जिस पार्ट के बारे में जनता में व्याख्या करनी है विज्ञापन एजेन्सी उस पार्ट की व्याख्या विज्ञापन कर्ता के अनुसार करता है जिससे उपभोक्ता उससे लाभान्वित हो जाय। ब्याख्या सेवा में अनेक विजिनेस गतिविधियों की जरूरत पड़ती है।

1. ग्राहक के उत्पाद या सेवा का अध्ययन इस दृष्टिकोण से करना कि उसमें कौन सी सुविधाएं अथवा असुविधाएं अन्तर्निहित है तथा स्पर्धा के क्षेत्र में कहां तक कामयाब होगी।
2. बाजार का वर्तमान तथा सम्भाव्यता का विश्लेषण करना जिसमें उत्पाद या सेवा को विज्ञापित करना है जैसे– 1 स्थान 2 सम्भावित विक्रय 3 मौसम 4 व्यापार तथा आर्थिक परिस्थितियां 5 प्रतिस्पर्धा की प्रकृति एवम् एमाउण्ट
3. वितरण तथा विक्रय के कारकों के प्रयोग करने के तरीकों की जानकारी का ज्ञान।
4. समस्त उपलब्ध मीडिया तथा संशाधनों का ज्ञान जिनका लाभ के लिए प्रयोग किया जा सकता है उसके माध्यम से उत्पाद या सेवा को उपभोक्ता, थोकविक्रेता, फुटकर विक्रेता, ठेकेदार तथा अन्य सम्बन्धित को व्यक्त किया जायेगा जो निम्न को आच्छादित करता है।

 अ– पात्र *ब*– प्रभाव *स*– मात्रा *द*– गुणपूर्णता *य*– भौतिक आवश्यकता *र*– दाम/मूल्य
5. योजना निर्धारित कर उसे ग्राहक के सामने प्रदर्शित करना।
6. उक्त योजना का क्रियान्वयन

 अ. राइटिंग, डिजाइनिंग, विज्ञापन का इलस्ट्रेसन या अन्य संदेश वाहक तरीकें

 ब. स्थान, समय या विज्ञापन के अन्य साधनों का ठेका करना।

 स. ठेके के अनुसार संदेश का उचित यान्त्रिकी समावेश करना।

 द. प्रयुक्त डिस्प्ले या अन्य माध्यमों को चेक तथा सत्यापन करना।

 य. सेवा, स्थान तैयारी के लिए आडिटिंग, विलिंग करना।
7. ग्राहक के विक्रय कार्य में सहयोग करके विज्ञापन के अधिकतम प्रभाव को सुनिश्चित करना।

विज्ञापन एजेन्सी परामर्श तथा रचनात्मक सेवा देने के लिए गठित की जाती है जो अपने ग्राहक, विज्ञापनकर्ता, निर्माता, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, विद्यालय, चर्च, जनहित, बैंक या कोई संस्था जो किसी वस्तु या सेवा का जो बेचना चाहता है उसे प्रदान करती है। ग्राहक जो अपने संस्था में विज्ञापन

की व्यवस्था करता है उससे अच्छी व्यवस्था तथा संशोधन, विज्ञापन एजेन्सी के पास होती है। बड़ी एजेंसियों के पास अनुभवी तथा प्रशिक्षित विशेषज्ञ होते हैं जो विभिन्न उधोगों में सेवा देने से काफी अनुभव प्राप्त कर लेते हैं।

मार्केटिंग के क्षेत्र में अमेरिकन विज्ञापन एजेन्सी पूरे विश्व में अत्यन्त प्रभावशाली श्रोत के रूप में जानी जाती है जो इमेजिनेसन (कल्पना), इन्फॉरमेशन (सूचना) तथा इनीसिएटिव (पहल) के क्षेत्र में वांक्षित सामग्री प्रदान करती है। कुछ कम्पनियां मार्केटिंग आइडिया को विकसित करने हेतु परामर्स लेने हेतु एजेन्सी को हायर करती हैं कुछ ग्राहक प्रबन्धन तथा मार्केटिंग आर्गेनाइजेसन एजेन्सी से मिलकर रचनात्मक क्षमता को जोड़कर कार्य कर रही है जिससे कम्पनियों की बिक्री बढ़ जाती है।

रचनात्मक व्यक्तियों के कार्यो से ग्राहक की मार्केटिंग की आवश्यकता की पूर्ति होती है उस व्यक्ति को एजेन्सी का मालिक निश्चित रूप से अपनी एजेन्सी में हायर करता है जिससे सभी का विकास होता है।

एक ग्राहक तथा एक एजेन्सी के बीच लगभग छः वर्ष से कम का सम्बन्ध होता है इससे यदि ग्राहक का बिजिनेस कम होता है तो एजेन्सी को जिम्मेदार मानता है फलतः दूसरी एजेन्सी से सम्पर्क कर लेता है। ''इन्डस्ट्रियल रिसर्च एण्ड डेवलपमेण्ट डिपार्टमेंट'' वर्षो तक रिसर्च करके अपने उत्पाद को अपन कम्पेटीटर्स की तुलना और अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। मैनेजमेंट मार्केट से तत्काल रिजल्ट चाहता है और कहता है कि अब जो हम नया उत्पाद बना रहे हैं नयी एजेन्सी उसे बेच सकेगी अर्थात् बिक्री कम होने की दशा में एजेन्सी बदलने की पूर्व सूचना प्रसारित कर दी जाती है।

ग्राहक एजेन्सी (कलाएन्ट एजेन्सी) रिलेसनशिप में रोजमर्रा के सम्बन्ध से खटास आने लगती है। जब रचनात्मक सदस्य एजेन्सी की तरफ से नयी आइडिया प्रस्तुत करते हैं तो ग्राहक नयी आइडिया पर विचार करने की तुलना में वर्तमान में अपने कमियों को ढूढ़ने पर बल देते है इस प्रकार जब बिक्री में कमी आयी तो एजेन्सी को ''बलि का बकरा'' (स्केप गोट) बन जाना पड़ता है इसका मतलब यह है कि जो रचनात्मक क्रिएटिव व्यक्ति हैं उनको अपने आप पर आत्मविश्वास होता है वे खुशी से सरवाइव (जीवित) कहे जाते हैं। कुछ बड़े कम्पनियों ने अपने स्वंय के विज्ञापन हेतु '' हाउस एजेन्सी'' खोल लिए है। 2ः से कम कम्पनियों ने अपना हाउस एजेन्सी खोल रखा है। बड़ी कम्पनियां कई एजेन्सियों के माध्यम से विज्ञापन पर बहुत ज्यादा डालर खर्च करती है। एजेन्सी विज्ञापनकर्ता के लिए कार्य करती है। परम्परागत चार्ज सेवा के लिए पब्लिकेसन में स्पेस के दाम का 15ः तथा रेडियो टेलीविजन मे समय का दाम लगता है। एजेन्सी की प्राइजलिस्ट के अनुसार डिस्काउन्ट उस माध्यम द्वारा दिया जाता है जिसमें स्पेस तथा टाइम क्रय किया गया है। मीडियम–मैग्जिन, समाचार–पत्र, स्टेशन या नेटवर्क हो सकते है। एजेन्सी अकसर अन्य सेवा से फीस प्राप्त कर लेती है जैसे– कन्ज्यूमर सर्वे कला कार्य तथा खोदायी से निकली प्लेट का चिप आदि पर।

एजेन्सी विज्ञापन के विलिंग एमाउण्ट में मीडिया कास्ट जोड़ती हैं। जो एजेन्सी के बीच अलग–अलग होता है कुछ एजेन्सी मीडिया कास्ट के रूप में 15 प्रतिशत जोड़ती है तो कुछ 17.65 प्रतिशत जोड़ती है।

लगभग दो तिहाई एजेन्सीज में 7 आदमी से कम लोग होते हैं तीन प्रतिशत कम्पनियों में 30 या अधिक लोग काम करते है। कुछ ही ऐसे है जिनकी पूरे एक वर्ष का लेखा–जोखा 100 मिलियन डालर होता हैं। कुछ एजेन्सी ऐसी होती हैं जिनमें 1000 या अधिक कर्मचारी काम करते है जिससे कार्य का

विकेन्द्रीकरण करके ग्राहक को व्यक्तिगत रूप से अटेन्ड किया जाता है। छोटी एजेन्सी बनाने की प्रबलता इसलिए दी जाती है कि वे व्यक्तिगत सेवा संगठन है। रचनात्मकता के आधार पर छोटी एजेन्सी बड़ी एजेन्सी की कम्पटीशन में आ जाती है।

एजेन्सी में ट्रेन्ड तथा अनुभवी कर्मचारी रखे जाते हैं जो विज्ञापन के सभी क्षेत्रों का अनुभव रखते हैं अथवा ऐसी एजेन्सी होती है जो कार्य विशेष में दक्ष होती है वह विज्ञापन के उसी विशेष कार्य को करती है।

जब कभी शब्द, पिक्चर या आइडिया की आवश्यकता टेलीविजन, स्पीचेज, प्रस्तुतिकरण, पैकेज डिजाइन तथा अन्य मार्केटिंग समस्याओं के लिए पड़ती है या स्पेस एडवरटाइजिंग के लिए पड़ती है उस समय ''कापी एण्ड सर्विसेज'' की सेवा उपलब्ध होती है।

वर्कर्स–

कापीराइटर

टेलीविजन एण्ड रेडियो प्रोडक्शन

लेआउट मैन

कनटैक्ट मैन/एकाउन्ट एक्जेक्यूटिव

मीडिया मैन

रिसर्च मैन

प्रोडक्सन मैन

अन्य

सन्दर्भ ग्रन्थ–

1- Advertising Creative Communication with Consumers - Mc Graw-Hill-Book Company, New York, San Francisco, Toronto, London

2. Advertising Art & Ideas- G.M. Rege

3. भारतीय विज्ञापन में नैतिकता, मधु अग्रवाल

चेरो जनजाति की आर्थिक स्थिति

डॉ0 शंभु नाथ मिश्र

लटमा रोड, सिंह मोड़, हटिया, राँची (झारखण्ड)

मानव की आर्थिक क्रियाओं को उसके जीवन के अन्य पक्षों से अलग करके नहीं देखा ता सकता है। जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, उसका वितरण और उसका उपभोग करना ही आर्थिक क्रिया का आधार है। उत्पादन, विनिमय, उपभोग तथा संपत्ति सभी सामाजिक संगठन से घनिष्ठ रूप से जुडे हुए हैं। मानव अपनी आवश्यक्ताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति का दोहन करता है तथा दोहन के साधन उसे संस्कृति से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पर्यावरण और संस्कृति की अन्तःक्रिया ही आर्थिक संगठन को जन्म देती है।

झारखण्ड के जनजातियों की आथिक स्थिति को उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिवेश से अलग होकर नही समझा जा सकता है। यहाँ की कुछ जनजातियाँ आज भी जीवन के प्राथमिक स्तर पर है,ये अपनी आजीविका के लिए पूर्णरूप से प्रकृति पर निर्भर हैं। झारखण्ड की जनजातियों की आर्थिक स्थिति मुख्य रूप से निम्न प्रकार वर्गीकृत है–(क) खाद्य संग्रहक वे शिकारी (ख) अस्थाई कृषि (ग) स्थाई कृषि (घ) दस्तकार (ङ) औद्यौगिक मजदूर (च) नौकरी पेसा में लगे व्यक्ति।

चेरो जनजाति स्थायी कृषक वर्ग में आती है। इनमें भूमि बटाई पर देने वालों की संख्या कम है। खेती आज भी परंपरागत तरीके से करते हैं। खेती के माध्यम में हल बैल व लाह कुंडी आदि दोनों का प्रयोग होता है। थोडे संपन्न चेरो ट्रेक्टर एवं पानी पंप से खेती का कार्य करते हैं पर ऐसे किसानों की संख्या कम है। इनके द्वारा उत्पादित किये जाने वाले खाद्य पदार्थों में धान मकई अरहर बादाम सरसों गेहूं सब्जी बाजरा व महुआ आदि प्रमुख हैं। इनका मुख्य खर्च भोजन, चिकित्सा, मजदूरी कृषि पर्व शराब शिक्षा पर होता है। शिक्षा पर खर्च का कारण इनमें आइ हुई जागरूकता है। सालों भर कृषि से ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं बल्कि इसके अलावा ये पलायन के लिए मसहुर है। पलायन करते लोगों की स्थिति में होने वाला बदलाव इनको पलायन हेतू आकर्षित करता है। जिसका कारण स्थानीय स्तर पर मजदूरी करने की अवस्था में कम मजदूरी का मिलना भी है। स्थानीय स्तर अर्थात गांव घर में मजदूरी करने की अवस्था में लोगों को मजदूरी के अतिरिक्त सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का खाना उपलब्ध कराया जाता है। स्त्री एवं पुरूष दोनों के काम करने की स्थिति में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं को कम मजदूरी प्राप्त होती है। मजदूरी पर निर्भर रहने वाले लोग नगदी और अनाज के रूप में भी आय प्राप्त करते हैं। जो महिलायें मजदूरी नहीं करती वे अपने परिवार के कृषि कार्य में सहयोग करती हैं। कृषि के क्षेत्र में पुरूषों को हल चलाने व मिटटी काटने में एकाधिकार प्राप्त है। शेष कृषि से संबंधित सभी कार्यों में महिलायें सहयोग करती हैं। जिसमें फसल को बोना, काटना, रोपना व उचित जगह पर भंडारण करना है।

झारखण्ड को राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय बाहुल्य राज्य के रूप में जाना जाता है। यहाँ कुल 32 प्रकार की अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। इनमें अनेक प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विभिन्नता देखने को मिलती है। झारखण्ड की अनुसूचित जनजातियों को दो हिंस्सों में वांटा गया है – प्रमुख जनजातियाँ और आदिम जनजातियाँ। झारखण्ड में निवास करने वाली प्रमुख 24

जनजातियों में संथाल, उरॉव, मुण्डा, हो, बैगा, बंजारा, बथुडी, वेदिया, भूमिज, विंझिया, चेरो, चीक–वड़ाईक, गौंड, गोडाईत, करमाली, खडिया, खरवार, खोंद, किसान, कोरा, लोहरा, महली, कोल एवं कंवर हैं और असुर, विरहोर, बिरजिया, कोरवा, परहिया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया एवं सवर को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। जनजातीय कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार आदिम जनजातियों की प्रमुख विशेषताओं में कृषि पूर्व अर्थव्यवस्था, शिक्षा का निम्न स्तर एवं घटती हुई जनसंख्या है। झारखण्ड में निवास करनेवाली प्रमुख अनुसूचित जनजतियों की स्थिति आदिम जनजातियों की अपेक्षा बेहतर है।

अध्ययन क्षेत्र एवं शोध विधि

लातेहार जिला झारखण्ड के 24 जिलों में से एक है। लातेहार नगर इसका प्रशासनिक मुख्यालय है। यहॉ की जनसंख्या 7,25,665 है। जो लगभग भुटान की जनसंख्या के बराबर है। यहॉ जनसंख्या का घनत्व 520 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, वहीं दूसरी ओर इसकी जनसंख्या वृद्धि दर 29.38 प्रतिशत है।यहॉ की साक्षरता दर 61.38 प्रतिशत है। लातेहार जिला में चेरो जनजाति की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 23,215 है। लातेहार जिला 9 प्रखंडो में विभक्त है। वे है– लातेहार, गारू, मनिका, बरवाडीह, महुआडॉड, बालुमात, बारियातु, चन्दवा और हेरहंज। प्रस्तुत शोध अध्ययन बरवाडीह प्रखंड के कुटमु एवं केचकी गॉव में सम्पन्न किया गया है। यह गॉव बेतला रिजर्व फोरेस्ट तथा कोयल नदी एवं औरंगा नदी के बीच में अवस्थित है। इस अध्ययन के लिए समुह साक्षात्कार एवं अवलोकन शोध विधि का साहारा लिया गया है।

चेरो जनजाति का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

झारखण्ड के पाँच (5) प्रमण्डलों में पलामू भी एक प्रमण्डल है। इस प्रमण्डल में तीन जिले क्रमशः है : मेंदनीनगर, गढ़वा और लातेहार हैं। वर्ष 2011 के जनगणनना के अनुसार (पलामू प्रमण्डल की कुल जनसंख्या 3,98,8313 है। चेरो झारखण्ड में निवास करनेवाली प्रमुख अनुसूचित जनजातियों में से एक है। चेरो झारखण्ड के सभी जिलों में छिटपुट रूप से पाये जाते हैं, पर इनका मुख्य संकेन्द्रन पलामू प्रमण्डल के तीनो जिलों अर्थात मेदनीनगर, गढ़वा और लातेहार में है। इस जनजाति के राजाओं द्वारा पलामू पर लगभग 200 वर्षो तक (1613 इस्वी से 1818) शासन किया गया। 2011 के जनणगना के अनुसार चेरो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 95,575 है जिसमें पुरूष 48860 और महिलाएं 46715 है। पूर्व में इनका स्वतंत्र शासन भोजपूर (बिहार) में था। चेरो जनजाति की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार लातेहार में 23215, मेदनीनगर में 62346 एवं गढ़वा में 8081 है। प्रजातीय दृष्टिकोण से इस जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड समूह में रखा गया है। कर्नल डाल्टन ने अपनी पुस्तक ''इथनोलॉजी और बंगाल'' में लिखा है कि, पलामू के चेरो जनजाति शाहाबाद से निकाले गये थे। हरिमोहन अपनी पुस्तक (द चेरो) में लिखते हैं कि पलामू पर सत्तासीन मानसिंह के परिवार की हत्या कर पलामू की सत्ता पर चेरो द्वारा कब्जा किया था। वह वर्ष सन् 1613 था। चेरो के 200 वर्षो के शासन काल में सबसे ख्याती प्राप्त राजा मेदनीराय थे। उन्हीं के नाम पर डाल्टनगंज जिला (पलामू) का नाम बदलकर वर्तमान में मेदनीनगर कर दिया गया है। कर्नल डाल्टन के अनुसार चेरो परिवारों की शुरूआत राजा किशोर नारायण सिंह से हुआ, जो बंदी राजपुत थे तथा गुरू गोमती बुंदेलखंड के राजा भी थे। इनकी पुत्री का विवाह च्यवन मुनी से हुआ था। इसके बाद चेरो च्यवनवंशी कहे जाने लगे अर्थात चन्द्रमा का पुत्र कहे जाने लगे थे। चेरो पलामू में कोयल एवं ओरंगा नदी के किनारों पर बसे हैं। किसी भी स्थान

पर बसने से पूर्व चेरो इन बातों का ध्यान रखतें है– आवागमन के साधन, जंगली स्रोतो की उपलब्धता, उपजाऊ एवं कृषि योग्य भूमि, जल की उपलब्धता तथा मजदूर की उपलब्धता।

आर्थिक स्थिति

झारखण्ड में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक जीवन और जीविका का मुख्य आधार कृषि एवं वनोत्पादक है। यह जनजाति पलामू में आगमन के समय से ही स्थाई कृषक रहे हैं। चेरो जनजाति के आर्थिक जीवन के मुख्य स्रोत निम्नलिखित है।

कृषिः– कृषि आज भी चेरो जनजाति की आजीविका का मुख्य स्रोत है। ये अपने खेतों तें धान, मक्का, उरद, अरहर, बादाम,सरसो, गेहूँ, मडुवा, बाजरा एवं थोड़ी बहुत मात्रा में सब्जी की खेती करते हैं। ये आज भी हल बैल की सहायता से ही खेती करते हैं। इनकी कृषि पूर्ण रूप से मॉनसून पर निर्भर करती है। सिंचाई की सुविधा होने की स्थिति में थोड़ी बहुत सब्जी एवं गेहूं उपजा पाते हैं। इन फसलों का उपयोग खाने एवं बिक्री दोनो रूपों मे होता है। इनकी भूमि तीन प्रकार की है–दोन, टाँड वं बारी। दोन में धाान एवं गेहूँ की खेती होती है। टाँड में मक्का, बाजरा, अरहर, बादाम, मडुवा की खेती की जाती है, जबकि बारी में सब्जी, मक्का आदि उपजाया जाता है। चेरो जनजाति में अपनी भूमि को बटाई पर लेने एवं देने का काम भी प्रथा हैं। छोटे किसान जिनके पास कृषि कार्य करने का साधन नहीं है वेअपनी भूमि को बटाई पर लगाते हैं।

पशुपालनः– चेरो जनजाति में पशुपालन जीविकोपार्जन के प्रमुख साधनों में से एक रहा है। राजा मेदनीराय के काल से संबंधित एक लोकगीत इसे प्रमाणित भी करता है "धनि धनि राजा मेंदनिया, घर घर वाजे मनहनिया" अर्थात राजा मेदनीराय के राज में सभी चेरो परिवारों में पशुपालन किया जाता था, जिसके कारण सभी घरों में प्रचुर मात्रा में दूध–दही उपलब्ध रहता था। आज भी चेरो जनजाति के लोगो द्वारा पालतु पशुओं के रूप में गाय, बैल, बकरी का पालन किया जाता है। गाय का दुध पीने के साथ बेचने का भी काम करते है, तो बैल की सहायता से खेती करते हैं एवं बकरी बेचकर भी अन्य आवश्यक्ताओं की पूर्ति करते है। खस्सी (बकरी के बच्चो) को खाने के रूप में भी प्रयोग करते हैं।

वनोत्पादः–वन से इन्हें कन्द मूल, केन्द, पियार, दातुन, पत्तल, दोना के लिए पत्ता एवं जलावन के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। इनके धार्मिक अवसर करमा के लिए करम की डाली भी इन्हें वनो से ही प्राप्त होता है। अधिकांश चेरो जनजाति के लोग आज भी कच्चे एवं अर्ध पक्के मकानो में रहतें हैं फलतः इनके भवन निर्माण के लिए लकड़ियाँ बांस आदि वनों से हीं प्राप्त होते हैं। अपने निवास स्थान के पास की भूमिं पर लगे फसलों को जानवरों से बचाने के लिए घेराबंदी के लिए कांटे एवं झाडियॉ इन्हें वनों से हीं प्राप्त होता है।

मजदुरीः– वर्तमान समय में मजदुरी, चेरो अनुसूचित जनजाति के आय के मुख्य स्रोतों में से एक है। इनके द्वारा की जाने वाली मजदुरी के कार्यो को मुख्य रूप से तीन भागो में विभक्त किया जा सकता है– स्थानीय स्तर पर मजदुरी, पास के शहर में मजदुरी तथा मजदुरी के लिए अन्य राज्यो में पलायन। स्थानीय स्तर पर मजदुरी करने से इन्हें पैसों के अतिरिक्त दोपहर का भोजन भी प्राप्त होता है, पर इनकी मजदुरी दर कम होती है। कभी–कभी ये लोग सहयोग स्वरूप भी पड़ोसियो का काम सिर्फ भोजन पर कर देते हैं। सरकार द्वारा संचालित विकास के कार्यो में काम करने पर हीं इन्हें उचित मजदुरी मिल पाती है, जो महिला एवं पुरूष दोनो को एक समान मिलता है। स्थानीय नगरों में मजदुरी के लिए ये मुख्य तौर पर मेदनीनगर शहर जाते है। मेदनीनगर के लोगों का मानना है कि चेरो यदि इस शहर में

मजदुरी ना करे तो शहर में श्रम समस्या का संकट उत्पन्न हो जायेगा। इनका पलायन मजदुरी के लिए अन्य राज्यों में भी होता है जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात इत्यादि। इनका पलायन भी मौसमी एवं दीर्घकालिक होता है। पलायीत मजदुर के रूप में ये ईंट भट्ठों, कारखानों एवं खेतों में काम करते हैं। इन्हें दूसरों के लिए काम करना पसंद नहीं, परंतु मजबुरी में ये मजदूरी के लिए वाध्य है।

नौकरीः– चेरो महतो जनजाति के लोगों में नौकरी भी आय का एक मुख्य स्रोत है। इस जनजाति के बहुत कम लोग सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। पर अधिकांश चेरो जनजाति के लोग सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं। क्योंकि इससे न सिर्फ उनको सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है बल्कि वे लोगों के लिए आदर्श के रूप में स्थापित होते हैं। जिसका एकमात्र कारण आय का निरंतर स्रोत होना है।

निष्कर्षः–

झारखण्ड प्राचीन काल से जनजातियों की एक प्रमुख केन्द्र एवं शरणस्थली रही है। आज भी इस क्षेत्र की विशिष्टता जनजातीय समुदाय से ही रेखांकित होती है। इनमें से चेरो भी एक है।

वर्तमान समय में चेरो जनजाति के लोग अपने अस्तित्व के लिये कड़ा संघर्ष कर रहे हैं, ये कच्चे, आधे पक्के एवं पक्के मकानों में रहते हैं, आज भी अधिकांश जनसंख्या कच्चे मकानों में रहती हैं। कृषि इनकी जीविका का मुख्य आधार है। ये खेती साझा में लेते और देते हैं। खेतों से सही रूप से जीवन यापन न होने तथा पशुपालन जो इनकी जीविका के मुख्य साधनों में से एक था, वह भी अब न के बराबर रह गया है, इसके कारण ये मजदूरी एवं पलायन के लिये बाध्य हो गये हैं। इसके फलस्वरूप इनमें श्रम विभाजन की स्थिति देखने को मिलती है, जैसे राजमिस्त्री, बढ़इगिरी आदि। इन स्थितियों के लिये इनमें धन संचय की प्रवृत्ति का अभाव भी है। चेरो जनजाति के लोगों में यह भावना आज भी है कि इनके पूर्वज राजा थे, अतः ये किसी अन्य की भूमि पर काम करना या किसी की अधीनता नहीं स्वीकारना चाहते हैं। इनकी ऐसी मानसिकता भी इनकी गरीबी का कारण है, पर समय के साथ स्वतः इसमें परिवर्तन भी आने लगा है। चेरो जनजाति के लोगों में आज भी शिक्षा के प्रति विशेष झुकाव नहीं हो पाया है इससे निकट भविष्य में इनके आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावनायें नजर नहीं आती है। अन्य जनजातियों की भांति इनमें शराब की लत विकशित हो चुकी है जो अभिभावकों से युवाओं एवं बच्चों में भी आने लगा है, इससे इनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति में गिरावट आ रही है। बच्चों को भगवान की देन मानने के कारण भूमि पर जनसंख्या का भार भी बढ़ा है। अन्य जातियों एवं दबंगों द्वारा इनके भूमि पर कब्जा से इनमें भूमिहीनता की भी स्थिति आयी है। पलामू की वंजर भूमि, पलामू का वृष्टि छाया क्षेत्र होने एवं कृषि के लिये वर्षा पर निर्भरता भी इनकी निम्न आर्थिक स्थिति के लिये जिम्मेवार है। अब इस जनजाति के लोगों में कम लोगों द्वारा ही पशुपालन का कार्य किया जाता है। इनके मनोरंजन के परंपरागत साधन का विलोप होने से गवैया का काम कर जीवन यापन करने वाले लोगों ने भी अब मजदूरी कर अपना जीवन यापन करना प्रारंभ कर दिया है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार वर्तमान पूंजीवादी काल में बिना पूंजी के विकास नहीं किया जा सकता है ठिक उसी प्रकार से अगर चेरो जनजाति की आर्थिक स्थिति को उन्नत नहीं किया गया तो उनका विकसित होना कठिन प्रतित होता है। क्योंकि इसके कारण वे न तो समाज के वर्तमान व्यवस्था से मिल पाते हैं, संयुक्त हो पाते हैं और न ही उनके समान की स्थिति में अपने आपको स्थापित कर पाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि चेरो जनजाति के विकास के लिए आर्थिक आधार की योजनाओं को संचालित किया जाये जिससे उनमें आर्थिक विकास व उन्नती की भावना विकसित हो।

सरकारी स्तर पर इस जनजाति के लोगों को मत्स्यपालन, पषुपालन, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन एवं स्वरोगजार के लिये तकनिकी प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है, ताकि ये स्वावलम्बी बन सकें। ऐसा होने पर संभवतः यह जनजाति अन्य अनुसुचित जनजातियों की अपेक्षा तेजी से अपना विकास करने में सक्षम हो।

संदर्भ सूची :

1. जनगणना 2011, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. डाल्टन, ई0टी0, 1782, इथनोलॉजी ऑफ बंगाल, कलकत्ता,
3. तिवारी राम कुमार, 2004, झारखण्ड की रूपरेखा, शिवांगन पब्लिकेशन्स, राँची
4. निर्देशक, 2016, रामदयाल मुण्डा, जनजातीय कल्याण एवं शोध संस्थान, जर्नल 44 संस्करण
5. मिश्र, शंभु नाथ, 2002, चेरो जनजाति का सामाजिक एवं आर्थिक जीवन (शोध प्रबंध), राँची विश्वविद्यालय, राँची
6. मोहन, हरि 1973, The Chero, Bihar Tribal Wealfare Research Institute, Ranchi-
7. विरोत्तम, वी0, 2004, झारखण्ड इतिहास एवं संस्कृति, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना
8. वर्मा उमेश कुमार 2009, झारखण्ड का जनजातीय समाज, सुबोध ग्रंथमाला, राँची
9. शर्मा विमला चरण एवं विक्रम कीर्ति, 2006, झारखण्ड की जनजातियाँ, क्राऊन पब्लिकेशन्स, राँची
10. सिंह, सुनील कुमार, 2014, झारखण्ड परिदृश्य, तृतीय संस्करण, क्राउन पब्लिकेशन्स

आधुनिक समाज मे बुढ़ापा एक अभिशाप है

डॉ0 धर्मेन्द्र सोनकर

असि0 प्रो0 समाजशास्त्र विभाग, ज0ला0ने0स्मा0पी0जी0 कालेज, महराजगंज

भारत देश में जहॉ पर माता–पिता को भगवान का दर्जा प्राप्त है और कहा जाता है कि किस्मत वाले होते है वो लोग जिनके सर पर बुजुर्गो का होता है। ऐसे देश मे विकास के अन्धे दौड़ मे हम इतने अधिक संलिप्त हो गये है कि अब हमारे पास अपने माता पिता को देने के लिए समय नहीं है। वे माता–पिता जो हमारे लिए न जाने कितने त्याग किये होगें, हमें सभी सुख–सुविधाओं को प्रदान करने के न जाने कितने अनगिनत कष्ट सहें होगें आज उन्ही माता–पिता को हम अपने पास रखना नहीं चाहते। अब ये बुजुर्ग माता–पिता हमारे लिए बोझ बन गये है। जिसके कारण इनकी स्थिति दिनो दिन दयनीय होती जा रही है। ये बुजुर्ग न केवल शारीरिक बल्कि आर्थिक समस्याओं से भी जुझ रहें है। बढ़ती उम्र सामाजिक और पारिवारिक उपेक्षा, उस पर सरकारी उदासीनता ने बुजुर्गो को इस कदर अलग–थलग कर दिया है कि बुढ़ापा उनके लिए अभिशाप बन गया हैं। कहने को बुजुर्गो को वरिष्ठ नागरिक का तमगा देकर उन्हे कुछ सुविधाये देने की औपचारिकता जरुर की गयी है, लेकिन कुल मिलाकर बुजुर्गो की सुध लेने वाला कोई नही है।

दुनियाभर मे बुजुर्गो के रहने लायक देशों की कतार मे भारत काफी पीछे है। विश्वस्तरीय आकलन के मुताबिक स्विटजरलैण्ड बुजुर्गो के लिहाज से सबसे बेहतर है। लेकिन इस मामले मे भारत 71 वें स्थान पर है। विश्व मे खासकर विकासशील देशों मे उम्रदराज लोगों की संख्या और उनके साथ बुरे बर्ताव की घटनाएं बढ़ रही है। ग्लोबल एजवॉच इंडेक्स के अनुसार बुजुर्गो के लिए मुफीद देंशों मे स्विटरजरलैण्ड के बाद क्रमशः नार्वे, स्वीडन, जर्मनी, कनाडा, नीदरलैण्ड, आइसलैण्ड और जापान का नम्बर है। साल 2015 मे जारी 96 देशों की फेहरिस्त मे अमेरिका 10 वे पायदान पर है। संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के मुताबिक दुनिया मे करीब चार से छः फीसदी बुजुर्ग अपने घर मे बुरा व्यवहार झेलते है। लगभग 13 प्रतिशत बुजुर्गो की बुनियादी जरुरतें पूरी नही की जाती। नौ प्रतिशत बुजुर्ग का शारीरिक उत्पीड़न या हमला होता है। जबकि 13 प्रतिशत को मानसिक प्रताड़ना झोलनी पड़ती है। हेल्पेज इण्डिया के सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों का व्यवहार बुजुर्गो के साथ सबसे बुरा होता है यहां 26 फीसदी बुजुर्गो को बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद 22 फीसदी के साथ बेंगलूर का नम्बर आता है।

भारत देश के विभिन्न राज्यों मे बुजुर्गो के उत्पीड़न की बात करे तो 2012 के एक सर्वे के अनुसार, मध्य प्रदेश मे 77.12, असम में 60, उत्तर प्रदेश मे 52, गुजरात मे 43, आन्ध्र प्रदेश मे 42.86, पश्चिम बंगाल मे 40.93, महाराष्ट्र मे 30.0, दिल्ली 29.82, तमिलनाडु 27.56 फीसदी, मामले सामने आये।

सरकारी स्तर पर 60 से 65 की उम्र के लोगों को बुजुर्ग माना जाता है। अस्सी साल या ज्यादा मे उम्र के लोगो को बुजुर्गो मे बुजुर्ग मानने की धारणा विकासशील देशों मे मुख्य रुप से तेजी से बदल रही है। अभी दुनिया मे अस्सी साल से ज्यादा उम्र के लोगों की कुल आबादी 1.6 फीसदी है। 2050 तक इसके 4.3 फीसदी हो जाने का अनुमान है। भारत मे 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगो की संख्या दस

करोड़ से ज्यादा है। इनमे से 75 फीसदी गांवो मे रहते है। रजिस्टार जनरल आफ इण्डिया के अध्ययन से पता चला है कि भारत मे तेजी से उम्र विस्तार हो रहा है। 1998 मे जो औसत उम्र थी उसमे 2005 मे पुरुषों के मामले मे 4 से 6 साल और महिलाओं के मामले मे तीन साल की वृद्वि हुई। हम यदि भविष्य की बात करें तो एक अनुमान के आधार पर यह माना जा रहा है कि 2012 मे औसत भारतीय पुरुष की उम्र 69.8 साल हो जायेगी महिलाओ की औसत उम्र तब 72.3 साल रहेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्ययत बताता है कि उम्र बढ़ने के साथ–साथ बुजुर्गो को गंभीर बीमारियों की चपेट मे आने की आशंका बढ़ जाती है। भारत समेत छः विकासशाील देशों मे किये गए अध्ययन का निचोड़ यह है कि 50 साल से ज्यादा उम्र के 87.9 फीसदी पुरुषों व 93.5 फीसदी महिलाओं को पर्याप्त पोषक आहार उपलब्ध नही है जो उनकी शारीरिक व्याधियां बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है उपेक्षा और प्रताड़ना से हर चार मे से एक यानी 25 प्रतिशत बुजुर्ग मानसिक अवसाद का शिकार है। हर तीन मे से एक बुजुर्ग गठिया का शिकार है और हर पांचवा बुजुर्ग सुनने की क्षमता को खो चुका है। ग्रामीण इलाकों मे हर तीन से एक और शहरी इलाकों मे हर दो मे से एक बुजुर्ग उच्च रक्त चाप का शिकार है। करीब आधों की आंखों की रोशनी खराब है। दस मे से एक बुजुर्ग किसी न किसी हादसे की बजह से फ्रेक्चर का शिकार हो चुका है। साठ साल से ज्यादा उम्र के चालीस फीसदी लागों को अनिद्रा की शिकायत रहती है। गांवो मे दस और शहरों मे 40 फीसदी लोग मधुमेह का शिकार है।

आधुनिक समाज मे बुढापा एक अभिशाप बनता जा रहा है। आधुनिक जीवन का यह संकट केवल विकसित देशों तक ही सीमित नही है बल्कि यह भारत जैसे देशों मे भी तेजी फैल रहा है। संयुक्त परिवारों का विघटन, एकांकी परिवारो का बढ़ता चलन, बच्चों की संख्या कम होने तथा नौकरी करने के लिए बच्चों का दूसरे शहरों मे चले जाने से भी बुजुर्ग लोग तेजी से को सहारा होते जा रहें है। बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करके नौकरी करने दूर देशों मे या फिर विदेश चले जाते है।, जिनकी सफलता का बयान उनके माता–पिता द्वारा बड़े फख्र के साथ किया जाता है। किन्तु यह बच्चों की सफलता उनके बुढापे की विफलता बन जाती है।

इस साल के ''वर्ल्ड एल्डर एव्यूज अवेयरनेस डे'' के अवसर पर हेल्पेज इण्डिया मे बुजुर्ग की स्थिति पर एक सर्वे किया है। जिससे पता चलता है कि भारत मे बुजुर्गो के साथ बहुत शर्मनाक व्यवहार होने लगा है खुद बुजुर्गो ने उपेक्षा और बुरे व्यवहार की शिकायत की है, यह अध्ययन देश के 19 छोटे बड़े शहरो मे साढे चार हजार से अधिक बुजुर्गो पर किया गया है। जिन बुजुर्गो को सर्वे मे शामिल किया गया, उनमे से 44 फीसदी कहना था कि सार्वजनिक स्थानों पर उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है, बेगलूर, हैदराबाद, भुवनेश्वर मुम्बई, और चेन्नई ऐसे शहर पाये गये, जहॉ सार्वजनिक स्थानो पर बुजुर्गो से सबसे बुरा बर्ताव होता है, सर्वे मे शामिल बेगलूरु 70 फीसदी बुजुर्गो ने बताया कि उनको सार्वजनिक स्थानो पर बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ता है। हैदराबाद मे यह आकड़ा 60 प्रतिशत गुवाहाटी मे 59 फीसदी और कोलकाता मे 52 फीसदी है, बुजुर्गो के सम्मान मे दिल्ली सबसे आगे दिखी जहां सिर्फ 23 फीसदी बुजुर्गो को सार्वजनिक स्थान पर बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ता है। यहॉ हम कुछ प्रमुख बिन्दुओं पर प्रकाश डालेगे जिसके कारण बुजुर्गो को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

आर्थिक निर्भरता– अनेक बुजुर्गो को आर्थिक रुप से अपने परिजनों जैसे पुत्र एवं पुत्री पर निर्भर रहना पड़ता है। उनके व्यक्तिगत खर्चे परिजनों के आय से पूरे होते है। जिसमे अनेक बार उन्हें असहज स्थितियों का सामना करना पड़ता है। उनका आत्म सम्मान भी दांव पर लगा होता है। कभी–कभी

उनकी आवश्यकताएं पूर्ण भी नही हो पाती जिससे उन्हे आत्मग्लानि होती है। उन्हे अपना जीवन निरर्थक लगने लगता है। महिलाओं के लिए आर्थिक निर्भरता कोई व्यथा का कारण नही बनती क्योकि वे पहले भी अपने पति पर निर्भर थी उसके पश्चात् अन्य परिजन पर निर्भर हो जाती है। परन्तु पुरुष जिसका पहले पूरे परिवार पर वर्चस्व था परिवार का पालनहार था और अब उसे स्वयं किसी अन्य परिजन की आय पर निर्भर होना पडता है। यह स्थिति उसके आत्मसम्मान के लिए कष्टकारी होती है।

एकाकीपन– किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन साथी की सबसे अधिक आवश्यकता प्रौढ़ावस्था मे होती है। प्रौढ़ावस्था मे अपने विचारो के आदान–प्रदान का एकमात्र माध्यम जीवन साथी ही बनता है। प्रौढ़ावस्था मे बीमारी एवं दुःख दर्द मे सेवा, सहानूभूति, सहयोग मुख्यतः जीवन साथी से प्राप्त होता है। प्रौढ़ावस्था आते–आते अपने अनेकों मित्र एवं साथी बिछड़ चुके होते है। अथवा इस अवस्था मे आते ही वे आपस मे मिल नही सकते है। इसलिए वे एकाकीपन को दूर करने के लिए अपने पोतियों, नाती–नातियो के साथ खेलकर दूर करने का प्रयास करते है। लेकिन वर्तमान समय मे उनके नाती–पोते, पोतियों के पास इतना समय नही रहता कि वे इन बुजुर्गो के पास बैठकर खेल सके या उनका मन बहला सके। अतः ऐसे मे उनके जीवन साथी का बिछडाव व्यक्ति का जीवन संध्या का अन्तिम अध्याय बन जाता है।

अशक्त शरीर– वृद्वावस्था भी कहा जाता है क्योकि यह जीवन का अन्तिम पड़ाव होता है। इस अवस्था तक आते–आते मानव शरीर थकने लगता है, शरीरिक क्रियाएं उम्र के साथ शरीर को शिथिल करने लगती है। वर्तमान समय मे जहां चिकित्सा सेवाएं उत्कृष्ट हुई है वही बनावटी रहन सहन, एवं मिलावटी खान–पान तथा फास्ट फूड के चलन ने मानव स्वरुप को प्रभावित किया है और अधेड़ अवस्था तक आते–आते वह अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। जिसके कारण वह समय से पहले ही अपने आप को शारीरिक रुप से कमजोर और किसी भी काम को करने मे अक्षम पाता है। जो उनकी समस्या का कारण बनता है।

सुरक्षा की समस्या– बदलते सामाजिक व्यवस्था ने बुजुर्गो के लिए अपनी सुरक्षा के लिए चिंता बढ़ा है। माता–पिता के चाह होती है कि वे अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाये और वे शिक्षा ग्रहण कर उच्च जगहों पर आसीन हो जावें। और ऐसा भाग्यशाली माता–पिताओं के साथ होता है। उनके बच्चे बाहर नौकरी करने चले जाते है और घर मे केवल बुजुर्ग माता–पिता ही रह जाते है जिससे उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता सताने लगती है। हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था दिनो दिन बिगड़ती जा रही है। आये दिन अपराधी इन बुजुर्ग दम्पत्तियो को अपना शिकार बनाते रहते है। उनके साथ लूटपाट करना, उनकी हत्या कर देना, नित्य अखबार की सुर्खियो बनती है। अनेको बार तो घर के नौकर ही बुजुर्गो की कमजोरी का लाभ उठाकर अपराधों को अंजाम देते है। कभी–कभी तो पड़ोसी या करीबी रिश्तेदार एवं नातेदारों द्वारा उनकी प्रापर्टी को हड़पने का प्रयास किया जाता है या उन्हें अन्य किसी तरह से परेशान या धमका कर उन्हें निवास छोड़ने या उनकी सम्पत्ति को अपने नाम करा लेने का प्रयास भी किया जाता रहा है।

नयी पीढ़ी से सामजस्य का अभाव– परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आज मानव उन्नति मे उस शिखर पर पहुॅच चुका है जहॉ से विकास की गति को पंख लग गये है। शिक्षा से प्राप्त ज्ञान के कारण व्यक्ति के रहन सहन, खान–पान, बोल–बाल एवं सोच मे बड़ा बदलाव आते रहे है। आज लोगों मे अधिक से अधिक सुख–सुविधाये जुटा लेने की होड़ मचा है। इसी प्रति प्रतिद्वन्दिता ने उसके सुख, चैन, शांति सब कुछ छीन लिया है। आज का युवा परम्परागत रुढ़ियो, दकियानुसी मान्यताओ को तोड़ डालना चाहता है। वह स्वच्छन्द एवं स्वतन्त्र होकर जीवन जीना चाहता है। उसकी यही सोच बुजुर्गो को आहत करती

है। आज के बुजुर्ग अचानक आये परिवर्तनो को स्वीकार नही कर पा रहे है और वे नये समय के मूल्यों को अपने समय के मॅल्यो के साथ तुलना करते है जो उन्हें कतई अच्छे नही लगते इसके लिए वे नए जमाने और नयी पीढ़ी को दोषी मानता है। परन्तु नयी पीढ़ी उनके सोच को उनके सिद्वान्तो को नकार देती है और पुरानी पीढ़ी से दूरिंया बनाने लगती है परिवार मे सामजस्य का अभाव होने लगता है जो घर मे विद्यमान बुजुर्गो के लिए दुखदायी होता है।

आधुनिक परिवेश भी बुजुर्गो की समस्या का कारण बन रहा है। आज हम आधुनिकता के दौर मे नये–नये परिधान जैसे जींस, टी शर्ट, तथा पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर ऐसे वस्त्रों का चुनाव करते है जिससे हमारे शरीर का अधिक से अधिक अंग दिखलाई दें। आज की बहुएं एवं बेटिया भी साड़ी एवं सलवार–सूट छोड़कर अत्याधुनिक डिजाइनर कपड़े पहन रहे है। महिलाये घर से बाहर काम करने के लिए जा रही है जिससे वे कभी दिन के शिफ्ट मे काम कर रही है तो कभी रात के शिफ्ट में अब महिलाओ और पुरुषो मे किसी भी प्रकार का अन्तर नही रह गया। ये सब जिन परिवार मे हो रहा है यदि वहां पर उनके साथ उनके बुजुर्ग माता–पिता रहते है तो वे इन सब चीजों को देखकर प्रसन्न नही होते है और वे इनका विरोध करते है जो उनके दुःख का कारण बनता है। वे ऐसे माहौल मे अपने आप को एडजस्ट नही कर पाते क्योकि उनके समय मे ये सभी चीजे नही होती थी। यदि वे घर मे इन सब पर पाबंदी लगाने का प्रयास करते है तो परिवार के लोगो द्वारा उनका विरोध किया जाता है जिससे उन्हें पीढ़ा होती है।

शारीरिक विकलांगता भी बुजुर्गो की समस्या है आज अधिकांश बुजुर्ग किसी न किसी शारीरिक बीमारी से पीड़ित है। मधुमेह उच्च रक्त चाप, गठिया, आखो की परेशानी, जोड़ो का दर्द इत्यादि बीमारियॉ से पीड़ित होते है ऐसे समय मे उनके साथ कोई ऐसे पारिवारिक सदस्य के रहने की आवश्यकता महसूस होती है जो उनको समय–समय पर दवाइयां एवं उनकी जरुरतों का ध्यान रख सकें। क्योकि जो अपनापन उनको अपने लोगों के द्वारा मिल सकता है वह किसी नौकर से नही प्राप्त हो सकता। और अन्त मे बुजुर्ग लोग अपने सन्तानो के दुःख से भी परेशान रहते है। बेटा–बेटी चाहे कितना भी उनको पीढ़ा दे लेकिन यदि उनके उपर कोई दुःख या परेशानी आती है तो वे तुरन्त परेशान हो जाते है। चाहे उनके बेटी के उपर ससुराल मे किसी तरह की परेशानी उत्पन्न हुयी हो या उनके पोते–पोतियो एवं नाती–नातियों के ऊपर कोई कष्ट आता है तो इन परिस्थितियो मे भी वे परेशान हो जाते है।

वर्तमान समय मे सबसे बड़ी समस्या है इन बुजुर्गो के साथ जब रहना मुश्किल हो जाता है तो बेटे उन्हे घर से बाहर निकाल देते है ऐसे समय मे सबसे बड़ी समस्या उनके रहने और खाने पीने की होती है। आज हमारे देश मे बहुत तेजी से ओल्ड येज होम खुल रहे है जहॉ पर ऐसे बुजुर्गो को रखा जाता है और उनके जरुरी आवश्यकताओ की पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है। दूसरी स्थिति मे बेटे उन्हें घर से न निकालकर स्वयं ही घर छोड़कर कही अन्यत्र रहने चले जाते है ऐसे मे ये बुजुर्ग घर पर अकेले रह जाते है। और उम्र मे इस पड़ाव पर उन्हें किसी साथ की बहुत नितान्त आवश्यकता होती है। जो उन्हें मिल नही पाती कई घर तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि बुजुर्ग अपने फ्लैट मे मृत पड़े होते है और आस–पास के लोगो को कई दिन बाद पता चलता है, जब उनके फ्लैट से बदबू आने लगती है और उनके कमरे का दरवाजा तोड़ के मृत शरीर को बाहर निकाला जाता है। ऐसी स्थिति मे भी उनके बच्चे जो बाहर रहते है उनके अन्त्योष्टि संस्कार मे भी सम्मिलित नही हो पाते है।

यह समस्या न सिर्फ हमारे देश मे देखने को मिल रही है बल्कि विदेशों मे यह और भी अधिक देखने को मिलता है। कई देशो मे तो रोबोट का निर्माण किया गया है जो इन बुजुर्गो का ख्याल रख

सके। जापान और यूरोपीय संघ की 20 लाख पाउंड की इस परियोजना मे तैयार किये जा रहे रोबोट सांस्कृतिक और संवेदनशील होगे। ये बुजुर्ग को दवाएं देने पानी देने और उनके रोजमर्रा जरुरत के कई कामों मे मदद करेगें। अभी हाल में ही उ0प्र0 के इलाहाबाद जिले में बुजुर्गो को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ''आपरेशन आर्शीवाद'' शुरु किया गया है जिसके तहत सभी थानाध्यक्ष बुजुर्गो का ख्याल रखेगें और उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देगे। बुजुर्गो के लाभ के लिए और भी कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता है जिससे इन बुजुर्ग वर्ग के लोगों को यह महसूस हो सके कि सरकार तथा उनके द्वारा लागू की जाने वाले नीतियों में उनको भी केन्द्र मे रखा जा रहा है और उनके समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार बुजुर्गो के हितो के लिए नया बिल लाने की तैयारी कर रही है जिसमे जो व्यक्ति मॉ, बाप की सेवा नही करेंगे उन्हे सजा मिलेगी और जो सरकारी कर्मचारी अपने मॉ बाप की उपेक्षा करते है उनके वेतन का 10 प्रतिशत काट कर उनके मॉ बाप को दे दिया जायेगा ताकि वे उससे अपने जरुरते पूरी कर सके, इसके साथ सरकार का यह प्रयास है कि इसका दायरा निजी क्षेत्रों तक बढाया जाय। मध्यप्रदेश में वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 लागू है। लेकिन इसके तहत मिलने वाली ममद की अधिकतम सीमा 10 हजार ही है जो पर्याप्त नही है। असम राज्य में 'प्रणाम' नाम के नये कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए अपने माता पिता और आश्रित दिव्यांग भाई बहन के भरण पोषण की जिम्मेदारी लेना अनिवार्य है। यहां पर प्रश्न यह उठता है कि सरकार जुर्माना लगाकर या फिर सजा देकर नुकसान भरपाई तो कर देगी लेकिन जो जख्म इनको अपनो ने दी है उसकी भरपाई शायद कभी नही हो पायेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1. भाटिया एच0एस0 1983 एजिंग एण्ड सोसायटी आर्या बुक सेन्टर पब्लिशर्स उदयपुर।
2. पाण्डेय श्रीधर 2002 वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति एवं समस्यायें, नवआर्थिकी दिसम्बर पृ0 सं0 50
3. राठौर जे0एस0 1993 वृद्ध जनों की स्थिति एवं जीवन दृष्टिः मानव 21 अंक 04 दिसम्बर
4. 1995–96 52 नेशनल सैम्पल सर्वे के अनुसार
5. हिन्दुस्तान समाचार पत्र वाराणसी शनिवार 2 सितम्बर 2017
6. जनसत्ता नई दिल्ली 20 नवम्बर 2016
7. एन0डी0टी0 इण्डिया न्यूज 07 दिसम्बर 2017
8. राम अहूजा समाजिक समस्यायें

जनजातियों में प्रचलित कुछ त्योहार

डॉ0 प्रभात सिंह

सहायक प्रोफेसर, भूगोल विभाग, बद्री विशाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, फर्रुखाबाद

करमा त्योहार

करमा त्योंहार जनजातियों के साथ साथ गैर जन जातियों का भी एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पर्व वर्षा ऋतु मे भद्र मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है हालांकि सुदूर जंगल झाड, पहाड पर्वतों के निकट के जनजाति एवं गैर जनजाति के गोंवों मे भादों महीने की शुरूआत होते ही खेतों मे काम कर घर लौटनें के बाद शाम को गाजे–बाजे के साथ हर्ष उल्लास के साथ भाई–बहन, बडे बजुर्ग, मॉ बाप, बेटा,–बेटी आने वाले करम तैयारी मे नाचते गाते है, आनंद मनाते है, जिससे अगल–बगल क टोले मुहल्ले के सदस्य भी नाच गाना मे शामिल होते है।

करमा पर्व धान रोपावनी के कठिन परिश्रम और कटिनों के दिनों की परेशानियों क मध्य अवकाश काल का सूचक है। जिसे एक तरह से अधिक उत्पादन के निमित्त पकती हुई फसले क लिये किये जाने वाला पर्व भी कहा जाता है। करमा भाई–बहन के प्यार का प्रतीक पर्व है। इस त्योहार मे बहुत सारे विश्वास और मान्यतायें जुर्डी हुई है। एक ओर धर्म क ऊपर कर्म की बिजय खुशी को बतलाता है जिससे धर्म की अपेक्षा कर्म की महत्ता बढती है। और दूसरी तरफ संतान प्राप्ति के लिये करम देवता की अर्चना पूजा की जाती है। संतान प्राप्ति के बाद करम देवता की पूजा पारम्परिक ढंग से करते है या कई वर्षो तक करते है। 'करमयतीन' अपनी पूजा की थाली मे एक बडा से हष्ठ पुष्ट खीरा रखती है। उसे थोडी देर के लिये आंचल मे रखती है और सुदर तथा सुडौल बेटा की कामना करम देवता से करती है। इसके बाद खीरा को कादो फूल तथा अन्य घासपात के बीच छिपा देती है। इस तरह से करमोत्सव के पीछे कई मान्यतायें है। उनमे सबसे मुख्य है भाई की सुख–सुविधा तथा सम्पत्ति के लिये बहन द्वारा करमा त्योहार किया जाना । इसे मनाने के लिये बहन अपनी ससुराल मे साल भर इंतजार करती है औ मायके आने की आस लगाये रहती है। इस सम्बन्ध मे कई लोक गीत प्रचलित है जो आज भी उनके बीच पर्व त्योहारों के अवसर पर गाये जाते है।

करमा के सात दिन, पॉच दिन या तीन दिन पहले सभी करमयतीन एकत्रित होकर गीत गाती हुई गांव के आस–पास के किसी नदी–नाले के किनारे जाती है। वहॉ पर स्थान करती है और नया 'डाला' (बांस की छोटी टोकरी) मे बालू उठाकर लाती है। इस बालू मे विभिन्न प्रकार के बीज यथा धान, गेहूँ, मकई, जौ, चना, उरद, कुरथी, आदि को धोकर गाड देते है। इसे ' जावा उठाना कहते है। अब इस 'डाला' को सुरक्षित रखने के लिये करमतीयन का चुनाव किया जाता है। इस चुने हुये करमयतीन के **'डायतीन'** कहा जाता है। डाला को गांव के पाहन क यहा या फिर डलयतीन के यहॉ रखते है। इसे प्रतिदिन सुबह तथा शाम को 'आखाडा' मे या किसी के आंगन मे निकालते है। इसके चारो तरफ करमयतीन घेरा बनाकर गीत गाते हुये नाचती है और जावा को जगाती है। इस सम्बन्ध मे विभिन्न प्रकार के लोक गीत प्रचलित है। जावा जगाने के लिये जिस जगर डाला को रखते है, उसी जगी घी का दीया जलाया जाता है। जावा उठाने के दिन से ही करमयतीन बहुत की निष्ठा और संयम से रहती है तथा करम देवता के नाम से ध्यान मग्न हो जाती है। इस अवधि मे जूठा भोजन, तीता, अम्ल(खट्टा) मांस–मछली नही खाती है। यदि खाने–पीने मे तथा संयम बरतने मे गडबडी होती है तो जावा सुंदर

नही उगता है। चार पॉच दिन के बाद डाला मे डाले हुये बीज अंकुर की तीन चार इंच तक बढ जाते है। चूँकि जावा को ज्यादातर अंधकार मे ही रखते है इसलिये उनका रंग पीलापन लिये हुये रहता है । इसे **'जावा फूल'** कहते है।

करमा के दिन सभी करमयतीन उपवास करती है और दिन मे कई बार जावा को निकालकर जगाती है। इस दिन जावा जगाने मे और भी उमंग देखा जाता है। उपवास मे रहने के बाबजूद भी उन्हे भूख का अनुभव नही होता है। जावा उठाने के दिन से ही करमयतीन तथा सहयोगीगण गलफुली घास मे विभिन्न प्रकार के हार बनाती है। इसी कार से करम डाइर को सजाती है। अर्थात आधुनिक फूलो की आवश्यकता नही होती है। आजकल फूलो का प्रचलन हो गया है।

करमा डाइर मे चढाने के लिये 'कादों फूल' का विशेष महत्व है। कादों फूल वास्तव मे फूल नह है बल्कि एक प्रकार का कीचड मे उगने वाला पौधा है जिसमे फूल नही होता है। इसकी पत्तियॉ काफी खुशबूदार होती है। पत्तियॉ सूख जाने के बाद भी काफी दिनां तक सुगंधित ही बना रहता है। यह झारखण्ड क्षेत्र की अनमोल धरोहर है जो अन्यत्र दुर्लभ है।

रात 7–8 बजे तक करमयतीन अपनी–अपनी थाली मे पूजा का सामान लेकर करम डाइर के चारो ओर गोंलबंद होर बैठ जाती है। अपनी–अपनी थाली के सामने घी का दीया जलाती है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान के सारे तारे जमीन मे आकर टिमटिमा रहे है। इस त्योहार के लिये थाली मे पुवा पकवान नही होता है बल्कि अंकुरा हुआ चना, उरद, जौ, गेहूँ, मकई, एवं गुड होता है। डंठल लगा हुआ खीरा मुख्य सामग्री है। पूजा के प्रसाद को ''**अंकौरी–बटौरी**'' कहते है।

पूजा सम्पन्न पाहन या गांव के बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा होती है पूजा के दौरान पाहन के द्वारा करम पर्व मे छिपी छोटी सी कहानी बतायी जाती है जो सारगर्भित है, उपदेश मूलक है। पूजा के दौरान करमयतीन से पूछा जाता है कि क्या कर रही है, इस पर वह कहती है ''आपन करम भइयाक धरम'' । इसे कई बार दुहराया जाता है। अंत मे करमयतीन फूल छींटकर पूजा करती है। '' आकौरी बटौरी'' को करम के पत्तों मे बांधती है। पूजा समाप्त होते ही प्रसाद बांटा जाता है। तत्पश्चात करमयतीन उपवास तोडती है और फिर गैर करमयतीन के साथ मिलकर नाचती है और खुशियॉ मनाती है। निःसंदेह करम की कहानी उपदेशों से ओत–प्रोत है जिसमे कार्य एवं धर्म के योग से विकास करने की झलक है।

इस दिन प्रायः हरेक परिवार के लोग अपने अपने खेतों मे भेलवा की डाली ,कन्द्र की डाली, करम की डाली तथा सखुये की डाली गाडते है। भेलवे की पत्तियॉ एवं डाली फसल मे लगने वाले कीडों से रक्षा करती है। खेतों मे डालियों को गाडना कर्म करने का प्रतीक है तथा पेडों की रक्षा करते हयु पर्यावरण की रक्षा का प्रतीक है। खेतों मे इन डलियों को गाडने की क्रिया को ''इन्द गाडना'' कहते है। इससे हर खेत को एक बार देखने का मौका भी सुनिश्चित रहता है।

रात भर सामूहिक नृत्य के कार्यक्रम चलते रहते है तथा दूसरे दिन सुबह हो जाने पा गडे हुये करम डाली को उखाडकर करमयतीन नाचते गाते नदी या तालाब मे विसर्जित कर देती है। इसी दिन करमयतीन अपनी–अपनी थाली मे जावा फूल को रखकर अपने भाई के कान मे जावा फूल को खोंस देती है और कहती है '' आपन धरम भइयाक करम'' अर्थात बहन कहती है मेरा भाई जो धर्म और कर्तव्य था वह मैने कर लिये, भाई के लिये करम राजा (देवता) से सुख सम्पत्ति मांग ली अब तो इसे पूरा करना भाई के कर्म और कर्तव्य पर निर्भर करता है। इस पर भाई अपने सामर्थ्य के अनुसार बहन को उपहार देता है। बहन अपने भाई को अकौरी बखौरी खाने के लिये देती है। खौछा (अंचल) मे रखे हुये

खीरा को करमयतीन के पिता या चाचा खाते है क्योंकि खीरा करमयतीन का बेटा स्वरूप होता है, तथा भाई खीरा का मामा होता जाता है। इस क्षेत्र मे मामा भगिना को देवता समान मानता है और सभी धार्मिक अवसर पर भगिना को पूजता है। इस प्रकार करमयतीन अपनी बच्चों की भाई की ओर से सुरक्षा सुनिश्चित करवा लेती है।

भाई'बहन के बीच शुभ प्यार और अलौकिक प्यार से सम्बन्धित कई लोक गीत है। इसके साथ ही साथ भाई बहन के वियोग, सुख दुख, मायके के प्रति लडकी का मोह, ममता आदि से

सोहराय

यहॉ के त्योहरों मे सोहराय एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। जैसा कि कहा जा चुका है कि आदिवासी विशुद्ध प्रकृतिवादी है और प्रकृति के वृक्षो, पशुओं तथा अन्य वस्तुओं मे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारते है। चैत मे धरती की पूजा (सरहुल) भादों मे वृक्ष की पूजा (करमा)करते है तो कार्तिक मे पशुओं की पूजा करते है। इसे कार्तिक महीने से सोहलवे दिन मनाया जाता है, इसलिये भी इसे ''सोहराय'' कहा जाता है। सोहराय का अर्थ ''सोहरारना'' अर्थात फल फूलों एवं अन्न धन से लदा हुआ। इस पर्व के दिन फसल पकने, मवेशियें की सुरक्षा, परिवार मे खुशहाली तथा सभी प्रकार के प्राप्त कृपा के लिये देव–भूत को धन्यवाद देते है । इस त्योंहार मे मनुष्य और उसके मवेशियों के बीच पनपे हुये प्यार को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस दिन के लिये मवेशी बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते है इसलिये इस त्योंहार को ''गोहाल पूजा'' भी कहते है। इस त्योंकार को मवेशियें को चराने वाला ''गोरखिया'' के भी वैसा मान–सम्मान एवं आर सत्कार दिया जाता है। ''गोरखिया'' को नये वस्त्र पहनाकर मवेशियों के समान उसे भी अइरपन तथा सिन्दूर से सजाया जाता है। चूॅकि व्यक्ति मवेशियें को ठीक से देख–भाल करता है तथा अधिकांश समय उन्ही के साथ व्यतीत होता है इसलियें उनके दुख दर्द को ज्यादा समझता है। कही–कही तो उने बीच पाये जाने वाले प्रेम के कारण ही हम देखते है कि '' गोरखिया'' के मना करने पर मवेशी खाना भी नही खाता है। गोरखिया को जितना अधिक मान सम्मान दिया जाता है वह उतना ही अधिक लगन से मवेशियों को चराता है। वह सोचता है कि मवेशियों को चराने के लिये ठीक जगह नही ले जायेंगे तो मवेशी भूखे रह जायेगे जिसकी पूरी जिम्मेवारी मुझ पर होगी। मवेशी मुझे ही दोष देंगे। गांव के सारे गोरखिया इस त्योहार के लिये मवेशियों के समान की बेसब्री से इंतजार करते है तथा आश्विन महीना से ही दिन गिनने लगते है।

आश्विन महीना समाप्त होते ही सबों का ध्यान सोहराय पर्व की ओर केन्द्रिंत हो जाता है। सोहराय के गीत, झूमर स्वतः फूट पडते है। मवेशियों के दुख दर्द को ध्यान मे रखा जाने लगता है। गेहाल की मरम्मत विशेष रूप से की जाने लगती है। गोहाल की फर्श को समतल करने के लिये कंक्रीट वाली मिट्टी की व्यवस्था शुरू कर दी जाती है। कार्तिक माह के प्रारम्भ मे आप किसी भी गांव मे चले जाये ंतो पायेंगे किहर गोहाल के दरवाजे मे कंकरीलें मिट्टी के ढेर लगे हुये है या फिर उसे गोहाल मे डाला जा रहा है। गोहाल मे मिट्टी भरने के बाद उसे दूधी मिट्टी से चारो तरफ ऊपर नीचे पोताई करके साफ सुथरा करते है। वैसे इस अवधि मे अपने घरो को भी लिपाई पोताई करक साफ किया जाता है। पूजा के दिन महिलाये तथा पुरूष काफी व्यस्त रहते है। महिलाये गोहाल तथा घर आंगन को गोबर से लीपती है। घर के बाहरी भीतरी दीवारों को अइरपन तथा सिन्दूर से विभिन्न आकृतियॉ बनाती हुई सजाती है। गोहाल के फर्श को अइरपन से चौक पुरती है तथा दरवाजे के वाहर थोडा से गोबर से बहियारी घास घोंस देती है। चूॅकि यह घास ताकतवर होती है इसलिये ऐसा विश्वास किया जाता है

कि यह घास गोहाल मे रोग बलाय नही घुसने देगी जिससे हमारे पशु निरोग तथा स्वस्थ रहेंगे। कही–कही घर मे तथा गोहाल कि छत पर अरंडी का पत्ता खोंसते है।

घर आंगन की लीपाई पोताई करने के बाद स्त्रियॉ स्नान करती है और अपने–अपने मवेशियों को खिलाने के लिये विशेष प्रकार का पकवान बनाने मे व्यस्त हो जाती है। इस पकवान को ''**पंखेउ**'' कहते है। इसे बनाने के लिये ज्यादा मात्रा मे चावल लिया जाता है तथा थोडा–थोडा मकई, उरद, अरहर, बरइ,महुआ, बाजरा, घंघरी ओल आदि–आदि मिलाये जाते है। इन सबों को मिलाकर भात के जैसा ही आग मे पकाया जाता है। इसे बनाने के लिये बर्तन मे पानी की मात्रा इतनी दी जाती है ताकि पूरा पानी उसी मे सोख जाये और सारा अन्न पक जाये।

पुरूष कृषि के उपकरण को जोरिया या तालाब मे ले जाकर अच्छी तरह से धोकर लाते है तथा उसे आंगन के किसी कोने मे रख देते है। घर के दूसरे सामानों को भी धोया जाता है। सामानों को धोनें के बाद पुरूष स्नान करक शुद्ध हो जाते है।

दिन के 10 बजे के बाद घर का बडा सदस्य किसी थाली मे पूजा के सामानों को लेकर गोहाल जाता है। वहॉ पर लकडी का एक खूँटा गाडा हुआ रहता है या उसी दिन गाडा जाता है। इस खूँटे को पानी से धोकर उस पर अइरपन सिन्दूर लगाते है और ''गारइया'' देव के नाम से ''गुँडी'' चढाते है। इस पूजा मे तपान के बदले दूध डाला जाता है। गोरइया देव मवेशियों की रक्षा करते है तथा पशुधन की वृद्धि करते है। जिस परिवार मे जितने अधिक मवेशी होते है वह परिवार उतना की सुखी सम्पन्न कहलाता है। वैसे करमाली क पास बहूत कम मात्रा मे जमीन है, इसलिये इनके यहॉ अधिक संख्या मे मवेशियें का रहना बहुत ही मुश्किल है। गोरइया की पूजा हो जाने के बाद मवेशियों को तालबा या जोरिया म`ले जाकर नहलाया जाता है। कुछ एक मवेशी को छोडकर बाकी सभी मवेशी बडे प्यार से आनंन्दित मुद्रा मे स्नान करते है। मालिक मवेशियों के सारे बदन को रगड–रगड कर धोता है और साफ करता है। उन्हे नहलाने के बाद घर मे लाकर उनके शरीर को अइरपन तथा सिन्दूर के द्वारा सजाया जाता है। सींग मे लगाये गये तेल तथा चमक देखने लायक होती है। वैसे मवेशियों के सींग मे तेल लगाने का काम एक सप्ताह पूर्व से ही प्रारम्भ कर दिया जाता है। इसके लिये सुबह शाम हरेक मवेशी के सींग मे कडवा तेल लगाया जाता है। मवेशियों को सुसज्जित करने के लिये प्रत्येक मवेशी क गले मे फूल की मालाओं को पहनाया जाता है। मालायें जल्द ही नष्ट कर दी जाये इसके सभी लोग विशेष ध्यान देते है। मवेशियों को सुसज्जित करके घर के सदस्य उन्हे भोजन करने के लिये आमंत्रित करते है तथा उनके मुँह को धोते है। इसके लिये घर से ''ढूँढी'' या '' पींडा'' (बैठने के लिये बनाये गये ऊँचे स्थान) मे केला का पत्ता बिछा देते है। इन्ही पत्तों मे पखेउ को परोसते है। अब इन्हे बहुत आदर सत्कार के साथ भोजन कराते है। भोजन कराते वक्त यदि कोई मवेशी खाना नही खाता है तो समझा जाता है कि अमुक बैल या गाय नाराज है उसे अवश्य ही कोई दुखी किया होगा। इसके लिये परिवार के सभी सदस्य उससे माफी मांगते है और एक–एक करके उसे खिलाने का प्रयत्न करते है। मवेशियों को खिलाने के बाद उनका मुँह धो दिया जाता है। इस बीच घर की महिला एक खपरा मे आग लेकर अपने मवेशियों को एक–एक करके ''निगछती '' है। इसके लिये बांये हाथ मे थोडी सी लोटनी, सरसों लेकर मवेशी के माथा से लेकर शरीर के पीछे तक कुछ दाने ले जाती है और हाथ की लोटनी को आग मे डाल देती है। निगछे गये खपरी और आग को रास्ते मे उल्टा करके पटक देती है। इसके बाद घर के मवेशियों को गोंड या अडवारी की ओर जाने देती है। आज के दिन गाय तथा भैंस के साथ उसके

बछडों को भी जाने दिया जाता है। मवेशियों खिलानें के बाद ही घर के सदस्य अपने उपवास को तोडते है। इसके लिये सबसे पहले '' पखेउ'' खाते है और उसके बाद ही कुछ अन्य भोज्य पदार्थ खाते है।

डायर लगाना– डायर लगाने के लिये अडवारी या गोठावाइर को गोरखिया अपने कुछके साथ अडवारी मे मौजूद रहता है। एक सूअर को किसी लकडी के एक छोटे ''मोढे'' मे बांधकर रखता है तथा इस मोढे मे लगी रस्सी एक ओर लम्बी रहती है जिसे सहयोगी पकडकर इधर उधर खींचते है। वातावरण को रंगीन बनाने के लिये ढोल, नगाडों के साथ नाचते रहते है। सब गाय को बछडा सहित सूअर के पास लाते है और बछडें को सूआ से सटा देते है जिसके कारण सूअर दर्द के मारे जोर–जोर से चिल्लाता है। इसे और जोर–शोर से चिल्लाने के लिये ढोल, नगाडें को भी जोर–जोर से बजाया जाता है। इस प्रकार के मिश्रित आवाज से गाय अपने बछडे को बचाने हेतु अपने सींग से सूअर को मारने लगती है। किसी–किसी गाय मे इससे कुछ असर नही होता है और वह दूसरी ओर भागने लगती है। लेंकिन जो गाय सूअर को ज्यादा मारती है उस पर लोग खुश होते है और लम्बी रस्सी की सहायता से सूअर को आगे–पीछे करते है ताकि गाय और क्रोधित हो जाये और सींगों के अलावे उछल कूद कर अपने पैरों से भी उसे कुचले । जो–जो गाय ज्यादा देर तक सूअर को मारती रहती है, उन–उन गायों के मालिकों को पहचान लिया जाता है ताकि उन मालिकों के यहॉ धोती, गमछा, दारू, चावल, तथा नगद मिले। इसके लिये गोरखिया मवेशी के मालिक से बहुत ही शान के साथ कहता है कि आपकी अमुक गाय बहुत देर तक डायर लगी है। गाय के बाद भैंसों को लाया जाता है, भैस जब उग्र हो जाती है तो वह इतनी जोर से वार करती है जिससे कभी–कभी सूअर वहीं मर जाता है। इसे और भी अच्छा मानते है। इस प्रकार गायों तथा भैसों के द्वारा सूअर को मारना तथा अपने बच्चों की रक्षा करने की प्रक्रिया को ही **'' डायर लगाना'' कहते है।**

डायर लगाने के बाद यदि सूअर नही मरा रहता है तो उसे मार डाला जाता है, और रात मे उसे खाते तथा पीते है। सारा गांव गीत, झूमइर, बाजा गाजा के साथ गूॅजता रहता है। रात होते ही पाहन, गोरखिया, औरत मर्द, बाजा गाजा के साथ झूमते नाचते हुये प्रत्येक घर मे जाते है प्रत्येंक घर मे उन्हे पखेउ प्रसाद के रूप मे देते है तथा खाने पीने की अन्य चीजे भी दी जाती है। जिस घर की गाय या भैंस ज्यादा देर तक डायर लगी रहती है उस घर मे अविराम गति से नाचते–गाते रहते है। जब तक घर का मालिक या मालकिन आकर यह नही स्वीकार करती कि अभी घर मे धोती नही है के बाद मे बाजार से खरीद कर देंगे, तब तक वे किसी की बात नही सुनते है और अपनी खुशी जाहिर करते हुये नाचते–गाते रहते है।

इस दिन रात को घर, आंगन गोहाल, खलिहान, गोबरडिंगा, कुॅआ, बारी धार्मिक स्थल आदि जगहों मे दीया जलाया जाता है। गोहाल, घर आदि कुछ जगहों के लिये जलाये जाने वाले दीये बडे होते है जिससे ज्यादा तेल डाला जा सकता है। एक ही बार तेल डालने का अर्थ है कि रात भर जलता रहे और चारो तरफ प्रकाशित होता रहे। तेल जल्दी समाप्त न हो सके इसके लिये दीया मे थोडा उरद डाल दिया जाता है। घर मे दीया जलाने एवं अरंडी पत्ता खोसने का अर्थ है कि घर गोहाल मे किसी तरह की विपत्ति प्रवेश न कर सके। कही–कही सोहराई को तीन तोड मे तीन दिन तक मनाया जाता है।

1. गोठ पूजा–प्रथम दिन
2. गोहाल पूजा–दूसरे दिन

3. सोहराई–तीसरे दिन

इस दिन गांव के सभी मवेशियों को गोठबाइर या अडमारी मे जमाकर दिया जाता है। पुजारी (पाहन या नाया) एक लोटा मे पानी भरता है एसमे एक मुठा सूरगुजा का फूल डाल देता है। इस लोटे को एक जगह लिख देता है। लोटा के सामने एक मुर्गी के अण्डे को रखा जाता है। इस अण्डे को अइरपन, सिन्दूर तथा काजल से सजाता है। इसे, अगरबत्ती दिखाता है तथा कुछ मंत्रोच्चारण करता है।

इसके बाद गोठ मे जमा हुये सभी मवेशियों को उसी ओर दौडा दिया जाता है जहॉ पर लोटा रखा गया है। लोटे मे रखे हुये फूल को खाने के लिये मवेशी उस ओर आकर्षित होते है। जो मवेशी सबसे पहले खाता है उसे पहचान लिया जाता है। मवेशी द्वारा खाये गये फूल को ''डायर लगना'' कहते है, पहले खाये हुये मवेशी के मालिक को कहते है कि आपका अमुक मवेशी डायर लगा है। इसके साथ ही साथ पूजारी, गोरखिया तथा अन्य सहयोगी नाचते गाते है तथा उसे यहॉ सभी लो मिलकर खाते पीते है। (साहू, 2001)।

इस प्रकार हम पाते है कि यह त्योहार सभी जगह के आदिवासी थोडा बहुत अंतर के साथ मनाते है। बैलों के सींग मे तेल लगाने की प्रथा सभी जगह है। जन जातियों के सभी त्योहार नृत्य, गीत तथा लोक–कथाओं से जुडे है। त्योहरों से जुडी कहानी एक विशेष घटक (व्यक्ति, पशु–पक्षी प्रकृति के तत्व आदि) से जुडी रहती है। यह लोगों की विश्वास पद्धति की महत्ता उजागर करती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ :

1. Elwin, V. (1955), Religion of an Indian Tribe, Bombay: OUP.
2. Griffith, R.T.(1963), Vedic bymns, Varanasi: Motilal Banarasidas.
3. Malinowski, B. (1954), Magic, science and religion, New Yark: Doubleday.
4. Sahu .c., tribes of Jharkhand , K.K.Publication, Allahabad.
5. ROY, S.C. (1915), The Oraon Religion and customs, Ranchi: Man in India.
6. Majumdar, D.N. (1950), Affairs of a tribe, Lucknow: Folklore Institute.

घरेलू हिंसा के कारण एवं उपाय : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ. मिथिलेश कुमार

एसोशिएट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची

प्रत्येक युग में भिन्न–भिन्न कारणों से भारतीय महिलाओं ने परिवार, व्यक्ति तथा समाज के हिंसात्मक व्यवहार को सहा है। आज हिंसात्मक आचरण एक व्यवहार सा बन गया है। वर्तमान समय में न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के अधिकांश देश घरेलू हिंसा से ग्रसित है। भरतीय समाज पुरूष प्रधान समाज होने के कारण अन्य देशों के अपेक्षा इस देश में घरेलू हिंसा ज्यादा देखने को मिलती है। वास्तव में घरेलू हिंसा को महिलाओं के विरूद्ध हिंसा भी कहा जाता है। जिसके अंतर्गत महिला को आघात या भावनात्मक धक्का देना दोनों ही सम्मिलित हैं। महिलाओं को पीटना, बलात्कार करना, जला देना, हत्या करना, बहु को गाली देना, दहेज से संबंधित यातनाएं व हत्यायें, नारी हत्या और भ्रूण हत्या तथा विधवाओं पर अत्याचार आदि इसके अंतर्गत आते हैं। "सीमोन द वाउवर ने बताया कि जैविक आधार पर स्त्रियों को पुरूषों के अधीन माना जाता है। जो गलत है। नारीत्व स्त्री के हाथ की सर्वोतम वस्तु है, जिसे इच्छानुसार बना सकता है। लडकों को शुरू से समझाया जाता है कि वो लडका है इसलिए अलग है साथ ही श्रेष्ठ भी। एक लडकी नारीत्व को आत्मग्लानि के साथ स्वीकार करती है और भविष्य के रास्ते पर शर्म के साथ चलना प्रारंभ करती है। अपने अधिकारों का दावा उन पर दृढ रहने की चाह तथा दूसरी ओर विवाह के बाद अपने पति के लिए अधिकारों का त्याग तथा विलयन की चाह के बीच बंटी हुई एक ओर निरंतर तनाव झेलती हुई वह टूट जाती है। समाज की आम धारणा कि औरत जीवन देती है" जबकि पुरूष अपने जीवन को वक्त, बेवक्त दांव पर लगाकर बाकियों के जीवन की रक्षा करता है, इसलिए वे श्रेष्ठ हैं। स्त्रियों को अधीन करने के लिए सामाजिक नियमों, रीति–रिवाज, मूल्यों तथा परंपराओं की सहायता ली जाती है और स्त्रियों को यह सिखाया जाता है कि वे इन्हीं मूल्यों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, जो स्वतः उन्हें पुरूषों के अधीन बना देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नियम, मूल्य तथा परंपराएं पुरूष ने स्त्री को अधीन बनाए रखने के लिए ही बनाए हैं। इस प्रकार सीमोन जैसे रेडिकल नारीवादियों ने उस दुनिया को उजागर किया, जिसमें पुरूष महिलाओं के शरीर पर नियंत्रण करते हैं और मातृत्व या यौन गुलामी की ओर ढकेल देते हैं।

पति पत्नी के संबंधों में महिला हिंसा का अर्थ है– दोनों में से किसी के द्वारा भी जानबूझकर किया गया कोई कार्य आचरण व्यवहार जिससे जीवनसाथी को किसी या उससे जुडे संबंधी या वस्तु को किसी भी प्रकार का शारीरिक यौनिक भावात्मक आर्थिक मानसिक आघात पहुंचे या पहुंचने की आशंका हो तो उसे महिला हिंसा कहेंगे।

महिला हिंसा के अनेक स्वरूप हो सकते हैं। पर इन्हें स्पष्ट रूप से दो भागों में बांटा जाता है– पहला आम दांपत्य मूलक हिंसा एवं दूसरा प्रताडना। आम दाम्पत्यमूलक हिंसा में लगातार चलने वाली कुंठा और क्रोध से उत्पन्न दुर्व्यवहार आतें हैं जो शारीरिक चोट या प्रताडना के रूप में सामने आ जाते हैं। प्रताडना में दुर्व्यवहार गंभीर एवं अधिक उग्र हो सकती है, परंतु इसका रूप एवं प्रभाव छुपा हुआ होता है। इसमें गालियां देना, आतंकित करना और धमकाना आदि जैसी क्रियायें आती हैं। इसमें

नियंत्रणकारी एवं एकाधिकार स्थापित करने वाले व्यवहार भी आतें हैं, जो सामने वाले के मनोबल पर प्रहार करते हैं। प्रताडना के प्रभाव आम दाम्पत्यमूलक हिंसा के प्रभाव से अधिक शक्तिशाली होते हैं।

भारत में घरेलू हिंसा

"स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में महिलाओं के हित में बनाये गए कानूनों, शिक्षा के फैलाव व आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद महिलाएं अब भी हिंसा की शिकार हैं। उनको पीटा जाना, अपमान किया जाना, बलात्कार किया जाना, जला दिया जाना व हत्या किया जाना आदि देखे जा सकते हैं।"[2]

"घरेलू हिंसा का अभिप्राय परिवार के सदस्य के साथ इस तरह का व्यवहार है जो उसे शारीरिक या मानसिक रूप से आघात करता हो और जिसे निर्धारित मानदंडों के अनुसार विचलन के रूप में देखा जा सकता है। यहां दो प्रश्न बनते हैंः प्रथम घरेलू हिंसा कौन उत्पन्न करता है और दूसरा यह हिंसा किसके विरूद्ध होती है? प्रथम का जवाब यह है घरेलू हिंसा प्रायः परिवार के प्रभुता संपन्न पुरूष या स्त्री के द्वारा होती है। दूसरे का जवाब यह है यह हिंसा महिलाओं के विरूद्ध होती हैं। ये महिलाएं घर की लडकियां होती हैं या फिर विवाह बंधन के द्वारा आई घर की बहुएं होती हैं। इन महिलाओं के विरूद्ध की जाने वाली हिंसा को घरेलू हिंसा कहा जाता है।"[3]

घरेलू हिंसा की अवधारणा को दो रूपों में स्पष्ट किया गया है। साधारण अर्थों में, हिंसा का अभिप्राय किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, चोट पहुंचाना या शारीरिक रूप से घायल करना है। स्ट्रॉस के शब्दों में किसी को नुकसान या चोट पहुंचाने की दृष्टि से उस पर जानबूझकर किया गया आघात हिंसा है। चाहे वास्तव में चोट न पहुंचायी गयी हो। विशिष्ट अर्थों में हिंसा कोई भी वह व्यवहार है जिसकी औपचारिक रूप से सामाजिक निंदा की जाती है। राम आहूजा के शब्दों में हिंसा वह व्यवहार है जिसकी औपचारिक रूप से सामाजिक निंदा की जाती हो या जो नियमाचारी समूहों के व्यवहार संबंधी मानदंडों से विचलन हो।

इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि घरेलू हिंसा मूलतः महिलाओं के विरूद्ध हिंसा होती है। इस प्रकार किसी महिला से प्रत्यक्ष या परोक्ष बल प्रयोग करके कुछ लेना जो कि वह स्वेच्छा से देना नहीं चाहती तथा जिससे उस महिला को शारीरिक आधात या भावनात्मक धक्का या दोनों ही लगे हों घरेलू हिंसा है।

घरेलू हिंसा के कारण

"घरेलू हिंसा किसी कारण का परिणाम नहीं है। यह अनेक कारणों का परिणाम है। यद्यपि यह समस्या न केवल भारत की है, बल्कि अन्य देशो की भी है। भारत में प्राचीन काल से ही ऐसी परिस्थितियां बनी रहीं जिनका घरेलू हिंसा से संबंध रहा है। भारत के संदर्भ में घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण निम्नवत हैं"[4]–

1. "पुरूष प्रधान समाज– भारतीय समाज शुरू से ही पुरूष प्रधान रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में पुरूषों कीी प्रभुता को स्वीकार किया गया। इसीलिये उनके द्वारा बनाये गये रस्म–रिवाज, रहन–सहन एवं जीवन मूल्यों में महिलाओं को पुरूषों के अधीन रखा गया। यही प्रधान कारण है परिवार में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा होने का। इस व्यवस्था में पुरूष की प्रभुता उसे अपना वर्चस्व बनाये रखने के लिए ऐसे व्यवहारों की प्रेरणा देती हैं जिससे घरेलू हिंसा बढने लगती है।"[5]

2. "हिंदू धर्म–भारतीय समाज में घरेलू हिंसा का एक मुख्य कारण हिंदू धर्म कहा गया है। इस धर्म में पुरूष को महिलाओं से श्रेष्ठ बतलाया तथा यह शिक्षा दी कि पुरूष व महिला का कार्य एक समान नहीं हो सकता। उनके अनुसार महिलाओं से मां व गृहिणी के कार्यों की जीवनपर्यंत महिलाओं को पुरूषों पर आश्रित बना दिा है। फलस्वरूप पुरूषों को महिलाओं के साथ शारीरिक व मानसिक हिंसा करने की आजादी मिल गयी।

3. आर्थिक निर्भरता– भारतीय समाज में घरेलू हिंसा के बढ़ने का एक कारण महिलाओं की आर्थिक निर्भरता रही है। आर्थिक मामलों में अधिकांश महिलायें जन्म से मरण तक पुरूषों पर निर्भर रहीं। प्रारंभा में पिता पर, विवाह के बाद पति पर और फिर वृद्धावस्था में पुत्र पर। इस निर्भरता ने महिलाओं को इतना कमजोर बना दिया कि पुरूषों के बराबर होने की बात सोचना उनके लिए असंभव प्रतीत होने लगा। फिर पुरूषों के द्वारा यातना, प्रताड़ना व पीटा जाना आदि को स्वीकार करना उनकी आदत सी बन गई।

4. वैवाहिक नियम– भारतीय समाज में घरेलू हिंसा के बढ़ने का एक प्रधान कारण वैवाहिक नियमों कीी प्रधानता है। इन नियमों में कन्यादान, बाल विवाह, कुलीन विवाह, विधवा विाह निषेध दहेज प्रथा व बहुपत्नी विाह आदि प्रमुख हैं। ये स्थितियां ऐसी हैं जो मूलतः महिलाओं को पुरूषों से निम्न व अधीन मानती हैं। फलस्वरूप पुरूषों द्वारा यातना देना, गाली देना व प्रताड़ित करना आदि हिंसा के रूप में देखे जा सकते हैं। दहेज की कमी के चलते बहुएं जलाई जाती हैं।

5. दोषपूर्ण व्यक्तित्व– घरेलू हिंसा का एक प्रधान कारण दोषपूर्ण व्यक्तित्व का होना है। ऐसा अध्ययन के दौरान पाया गया है कि जो पुरूष बचपन में हिंसा के शिकार बने हों, मद्यपान के चलते आर्थिक तनाव में हों, जिनकी मानसिकता संदेहास्पद हो, मानसिक रोग से पीड़ित हों, वे जिनमें हीनता की भावना व आत्म सम्मान की कमी हो, वे ज्यादा हिंसात्मक होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी कमजोरी को छिपाने के क्रम में अनेक तरह की घरेलू हिंसा करते हैं।"[6]

जितने काल तक के हमारे पास सामाजिक संगठन और पारिवारिक जीवन के लिखित प्रमाण उपलब्ध हैं, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आज शनैः शनैः महिलाओं को पुरूषों के जीवन में महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और अर्थपूर्ण सहयोगी माना जाने लगा है। परंतु कुछ दशक पहले तक उनकी स्थिति दयनीय थी। विचारधाराओं, संस्थागत रिवाजों, और समाज में प्रचलित प्रतिमानों ने उनके उत्पीड़न में काफी योगदान दिया है। इनमें से कुछ व्यवहारिक रिवाज आज भी पनप रहे हैं। स्वाधीनता के पश्चात् हमारे समाज में महिलाओं के समर्थन में बनाए गए कानूनों, महिलाओं में शिक्षा के फैलाव और महिलाओं की धीरे–धीरे बढ़ती हुई आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद असंख्य महिलाएं अब भी हिंसा की शिकार हैं। उनको पीटा जाता है, उनका अपहरण किया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनको जला दिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है या उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी नवीन आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रभर में महिलाओं के विरूद्ध अपराध में 2010 के बाद से 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।"[7]

"यदि हम विभिन्न एजेंसियों द्वारा दिए गए आंकड़ों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि महिलाओं के प्रति अपराध के मामले प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं। एनसीआर द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर एक गैर सरकारी संगठन द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार 1998 से 2011 के बीच 13 वर्षों में महिलाओं के प्रति अपराध में 74 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि की दर सबसे ज्यादा 140 प्रतिशत पर है, अपहरण के 117 प्रतिशत, बलात्कार 60 प्रतिशत और छेड़छाड़ 40 प्रतिशत है। लगभग

30 प्रतिशत मामले पति और ससुराल वालों द्वारा क्रुरता के है। द संडे गार्जियन 6 अप्रेल 2013। इसी तरह लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के प्रति अपराध की कुल घटनायें आईपीएल एवं एसएलएल जो 2007 में 185312 थीं, 2011 में बढ़कर 228650 हो गई है। वर्ष 2012 में यह संख्या 244270 थी। इस प्रकार वर्ष के दौरान 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अपराध के लिहाज से यह आंकड़ा इस प्रकार है–अपहरण के 38262, उनके शील भंग करने के इरादे के साथ महिलाओं पर हमला 45351, महिलाओं के शील भंग के लिए किए गए अपमान 9173, पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता 106527 और विदेशों से लड़कियों को छल से/धोखें से लाना 59 प्रतिशत के आधार पर हर वर्ष कुल अपराध क्रमशः 1.6, 1.9, 0.4,, 4.5 और 0.0 हो रहे है। यह कहा जाता है कि भारत में हर 20 मिनट में एक बलात्कार हर 25 मिनट में छेड़छाड़, हर 40 मिनट में अपहरण और हर 4 घंटों में दहेज हत्या होती है।"

"महिलाओं के खिलाफ हिंसा प्रमुखतः पांच कारकों से प्रभावित हो सकते हैंः 1. स्थिति का निर्माण, जिसके कारण हिंसापूर्ण व्यवहार होता है। 2. स्थितिजन्य सुविधाएं जो हिंसा को बढ़ावा देती हैं। 3. बदलते हुए घटक जो हिंसा का नेतृत्व करते हैं। 4. हिंसा करने वाले व्यक्ति द्वारा तनाव अनुभव करना उसकी व्यक्तिगत समस्यायें 5. पीड़ित का व्यवहार, हिंसा से पहले हिंसा करने वाले साथ। इन सभी कारकों पर सम्मिलित दृष्टि रखने से हम महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के सही कारणों तक पहुंच जाते है। विशेष रूप से तीन कारक एक व्यक्ति को महिला के विरूद्ध हिंसा करने के लिए उत्प्रेरित करने की प्रमुख भूमिका निभाते हैं– 1. अपराधी का अपने बालपन में दुर्व्यवहार का शिकार होने का इतिहास जैसे दुखद परवरिश, माता–पिता द्वारा शारीरिक प्रताड़ना और भावानात्मक अस्वीकृति। 2. परिवार में तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना। 3. हताशा व निराशापूर्ण स्थितियां। पहला कारक इंगित करता है कि अपराधी का हिंसात्मक व्यवहार बचपन और किशोरावस्था के भावनात्मक पीड़ा के अनुभवों से उपजा है। यह पीढ़ीगत सिद्धांत कीी मान्यता पर आधारित है कि हिंसक घर में वयस्क के रूप में बड़े होने पर व्यक्ति के हिंसक होने की संभावना बढ़ जाती है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अध्ययन बताते हैं कि 78 प्रतिशत महिलायें बचपन में हिंसा की शिकार हो गई थीं। साथ ही सोशल लर्निंग थ्योरी का भी ये तथ्य समर्थन करते हैं जिसके अनुसार एक हिंसक व्यवहार में लिप्त व्यक्ति ने तंत्र से मुकाबला/संघर्ष के रूप में सीखा है। महिलाओं की सहिष्णुता या सहन करने कीी आदत को लनर्ड हेल्पनेसलैस थ्योरी और पारंपरिक समाजीकरण सिद्धांत से समझा जा सकता है। बाद के सिद्धांत पारंपरिक मूल्यों और सेक्स भूमिका की विचारधारा से जुड़े है। जो महिला द्वारा विरोध न करने की स्थिति को दर्शाते हैं। चूंकि वह यह मानती है कि पुरूष उससे बेहतर है अतएव उसे विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। इन सिद्धांतों का कहना है कि घटनाएं स्त्री के जीवन में पर्याप्त नियमितता के साथ होती है। जिसकी वजह से वह अवसाद और कमजोर आत्म विश्वास की भावना से ग्रसित हो जाती है और मानने लगती है कि वह शिकार होने से बच नहीं सकती।"[9]

निष्कर्ष

कहा जाता है कि परिवर्तन अवश्यंभावी है तथा शश्वत सत्य है। परंतु लगता है कि स्त्रियों के विषय पर आकर यह शाश्वत सत्य भी झूठा साबित हो जाता है। इस परिवर्तनशील संसार में दो चीजें नहीं बदली–एक नारी की स्थिति तथा दूसरा नारी से जुडी समस्यायें तथा उनसे जुडे कडवे सच। लैंगिक पक्षपात हमारे समाज का सबसे बडा सच हैं। लिंग एक जैविकीय तथ्य है, परंतु अगर इसमें किसी प्रकार की असमानता जोड दी जाये या इसके आधार पर किसी प्रकार काभोदभाव किया जाये, तो

यह सामाजिक तथ्य बन जाता है। जिसे लैंगिक असमानता या पक्षपात कहा जाता है। यहां लैंगिक पक्षपात न केवल पारिवारिक स्तर पर बल्कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुरक्षा आर्थिक एवं राजनैतिक सभी क्षेंत्रों में स्पष्ट रूप से देखा जाता हैं लैंगिक पक्षपपात को हम परिवार से ही प्रारंभ होता हुए देखते हैं।

परिवार के अंदर प्रारंभ से ही एक लडकी को भेदभाव पूर्ण पारिवारिक परिवेश मिलता है। लडकों को समझाया जाता है कि वे श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे लडके हैं। लडकियों को घर गृहस्थी से जुडे खिलौने दिये जाते हैं। सुदरता, मोहकता शालीनता का पाठ बचपन से ही पढाया जाता है। लडकियों को शीशे के सामने खडा होने नाचने गाने श्रृंगार करने आदि पर रोक नहीं लगाया जाता हैं परंतु लडका ऐसा करे तो इसके लिए उसे डांट पडती हैं उसे पौरूष से जुडी बातें सिखने पर बल दिया जाता है। यहां तक कि सिमोन ने कहा कि एक लडकी पैदा नहीं होती उसे लडकी बना दिया जाता है।

भारत जैसे धार्मिक देश में जहां स्त्रियों की पूजा करनी चाहिए जैसी कथाएं प्रचलित हैं वहीं महिलाएं पितृसतात्मक सामाजिक व्यवस्था के नीचे पीस रही है। इनकी श्रम बाजार में निम्न स्तरीय भागीदारी निम्नस्तरीय विकास तथा कुशलता के निम्नस्तर का सीधा संबंध इनके निम्न शैक्षिक स्तर से है। लाख कानून बने, नियम बने, लागू हों विकास की नीतियां बनाई जाए पर पुरूष मानसिकता आज भी महिला को सहयोगी मानने की नहीं बन पाई है। अगर महिला हंसमुख एवं मिलनसार है तो चालू मानी जाएगी अगर चुप अपने में सिमटी तो घमण्डी कही जायेगी। यौन अपशब्द तथा दुर्व्यवहार राह चलते बस महिलाओं का ही इंतजार करते रहते हैं। अगर लडकी विरोध कर दे तो तुरंत होगा कि लडकी का चाल चलन ठीक नहीं था, कपउे भडकाउ पहने थे। जिस देश में नारी की पूजा करने की बात की जाती है वहां पूजा तो आज तक नहीं पायी पर डायन का आरोप लगाकर नंगा गांव में घुमाने मार डालने मुंह पर कालिख पोतने की घटना जरूर आम खबर की तरह अखबारों की सुर्खियां बनती रहती हैं।

इस तरह हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार लगातार बढते जा रहे हैं यहां पर यह बताना आवश्यक है कि शर्म की संस्कृति तथा पुलिस पर अविश्वास जैसे कई अन्य कारणों की वजह से महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा की रिपोर्टिंग की संख्या बहुत कम हैं अगर इमानदारी से इन सारे आंकडों को संकलित किया जाय तथा सारी घटनाओं की रिपोर्टिंग हो तो आंकडों के दुगने हो जाने की उम्मीद है।

भारत में संविधान के अलावा अनेक कानून पारित हुए हैं जो महिलाअें के विशेष हितों के लिए हैं जैसे दहेज निषेध अधिनियम। महिलाओं के लिए बने अनय कानून तथा अधिकारों के बावजूद महिलाएं हर कदम पर भेदभाव तथा हिंसा की शिकार होती हैं। हिंसा के विभिन्न रूप की तरह इनके होने के कारण सहने के कारण तथा प्रभाव आदि भी अलग अलग होते हैं। महिला हिंसा जो अब समाज में व्यापक रूप ले चुका है और एक दानव की तरह महिलाओं का जीवन उनकी खुशियां तथा उनके आत्मसम्मान को निगल रहा हैं उनके सहने को कम प्रकाश में आने के कारण उनकी परिस्थितियों को बदल रहा हैं।

संदर्भ सूची

1. फेलसन आर एंड आउटला एम, 2007, दी कंट्रोल मोटिव एंड मैरिटल वायलेंस एंड विटिम्स, वॉल्यूम 22/4 पृ 3

2. सिंह, गोपी रमण प्रसाद सिंह, 2014–15, नातेदारी, विवाह और परिवार, अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा पृ संख्या 187

3. उपरोक्त सिहं पृ संख्या 188

4. पूर्वोक्त सिंह पृ संख्या 189

5. पूर्वोक्त सिंह पृ संख्या 190

6. पूर्वोक्त सिंह पृ संख्या 191

7. टाइम्स ऑफ इंडिया, 27 अगस्त 2013

8. आहूजा, राम, 2016, सामाजिक समस्यायें रावत प्रकाशन जयपूर पृ 223

9. उपरोक्त आहूजा पृ 235–36

झारखण्ड में जनजातीय प्रवसन की स्थिति : समस्या एवं समाधान

प्रियंका कुमारी

शोध छात्रा (आर.जी.एन.एफ), एम.फिल, यूजीसी नेट, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, राँची विश्वविद्यालय, राँची

पलायन मनुष्य का एक जगह से दूसरे जगह जाने व वहाँ पर स्थायी या अस्थायी रूप से रहने के आधार पर परिभाषित होता है। प्रवसन या तो बड़े पैमाने पर एक देश से दूसरे देश को हो सकता है तो दूसरी ओर स्थानीय प्रवसन भी होते हैं। जिसमें राज्यों व ग्रामों के आधार पर लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान परिवर्तन होता है। प्रवसन व्यक्तिगत हो सकता है तो पारिवारिक समूह के रूप में एवं बड़े समूहों के रूप में भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर आवागमन करते हैं। अगर नोमेडिक समूहों में प्रवसन को देखें तो इनमें दूसरे जगह पर स्थायी रूप से बसने के लिए स्थान परिवर्तन नहीं होता है बल्कि यह मौसमी प्रवास होता है जो प्रत्येक मौसम में बदलता रहता है। कुछ एक ही नोमेडिक समूह हैं जिन्होंने आधुनिकता के इस युग में अपनी पुरानी व पारंपरिक जीवन शैली को बनाये रखा है। अस्थायी तौर पर लोगों का स्थानांतरण कुछ दूसरे तथ्यों जैसे पर्यटन, तीर्थयात्रा पर भी निर्भर होता है जो व्यक्ति को कुछ समय के लिए दूसरे स्थानों पर स्थापित करता है।

झारखण्ड यानी झार या झाड जो स्थानीय रूप में वन का पर्याय है और खण्ड यानी टुकडे से मिलकर बना है। अपने नाम के अनुरूप यह मूलतः एक वन प्रदेश है जो झारखण्ड आंदोलन के फलस्वरूप सृजित हुआ है। प्रचुर मात्रा में खनिज की उपलब्धता के कारण इसे भारत का गरूर भी कहा जाता है जो जर्मनी में खनिज प्रदेश के नाम से विख्यात है।

झारखण्ड एक जनजातीय राज्य है। 15 नवंबर 2000 को यह प्रदेश भारतवर्ष का 28वां राज्य बना। बिहार के दक्षिणी हिस्से को विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था। झारखण्ड का सामान्य अर्थ है झाडों का प्रदेश। बुकानन के अनुसार काशी से लेकर बीरभूम तक समस्त पठारी क्षेत्र झारखण्ड कहलाता है। ऐतरेय ब्राहम्ण में यह पुण्ड नाम से वर्णित है। जनजातीय क्षेत्रों के लिए झारखण्ड शब्द का प्रयोग पहली बार 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में हुआ है। महाभारत काल में इस क्षेत्र का वर्णन पुण्डरिक देश के नाम से हुआ है जबकि मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इस क्षेत्र का उल्लेख झारखण्ड नाम से किया है। मल्लिक मुहम्मद जायसी ने अपनी शास्वत रचना पद्मावत में झारखण्ड नाम की चर्चा की है। संभवतः जंगल झाड़ की अधिकता ने ही झारखण्ड नाम को जन्म दिया ऐसा प्रतीत होता है।

झारखण्ड की जनजातियाँ

2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 7087068 है जो राज्य की कुल जनसंख्या का 26.3 प्रतिशत है। जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर इस राज्य का देश में चौथा स्थान है। अनुसूचित जनजातियां मुख्य रूप से ग्रामीण हैं जैसा कि 91.7 प्रतिशत जनजातियां गांवों में निवास करती है। जनसंख्या का जिलेवार वितरण से पता चलता है कि अनुसूचित जनजाति की उच्चतम अनुपात 68.4 प्रतिशत गुमला जिले के हैं।[1]

अनुसूचित जनजातियों की कुल आबादी का आधे से अधिक जनसंख्या लोहरदगा जिले और पश्चिमी सिंहभूम जिले में हैं जबकि रांची और पाकुड में इनका प्रतिशत 41.8 व 44.6 है। कोडरमा जिले में अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या का अनुपात 0.8 प्रतिशत और चतरा में 3.8 प्रतिशत है। झारखंड डमें 32 आदिवासी समूह अथवा अनुसूचित जनजातियां रहती है। जिसमें मुंडा, संथाल, उरांव, खरिया और हो प्रमुख हैं।[2]

झारखण्ड में पलायन की स्थिति

भारत जैसे विशाल देश में आबादी का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पलायन करने का अध्ययन करना समाज की संरचना को समझने में एक बेहतर भूमिका निभाता है। इस स्थिति में जबकि देश के विविध राज्य तीव्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में लगे हैं जिसमें की उत्पादन में वृद्धि, सूचना एवं सेवा क्षेत्र का विकास और प्रवसन पर एकत्रित किये गये आंकड़े महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।

जहां तक झारखण्ड में पलायन की बात है तो इसका मुख्य कारण प्राकृतिक संसाधनों में होने वाली कमी है। जिसके चलते जनजातियों व विशेष तौर पर जनजातीय महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृषि की पद्धति में होने वाले परिवर्तन ने जनजातियों के पलायन को बढ़ावा दिया है।

एक अध्ययन में 30 प्रवासित जनजातीय महिलाओं के अध्ययन में यह बात सामने आई है कि कृषि का बदलता स्वरूप इसके लिए मुख्यतया जिम्मेदार है। लोग पलायन करते हैं कि क्योंकि एक फसली खेती होती है और आधे वर्ष उनको बेरोजगार रहना पड़ता है। दूसरी तरफ खेती का आकार घटता जा रहा है। पलामू में तो एक एक हेक्टेयर प्रति परिवार से भी कम हो गया है। कुरथी, गुदली सरगुजा, मडुआ जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है उसकी खेती घट रही है। साथ ही यह बात भी सामने आई की महिलायें दलालों के माध्यम से प्रवसन करती हैं जिसमें न तो कोई सूचना होती है और न ही सुरक्षा। यहां तक की जब वे परिवार के साथ जाती हैं तो पुरूषों की तुलना में उनको कम मजदूरी मिलती है। उदाहरण के लिए मांडर प्रखण्ड में महिलाओं को ईंट भट्ठे में एक दिन के 85 रूपये मिलते हैं वही पुरूषों को 200 रूपये रोज के मिलते हैं। अशिक्षा के कारण महिलाओं को कानूनों का काफी कम ज्ञान है इसलिए वे अपने अधिकारों के प्रति आवाज भी नहीं उठा पाती हैं।[3] इसलिए वे नजदीक के शहरें में घरेलू नौकरानी का काम करती हैं। इस कारण से महिलाओं व लड़कियों की ट्रैफिकिंग काफी आसान होती है।

झारखण्ड राज्य अपने प्राकृतिक संसाधनों एवं कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। परंतु नगरीकरण के विस्तार के कारण वनों में कमी आ रही है। जिससे जनजातीय जनजीवन प्रभावित हो रहा है। संथाल, उरांव, हो, मुंडा जैसी जनजातियां जो वनों पर ही निर्भर थी अब वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रही हैं। जिसके कारण वे भूमिहिन मजदूर या प्रवासी मजदूरों के रूप में पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। परिवार के साथ उनके बच्चे भी पलायन करते हैं परंतु पलायीत जगह पर बच्चों की देखभाल सही तरीके से नहीं हो पाती है। सामान्य तौर पर वे ईंट भट्ठों या कृषि मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए बंगाल या बिहार के जिलों में जाते हैं।

समस्याएं

सामान्य रूप में जनजातियों की समस्याओं को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत विवेचित किया जा सकता है–

प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की समाप्तिः

ब्रिटिश शासन के आगमन से पूर्व जनजातियां प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, जंगल, वन्यजीवन, जल, मिटटी, मत्स्य इत्यादि के ऊपर स्वामित्व एवं प्रबंधन के निर्बाध अधिकारों का उपभोग करती थीं। औपनिवेशिक शासन के अधीन अधिकाधिक जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है। भारत में औद्योगीकरण की शुरूआत तथा खनिजों की खोज ने जनजातीय क्षेत्रों को बाहरीजगत के लिए खोल दिया है। जनजातीय नियंत्रण का स्थान राजकीय नियंत्रण द्वारा ले लिया गया है। इस प्रकार जनजातियों की कभी न खत्म होने वाली विपन्नता का दौर शुरू हुआ। स्वतंत्रता के बाद विकास प्रक्रिया के साधनों के रूप में भूमि एवं वनों पर दबाव बढता गया है। इसका परिणाम भूमि पर से स्वामित्व अधिकारों की समाप्ति के रूप में सामने आया। इसने बेमियादी श्रृणग्रस्तता भूस्वामी, महाजन, ठेकेदार तथा अधिकारी जैसे शोषणकर्ता वर्गों को जन्म दिया। संरक्षित वनों की अवधारणाओं ने जनजातियों में अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कटने का भाव उत्पन्न किया और वे अपनी आजीविका के सुरक्षित साधनों से वंचित होते गये।[4]

शिक्षा का अभावः

2001 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की कुल जनसंख्या का 70 प्रतिशत से अधिक भाग निरक्षर है। जनजातीय अंधविश्वास व पूर्वाग्रह, अत्यधिक गरीबी, कुछ शिक्षकों व अन्य सुविधाओं की कमी आदि ऐसे कारक हैं, जो जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार को बाधित करते हैं। शिक्षा के प्रसार के द्वारा ही जनजातीयों को विकास प्रक्रिया का सच्चा भागीदार बनाया जा सकता है।

विस्थापन एवं पुनर्वासः

स्वतंत्रता के पश्चात् विकास प्रक्रिया का केंद्रबिंदू भारी उद्योगों एवं कोर सेक्टर का विकास रहा है। इसके परिणामतः विशाल इस्पात संयंत्र, शक्ति परियोजनाएं एवं बड़े बांध अस्तित्व में आये, जिन्हें अधिकतर जनजातीय रिहाइश वाले क्षेत्रों में स्थापित किया गया है। इन क्षेत्रों में खनन संबंधी गतिविधियां भी तीव्र होती गयीं। इन परियोजनाओं हेतु सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों की भूमि का विशाल पैमाने पर अधिग्रहण किया गया जिससे जनजातीय लोगों के विस्थापन की समस्यायें पैदा हुई। छोटानागपुर, ओडिसा, पं बंगाल, छतीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश के जनजातीय संकेंद्रण वाले क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए। सरकार द्वारा प्रदान की गयी नकद क्षतिपूर्ति की राशि व्यर्थ के कार्यों में अपव्यय हो गयी। औद्योगिक क्षेत्रों में विस्थापित जनजातियों को बसाने के समुचित प्रयासों के अभाव में ये जनजातियां या तो निकट की मलिन बस्तियों में रहने लगी या अकुशल श्रमिकों के रूप में निकटवर्ती प्रदेशों में प्रवास कर गयीं।[5] शहरी क्षेत्रों में इन्हें जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये शहरी जीवन शैली एवं मूल्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ नहीं हो पाती हैं।

अपने देश के समाज जीवन में एक बहुत बडा वर्ग जनजातीय समाज का है। कई वर्षों से यह समाज विस्थापन की समस्या से ग्रस्त है। एक जानकारी के अनुसार 1960 के पश्चात् देश के कुल विस्थापितों में से 45 प्रतिशत जनजातीय वर्ग से हैं। ऐसे विस्थापितों के पुनर्वास का उचित विचार न होने के कारण 90 लाख से भी अधिक लोगों को असहाय अवस्था में शरणार्थी की तरह रहना अनिवार्य सा हो गया है। जनजातीय समाज में असंगठित अवस्था रोजगार का अभाव शिक्षा एवं उनका आर्थिक पिछडापन जैसे कई कारण देखने को मिलते है। ये कारण भी उन्हें विस्थापित होने पर बाध्य करते हैं।[6]

झारखण्ड के गुमला, रांची, हजारीबाग व सिंहभूम जिले के हजारों जनजातीय लोग आज भी श्रमिकों के रूप में बिहार तथा बंगाल जैसे क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु विस्थापित होते है। उद्योगों के

साथ–साथ भवन निर्माण, सडक निर्माण आदि अन्य अनेक कामों के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अधिकांश स्थानों पर ऐसे परिश्रमी कार्य जनजातीय समाज के लोग ही करते हैं। इस हेतु वे अपना गांव छोड़कर शहरों में आते हैं। परंतु ये सारे काम करते समय उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे निवास, चिकित्सा व शिक्षा इत्यादि। जहां वे काम करते हैं वहां वर्षा, गरमी, जाड़े आदि सभी समयों में उन्हें खुले में रहना पड़ता है। दिल्ली जैसे महानगरों तथा आसपास के अन्य स्थानों पर घरेलू काम करने हेतु भी श्रमिकों की आवश्यकता रहती है। इसमें महिलाओं की संख्या अधिक होती है। इनमें भी अधिकांश महिलाएं झारखण्ड, छतीसगढ़ व उड़ीसा जैसे राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से आती है। यह भी एक प्रकार का पलायन है।

स्वास्थ्य एवं कुपोषण की समस्याएंः

आर्थिक पिछड़ेपन एवं असुरक्षित आजीविका के साधनों के कारण जनजातियों को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जनजातीय क्षेत्रो ंमें मलेरिया, क्षय रोग, पीलिया, हैजा तथा अतिसार जैसी बीमारियां व्याप्त रहती हैं। लौह तत्व की कमी, रक्ताल्पता, उच्च शिशु मृत्यु दर एवं जीवन प्रत्याशा का निम्न स्तर आदि समस्यायें कुपोषण से जुडी हुई हैं जो जनजातीय प्रवसन को प्रोत्साहित करती हैं।

लैंगिक मुददेः

प्राकृतिक पर्यावरण के क्षय, विशेषतः वनों के विनाश व संसाधनों की घटती मात्रा के कारण, ने जनजातीय महिलाओं की स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला है। खनन व उद्योग हेतु जनजातीय क्षेत्रों का खुलना तथा उनका व्यवसायीकरण होना जनजातियों के स्त्री पुरूषों को बाजार अर्थव्यवस्था के हथकंडों का शिकार बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है। इससे उपभोक्तावाद तथा महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझने की अवरधारणाओं को मजबूती मिली है।

झारखण्ड में जनजातीय पलायन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं जिनका समाधान करते हुए इस समस्या को दूर किया जा सकता है–

कर्जदारी – आदिवासी लोग अपनी गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी तथा अपने दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण कर्ज लेने को मजबूर होते हैं जिसके कारण दूसरे लोग इनका फायदा उठाते हैं। आदिवासियों के लिए कर्ज की समस्या सबसे जटिल है। जिसके कारण जनजातीय लोग साहूकारों के शोषण का शिकार होते हैं। नृजातीय अध्ययनों तथा प्रमाणों से यह स्पष्ट पता चलता है कि ठेकेदारों तथा अन्य लोगों के द्वारा इनके क्षेत्रों में हस्तक्षेप से पूर्व ये जनजातियां इतनी दुर्बल, निर्धन तथा विवश नहीं थीं। ये लोग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर थे। वन संपदा पर इनका अधिकार था। दुर्भाग्यवश जब आर्थिक विकास की योजनाओं के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों में विकास की बयार आई तथा इनके क्षेत्र सभी प्रकार के लोगों के लिए खोल दिए गए तो विकास का लाभ उठाने के लिए ये जनजातियां तैयार नहीं थीं। प्रशासन संगठित प्रयास की अनुपस्थिति में बाहरी तथा तथाकथित सभ्य लोगों ने इन जनजातियों की संवेदनशीलता का भरपूर लाभ उठाया। समय के साथ–साथ ये जनजातियां कठिन स्थितियों में पहुंच गयीं। जो एक गंभीर समस्या है और जनजातीय पलायन को बढ़ावा देती है।

भूमि हस्तांतरण – आदिवासी समाज मुख्य रूप से अपनी जीविका के लिए कृषि पर ही आश्रित होता है। आंकडों के अनुसार लगभग 90 प्रतिशत जनजातीय आबादी कृषक है।[7] जल जंगल व जमीन की लड़ाई लड़ने वाले आदिवासियों को अपनी भूमि से बहुत लगाव होता है जबकि जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि

की मांग में वृद्धि हुई है। साथ ही संचार व्यवस्था का विस्तार होने से समस्त जनजातीय क्षेत्र बाहरी लोगों के लिए खुल गया है। इससे भूमि हस्तांतरण जैसी समस्या बढ़ी है। बाहरी वर्ग के कारण भूमि अधिग्रहण काफी हुआ है। जिससे उनकी स्थिति काफी दयनीय हुई है। जिससे वे पलायन करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

गरीबी – निश्चित रूप से कहीं न कहीं आदिवासी समस्याओं का महत्वपूर्ण तत्व गरीबी से जुडा है। कर्ज हो या भूमि हस्तांतरण सभी के पीछे गरीबी ही मुख्य कारक है। पूरे भारत के लिए गरीबी एक अभिशाप है हमारे यहां गरीबी का स्तर यह है कि बहुत से लोगों को बमुश्किल एक वक्त का ही भोजन नसीब हो पाता है यह हालात अनुसूचित जनजातियों के लिए और भी सोचनीय है।

देश में गरीबी हटाओ जैसे कार्यक्रम बने मगर उसका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाया। राज्य सरकार ने भी गरीबी कम करने के लिए भूमि सुधार, कृषिगत आय और आधिक्य का पुनः वितरण और रोजगार बढ़ाने की दृष्टि से शिक्षा संबंधी कई योजनाएं चलाई किंतु उसे भी पूर्ण रूप नहीं दिया जा सका। साथ ही आदिवासियों से जंगलों के वन उत्पाद संबंधित उनके परंपरागत अधिकार पूरी तरह से छिन लिए गए। जनजातियों की अच्छी उपजाऊ जमीनें बाहरी लोगों के हाथ में चली गई। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर उन्हें मजदूरी करने के बाद भी प्राप्त नहीं हो पाती है।[8] जिससे उनकी गरीबी कम होने की जगह बढ़ी है। इससे उनके पलायन करने की दर में दिन प्रतिदिन बढोतरी होती जा रही है।

बेरोजगारी – आदिवासी हमेशा से दूर दराज के क्षेत्रों में मुख्यधारा के लोगों से दूर रहे हैं किंतु इधर बाहरी लोगों के प्रवेश के कारण आज उनकी उपजाऊ जमीन खुद उनकी नहीं रही। साथ ही जंगलों पर अपना अधिकार समझने वाले आदिवासियों का इन पर भी अब कोई अधिकार नहीं रहा। अशिक्षित और कम शिक्षित होने के कारण इनके रोजगार के साधन भी सीमित ही हैं। कल तक कृषि को मुख्य पेशा बनाने वाले यह लोग अब मजदूरी करने को मजबूर है। सरकार के द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाएं अपार्याप्त हैं। रोजी–रोटी कमाने के कम साधन के कारण इनमें असंतोष का भाव पैदा हो रहा है। जिससे पलायन में बढोतरी हो रही है।

मूल्यांकन

पलायन वह समस्या है जो न सिर्फ व्यक्ति को प्रभावित करता है बल्कि परिवार व समाज दोनों के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य को भी अस्थिर कर देता है। इसके कारण महिलाओं के आत्म सम्मान भरण–पोषण एवं सामाजिक अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। और अन्याय से लड़ने की उनकी नैतिक क्षमता सीमित व शिथिल होती जाती है। यद्यपी जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति को पुरूषों के समकक्ष माना जाता है परंतु निरक्षरता, पारिवारिक अस्थिरता जैसी परिस्थितियां उनके विकास में बाधक तत्व का कार्य कर रही हैं। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में काम की कमी सुविधाओं की उपलब्धता की कमी व पारंपरिक उत्पादन साधनों के परिवर्तन ने उनके अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है। जिससे वे पलायन करने को मजबूर होती जा रही हैं। एक आंकडे के अनुसार एक वर्ष में आधे समय तक वे पलायन स्थल पर ही रहती हैं। जैसे ईंट भट्ठे में या फसल कटाई में। वास्तव में यह हमारे समाज में महिलाओं को प्रदान की गई गृहिणी और मां की प्रभावशाली भूमिका के नकारात्मक परिदृश्य को प्रतिबिम्बित करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमों की अनिश्चितता एवं वर्षा की कमी जैसे कारणों से खेती से भरण पोषण संभव नहीं हो पा रहा है। जिसके बाद इनके सामने प्रवसन ही एक विकल्प के रूप में सामने आते हैं। प्रवसन के बहुत से नकारात्मक परिप्रेक्ष्य हैं जैसे उनको किसी संविदा के तहत पलायन नहीं कराया जाता बल्कि दलालों व बिचौलियों के माध्यम से वे पलायन करते हैं जिसके कारण न तो उनको कार्यस्थल पर पूरी मजदूरी दी जाती है और न ही उनको कार्य की बेहतर सुविधायें उपलब्ध होती हैं। परंतु वर्तमान परिवर्तित होते परिप्रेक्ष्य ने पलायन करने वाले समूहों के सामने एक संकट खड़ा कर दिया है।

जनजातीय समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया से न सिर्फ आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही है बल्कि लोगों के दिन प्रतिदिन के जीवन, संस्कृति, पारंपरिक लोकाचार एवं मूल्य, उत्पादन प्रणाली और अन्य लोगों के साथ सामाजिक संबंध भी इससे प्रभावित हो रहे हैं।

संदर्भ सूची

1. भारत की जनगणना 2001
2. भारत की जनगणना 2001
3. फनक द की ड्राइवर्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीकन इलिगल माइग्रेसन टू यूरोप, फनेक.कॉम रिट्राइभ 14 जुलाई 2015
4. जेनीसेन आर, 2007, कैजुअलिटी चेन्स इन द इंटरनेशनल माइग्रेशन सिस्टम एप्रोच, पॉपुलेशन रिसर्च एण्ड पॉलिसी रिव्यू पृ. 444
5. जेनीसेन आर, 2007, कैजुअलिटी चेन्स इन द इंटरनेशनल माइग्रेशन सिस्टम एप्रोच, पॉपुलेशन रिसर्च एण्ड पॉलिसी रिव्यू पृ. 467
6. दयाल एण्ड करन, 2003 उद्धृत प्रशांत कुमार, 2017, अंडरस्टैंडिंग मोबिलिटी एमंग ट्राइबल पॉपुलेशनः ए स्टडी ऑफ आंध्रप्रदेश एचटीटीपीएसः//डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.रिसर्चगेट.नेट/पब्लिकेशन/236940351
7. जगोरीए 2001 उद्धृत प्रशांत कुमार, 2017, अंडरस्टैंडिंग मोबिलिटी एमंग ट्राइबल पॉपुलेशनः ए स्टडी ऑफ आंध्रप्रदेश एचटीटीपीएसः//डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.रिसर्चगेट.नेट/पब्लिकेशन/236940351
8. एन एस ओ रिपोर्ट झारखण्ड 2010

मेरठ के क्रान्तिकारियों का स्वतन्त्रता आन्दोलन में योगदान

सचिन कुमार

असिस्टेन्ट प्रोफेसर, डी0ए0वी0 कॉलेज, मुजफ्फरनगर

सारांशः

मेरठ में क्रान्तिकारी गतिविधियों का प्रारम्भ वर्ष 1915–1916 से माना जा सकता है, जबकि गदर क्रान्तिकारियों ने मेरठ के सैनिकों में असन्तोष को जाग्रत करने की भरपूर कोशिश की थी। इस उद्देश्य हेतु करतार सिंह, सुच्चा सिंह व विष्णु गणेश पिंगले को मेरठ में भेजा गया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ने सारे उद्देश्य को समाप्त प्राय कर दिया, गाँधी जी भी अपने आन्दोलन के द्वारा स्वतन्त्रता का प्रयास कर रहे थे लेकिन उनके द्वारा असहयोग आन्दोलन को बीच में ही स्थगित करने के कारण युवाओं के मन में एक शंका पैदा हो गयी थी। प्रस्तुत शोध पत्र में मेरठ के क्रान्तिकारियों का स्वतन्त्रता आन्दोलन में योगदान पर प्रकाश डाला गया है।

मेरठ के क्रान्तिकारियों ने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की बलि हँसते–हँसते दे दी, क्योंकि उनका मानना था कि बिना शस्त्र के हम अपनी भारत माता को आजाद नहीं करा सकते, जिस समय में यह गतिविधियाँ प्रारम्भ हुई तो ब्रिटिश सरकार ने युवाओं का जेल में डालने का कार्य प्रारम्भ कर दिया, लेकिन जेलों में भी उनका मनोबल कम नहीं हुआ बल्कि वहीं पर रहकर उन्होंनें ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड फेंकने की रणनीतियों को जारी रखने का प्रयास किया और इसी सोच एवं रणनीति का परिणाम यह हुआ कि यह संगठन हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना।[1] मेरठ के प्रमुख क्रान्तिकारियों में विष्णु शरण दुबलिश का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि इन्होंने छात्र जीवन से ही ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध अपनी गतिविधियों संचालित करना प्रारम्भ कर दिया था। दुबलिश जी मुख्यतः काकोरी षडयंत्र केस में अभियुक्त थे जिस समय उनको गिरफ्तार कर जेल में डाला गया उसी समय उनका सम्पर्क जेल में बन्द रामप्रसाद बिस्मिल हुआ। बाद में दुबलिश जी जेल से निकलकर शचीन्द्रनाथ सान्याल से मिले और हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन एवं उद्देश्य के बारे में गम्भीरता से मनन एवं चिन्तन करने लगे।[2]

भगत सिंह, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, सुखदेव, चन्द्रशेखर आजाद आदि समान विचारधारा के युवकों के जुडने से हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम परिवर्तित करने पर विचार इनके मन में आया, इसी क्रम में 8, 9 सितम्बर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में इन युवाओं ने एक सभा की, और हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम बदलकर, हिन्दुस्तान सोशालिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कर दिया गया।[3]

इस संगठन ने सबसे पहले काकोरी षडयंत्र केस के अभियुक्तों का जेल से छुडाने, सरकारी गवाहों की हत्या करने, बमों का निर्माण करना आदि कार्यों को अंजाम दिया, इसी संगठन के दिशा–निर्देशों पर ही साण्डर्स की हत्या की गयी तथा असेम्बली में बम फेंका गया। बम डालने वालो में मुख्यतः भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त थे, जब इनको गिरफ्तार कर जेल में डाला गया तब इनकी प्रसिद्धि जन मानस में और बढ गयी अब इन महान देशभक्तों के कथनों एवं चित्रों का वितरण मेरठ शहर में बडे

स्तर पर किया गया, इस वितरण के कार्य में मेरठ के दो प्रमुख क्रान्तिकारी, विमल प्रसाद जैन एवं राजेन्द्र पाल सिंह ने सहयोग प्रदान किया तथा भ्ण्ण्त्ण्।ण् के साथ जुड गये।[4]

H.S.R.A. में नये युवाओं को अपनी और आकर्षित करने के लिए प्रथम कदम के रूप में प्रचार एवं प्रसार का सहारा लिया, मेरठ के छात्रावासों में रहने वाले क्रान्तिकारी विचारधारा रखने वाले विद्यार्थियों को H.S.R.A. में सम्मिलित किया, मेरठ के छात्रावास उनके लिए सुरक्षित स्थान था।[5]

जब मेरठ में क्रान्तिकारी गतिविधियाँ अपने चर्म पर थी उसी समय दरियाव सिंह नामक एक क्रान्तिकारी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, इस घटना से क्रान्तिकारी गतिविधियों में कुछ ठहराव सा आ गया तथा स्थानीय क्रान्तिकारी संगठनों पर ब्रिटिश सरकार ने सख्त कार्यवाही कर उन्हें समाप्त प्राय बना दिया तथा संचार के माध्यमों को नष्ट कर दिया।[6]

इस समय ब्रिटिश सरकार मार्क्सवादी तरीकों पर आधारित क्रान्तिकारी राष्ट्रवाद से अत्यधिक भयभीत थी और ब्रिटिश सरकार ने किसान संगठनों, मजदूर संगठनों के दमन का निश्चय किया, और मार्च 1929 में 31 व्यापारी नेताओं को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाने का निर्णय लिया इनमें मेरठ के दो प्रमुख नेता धर्मवीर सिंह व गौरी शंकर थे। धर्मवीर सिंह कई प्राप्तों की वामंथी पार्टी के उपाध्यक्ष थे। मेरठ में शुरू हुए मुकदमें को इतिहास में मेरठ षडयंत्र केस नाम से जाना जाता है।[7]

मेरठ में यह मुकदमा इसलिए भी चलाया गया क्योंकि मेरठ के मुकदमों में जूरी का प्रावधान नहीं थी तथा अन्य प्रान्तों की अपेक्षा यहाँ शान्ति थी क्योंकि मजदूर आन्दोलन एवं संगठनों का यहाँ अभाव था।

भारतीयों ने इन गिरफ्तारियों के पीछे ब्रिटिश उद्योगपतियों का हाथ होना बताया, मोहन लाल सक्सेना ने मेरठ की जनता से आग्रह किया कि वे इस मुकदमें के अभियुक्तों की पैरवी करे। इसी क्रम में डा0 सत्यपाल ने उद्घोषणा की कि मेरठ एक ऐसी आग की चिंगारी पैदा करेगा जो भारत की बेडी को तोडकर उसे स्वतन्त्रता प्रदान करेगी।[8] इस केस के विरूद्ध अनेक धरनों एवं प्रदर्शनों का आयोजन किया गया तथा सरकार विरोधी भाषण किये गये। सरदूल सिंह कविशर ने कहा कि मेरठ की धरती इन धरनों से धार्मिक एवं पवित्र बन गयी है। कुछ भारतीय राजनीति के महान नेताओं ने भी इस समय मेरठ का दौरा किया जैसे राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू आदि।

25 मार्च को होली के त्यौहार के अवसर पर अतरसैन जैन, बद्री प्रसाद विशाल, रामचन्द्र शर्मा, के नेतृत्व में हजारों लोगों ने मेरठ जेल की ओर मार्च किया तथा सरकार विरोधी नारे लगाये।[9]

अपने नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर किसानों एवं श्रमिकों में असन्तोष था। अपने लोगों को छुडाने के लिए 6 अप्रैल 1929 को एक किसान सभा का आयोजन किया गया जिसमें प्रमुख क्रान्तिकारी विजयपाल सिंह ने अपने भाषण में ब्रिटिश सरकार के एजेन्टों पर आरोप लगाये तथा किसानों की हालत के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया।[10]

मेरठ षडयंत्र केस के अभियुक्तों की सहायता के लिए कई संगठनों का निर्माण भी किया गया जिसमें मेरठ षडयन्त्र सेवा संघ, यूथ लीग, आदि। यूथ लीग जल्दी ही युवाओं में एक अग्रणी एवं शक्तिशाली संगठन बन गया, तथा अनेक प्रस्ताव इन संगठनों के द्वारा पास किये गये, जो लाल स्याही से लिखे जाते थे।[11]

मेरठ कालिज तत्कालीन समय का क्रान्तिकारी गतिविधियों का गढ हो चला था। मेरठ के पुलिस कमिश्नर ने एक रिपोर्ट कालिज के प्राध्यापक को सौंपी तथा छात्रावासों की तलाशी ली, कालिज की प्रबन्धक समिति ने, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों पर सक्रिय राजनीति पर प्रतिबन्ध लगा दिया और दूरी बनाने का आदेश दिया।[12]

मेरठ में बढ़ती क्रान्तिकारी गतिविधियों ने लोगों में स्वतन्त्रता के लिए संचार पैदा कर दिया तथा 1915 से 1929 तक आते–आते पूरा भारत क्रान्तिकारी गतिविधियों में सम्मिलित हो गया, इसी क्रम में गाँधी जी ने भी **'यंग इण्डिया'** में लिखा कि 1929 का वर्ष भारतीय नवयुवकों में महान जाग्रति का काल था।[13] उपरोक्त में प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह आभास होता है कि मेरठ की धरती के सपूतों ने सदा ही भारत माता की आजादी में अपनी, आन–बान–शान की कुर्बानी बढ़ चढ़कर दी, और अन्य प्रान्तों को भी इस महायज्ञ में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।

सन्दर्भ सूचीः–

1. साक्षात्कार, विष्णु शरण दुबलिश
2. वही
3. एच0 डब्लू हेल, पालिटिकल ट्रबल इन इण्डिया 1917–1937 इलाहाबाद 1974, पृ0 59
4. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, 3 जनवरी 1977 तथा साक्षात्कार, राजेन्द्र पाल सिंह वारियार
5. साक्षात्कार : राजेन्द्र पाल सिंह वारियार
6. एच0डब्लू हेल, "पालिटिकल ट्रबल इन इण्डिया" 1917–1937 इलाहाबाद 1974, पृ0 74
7. Meerut Conspiracy Case, vide charge sheet, prepared by R.A. Horton, officer on special duty Intelligence bureau, Home department, Government of India.
8. N.A.I. Home Political department, Proceedings (fortnightly report from the government of U.P. for second Half of March 1929). 1929, F. No. – 17.
9. U.P. Police secret abstract, 6 April, 1929 Para 164 (d).
10. U.P. Police secret abstract, 13 April 1929 Para 184 (c).
11. U.P. Police secret abstract, 20 July 1929 Para 417 (b).
12. N.A.I. sitaram papers F.N. 2/6 तथा, दि हिन्दुस्तान टाइम्स 16 सितम्बर 1929
13. यंग इण्डिया

उराँव जनजाति की पारम्परिक राजनीतिक व्यवस्था

संतोष ओरांव

शोध छात्र, समाजशास्त्र, रांची विश्वविद्यालय, रांची

"पडहा"

झारखण्ड एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। राज्य में 32 अनुसूचित जनजातियाँ पायी जाती है। संविधान में जनजाति के परिभाषा को सीमांकित करते हुए कहा गया है कि अनुसूचित जनजातियाँ वे हैं, जिन्हें राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 342 की लोक अधिसूचना द्वारा जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदायों के भागों को विनिर्दिष्ट किया है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के पश्चात ही जनजातियों तथा जनजाति समुदायों को ''अनुसूचित जनजाति'' की विशिष्ट संज्ञा देने की आवश्यकता महसूस हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ''पिछड़ी जनजातियों'' का संदर्भ है, तथा भारत सरकार के आदेश 1936 की तेरहवीं अनुसूची के अन्तर्गत असम, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रान्त तथा बेराट, मद्रास तथा बम्बई की कुछ जनजाति को पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में रखा गया है।

2011 की जनगणना के अनुसार झारखण्ड में 32 जनजातिय समूह है जिसमें 9 आदिम जनजातियाँ है।

झारखण्ड की जनजातीय आबादी में सबसे अधिक संथालों की है। जिनकी जनसंख्या 2060730 है जो कुल जनसंख्या जनजाति आबादी की 35 प्रतिशत है। इसके बाद दूसरा स्थान उराँव की है जो लगभग 1050000 अर्थात 18.14% है तथा हो 9.23%, खेरवार का 3.8% है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखण्ड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 26.3% है। राज्य के 19 जिलों में आदिवासियों की संख्या में कमी आयी है जो 2001 की जनगणना में झारखण्ड की कुल जनसंख्या में जनजातियों की आबादी 26.60% थी। पलामू, बोकारो ऐसे जिले हैं जहाँ आदिवासियों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गयी है जो इनके बदलते हुए जनसंख्या परिदृश्य को दर्शाते हैं और पता चलता है कि अधिकांश क्षेत्रों में आदिवासियों की संख्या में प्रायः कमी दिखाई पड़ रही है जो कहीं न कहीं उनके समक्ष उत्पन्न होने वाले विपरीत परिदृश्य को उजगार करता है।

लूसी मेयर ,ने कहा है कि ''जनजाति'' समान संस्कृति वाली जनसंख्या का एक स्वतन्त्र राजनीतिक विभाजन है।

आदर्श रूप में, जनजातीय समाज आकार में छोटे, अपने समाजिक, विधिक तथा राजनीतिक सम्बन्धों की स्थानिक एवं कालिक परास (टेम्पोरल रेन्ज) में प्रतिबन्धित होते हैं तथा नैतिकता, धर्म तथा तदनरूप आयामों की विव दृष्टि रखते हैं। अभिलाक्षणिकता की दृष्टि से भी जनजातीये भाषायें अलिखित होती हैं, अस्तु संचार की सीमा काल और दोनों ही दृष्टियों से अवश्यम्भावी रूप से संकीर्ण है। इसके बावजूद जनजातीय समाज आलेखों में मितव्ययिता प्रदर्शित करते हैं तथा अपने में एक ऐसी अभिसंकुचन एवं आत्मनिर्भरता रखते हैं जिसका आधुनिक समाज में अभाव है।

एल.एम.लेविस, 'जनजाति' क्षेत्रीय सम्बन्ध युक्त तथा अंतर्विवाही सामाजिक समूह है जिसके कार्यों में कोई विशेषज्ञता नहीं होती, जो जनजातीय अधिकारियों द्वारा शासित, वंशानुक्रम अथवा अन्य

बोली से जुड़े हुये, अन्य जनजातियों अथवा जातियों से सामाजिक दूरी को मान्यता देने वाले, अपने प्रति किसी प्रकार की सामाजिक असमानताओं को नहीं जोड़ते (जैसा कि जाति संरचना में होता है) जो जनजातीय परम्पराओं में विश्वास रखते हैं तथा प्रथाओं का पालन करे हैं, विदेशी स्रोतों के विचारों के प्राकृतिकीकरण में अनुदारता तथा सबसे अधिक सजातीयता और क्षेत्रीय अखण्डता में विश्वास करते हैं।

उराँव की उत्पति :– उराँव अपनी भाषा में अपने को कुडुख कहते हैं। कुडुख शब्द का संबंध संस्कृत धातु कर्ष (हल चलाना) से है। जो कर्षण से होकर कुषर, कुडुखर, कुडुख हो गया। कर्षण से कुडुखर में परिवर्त्तन ष से ख होना नासिकता से संबंध रखता है।

इस नाम की उत्पति का एक बड़ा रोचक वर्णन एक उराँव लोककथा में मिलता है। बहुत पहले सुदूर अतीत में एक मुनि तपस्वी बिना अन्न जल के वर्षों तक एक ही मुद्रा में तपस्या में लीन रहे। इस दीर्घ काल में उनका शरीर बाल्मीकि या बांबी के रूप में बदल गया, अर्थात दीमक के ढेर से ढक गया, एक कटीली झाड़ी उग आई जिसका एक लम्बा कांटा उसके उर छाती में घुस गया, अंत में एक लकड़हारा भूलवष मुनि को दीमक का बांबी समझ कर कुल्हाड़ी के बेट से आघात कर उसे तोड़ दिया किन्तु वह आश्चर्य चकित रह गया, जब एक जीवित पुरूष को पाया। इस अषिष्ट ढंग से समाधि भंग होने से विचलित मुनि एकाएक खड़े हो गए। तब उनके सीने में धंसा हुआ कांटा टूट गया और रक्त बहने लगा। पृथ्वी माता पर खुन के धब्बे नहीं पड़े इस इच्छा से उसे अपनी अंजुलि में भर लिया। जब उसे शौच–संवेग का अनुभव हुआ तो पत्ते का दोना बनाकर उसमें खून भरकर पास में ही छायादार जगह में रख दिया। इस खुन से एक लड़का और एक लड़की (भाई–बहन) प्रकट हुए।

तब मुनि वहाँ से चल पड़े। वहाँ से मुनि को जात देखे उनलोगों ने कहा, रूकिये, हमें छोड़कर मत जाइए। आपने ही हमें संसार में लाया है। हमारी जीविका कैसे चलेगी ? मुनी ने उत्तर दिया ''तुम खेतीहर बनोगे। इस जंगल को साफ करो और खेती को अपना पेशा बनाओ।'' ये उराँव के प्रथम पूर्वज (माता–पिता) थे जो मुनि के उर के खुन से उत्पन्न हुए थे। इसलिए उराँव कहलाएँ।

उराँव जनजाति की उत्पति

उराँव जनजाति के उत्पति के संबंध में करम में कहा गया है :

गाना के बोल –

कहाँ रे मनोवा भेला उत्पति,

कहाँ जनामा तोहर।

रूईदास पटना में भेला उत्पति रे,

नगपुरे जनामा तोहर।

अनुवाद– हे उराँव जाति रूपी मनुष्य तुम्हारी उत्पति कहाँ हुई ? तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ ?

तुम्हारी उत्पति रोहतासगढ़ तथा पटने में हुई। परन्तु पीछे तुम्हारा जन्म झारखण्ड के छोटानागपुर में हुआ।

सामाजिक जीवन :– उराँव जनजाति का मूल एवं सबसे छोटी इकाई है। परिवार से अन्य सारे सामाजिक संगठन का निर्माण होता है। उराँव परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। घर के सभी काम पिता के सहमति से और सहयोग से होती है। अधिकांश परिवार एकल परिवार होती है। जिसमें

पति, पत्नी एवं अविवाहित संतान साथ सम्मिलित होते हैं। विवाह के बाद लड़की ससुराल चली जाती है और लड़का अलग घर बसा लेता है। किन्तु पत्नी के निःसंतान होने पर दूसरी पत्नी रखने की स्वीकृति है। संयुक्त परिवार वर्त्तमान समय में कम पायी जाती है। आदिवासी उराँव जनजाति की इतनी विकसित और सभ्य समाज व्यवस्था था जो इतिहास के पन्नो में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त अवशेष से पता चलता है।

सामुहिकता ही उसकी पहचान है। आज भी उराँव जनजाति अपने ईष्ट–कुटुम्ब के बीच में ही रहना पसंद करते हैं। वह किसी भी अन्य समुदाय के साथ नहीं रह सकते हैं। उसके स्वभाव से ही एक–दूसरे व्यक्ति के दुःख–दर्द, शादी–ब्याह में सप्ताह भर तक आनन्द लेते पाया गया है।

उराँव भुईंहर या मूल अधिवासी प्रकार्य के आधार पर दो खूट में खंडित हो जाते हैं। पाहान और महतो या मुण्डा खूट महतो का ही गाँव का महतो और पहान खूट का पहान बनता है। पहान धार्मिक प्रधान या पुजारी होता है और महतो गाँव का मुखिया जो गाँव का सामाजिक–प्रशासनिक प्रबंधन करता है। पहान पूजा–पाठ द्वारा देवी–देवताओं को प्रसन्न रखता है। आम आदमी और गाँव का कल्याण करता है। इसलिए कहावत है कि, पहान गाँव बनाता है, महतो गाँव चलाता है।

उराँव कई टोटमिक गोत्रों में बंटे हुए हैं गोत्र को किली कहते हैं। एक किली संबंधियों का वह समूह है जो अपने को एक ही पूर्वज से होना मानते हैं। लेविसः मारगन ने मातृ गोत्र, पितृ गोत्री की चर्चा करते हुए इनमें भेद मानते हैं। नृशास्त्रियों ने टोटमिक गोत्र की व्याख्या करते हुए कहा, इसके सदस्य किसी पशु, पक्षी या प्राकृतिक वस्तुओं को अपना प्रतीक या मिथक पूर्वज मानते हैं।

राजनैतिक संगठन :– बिहार, झारखण्ड, मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा की जनजातियाँ भारत की सबसे बड़ी जनजातीय पट्टी का निर्माण करती हैं। इन जनजातियों में कुल एकात्मकता पर आधारित राजनैतिक संगठन के कुछ गुण पाये जाते हैं। वयोवृद्धों की परिषद् की सहायता से ग्राम का प्रमुख, ग्राम का प्रशासन देखता है। इस परिषद् में आम राय अथवा बहुमत के आधार पर निर्णय लिये जाते हैं तथा प्रमुख को बहुमत के निर्णय को उलटने का अधिकार नहीं होता।

उराँव, गोंड तथा भील संख्या संख्या की दृष्टि से इस मंडल की सबसे महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं। उराँव लोगों ने 'पडहा' संगठन का विकास किया है जो अनेक पड़ोसी ग्रामों का राज्य मंडल (संघ) होता है जिसके केन्द्रीय संगठन को ''पडहा'' कहा जाता है। प्रत्येक उराँव ''पडहा'' में अनेक गाँव होते हैं। इनमें से एक गाँव राजा ग्राम कहलाता है, दूसरा दीवान ग्राम, तीसरा पानेर ग्राम (राजा का लिपिक), चौथा कोतवाल ग्राम आदि–आदि। वे ग्राम जिनका इस प्रकार कोई नाम नहीं होता है वे प्रजा ग्राम कहलाते हैं। ''राजा ग्राम'' ''पडहा'' का प्रमुख ग्राम होता है। यद्यपि ''पडहा'' के प्रत्येक कार्यकर्त्ता के पास अब कोई विशिष्ट पद चिन्ह नहीं होता है, प्रत्येक पडहा ग्राम का अपना विशिष्ट ध्वज तथा बिल्ले होते हैं जिसका प्रयोग किसी दूसरे ग्राम द्वारा नहीं किया जा सकता। कानून तथा व्यवस्था बनाये रखना, एक–दूसरे ग्राम में झगड़ों का निपटाना भी पडहा परिषद के कार्य हैं। टी.वी. नायक (1964) हमें बताते हैं कि ''पडहा'' के विभिन्न ग्राम एक साथ युद्ध करते हैं, शिकार करते हैं तथा निर्धारित अवसरों पर नृत्य समारोहों, सामाजिक भोजों तथा विचारण व न्यायिक समितियों के अवसर पर एक–दूसरे से मिलते हैं।

राजनैतिक जीवन :– प्रत्येक समाज का एक राजनैतिक संगठन होता है उसी तरह आदिवासी समाज में पड़हा प्रधान, मानकी मुण्डा, डोकलों–सोहोर आदि राजनैतिक व्यवस्था है और उसी राजनैतिक चहारदिवारी में रहकर समाज का उत्थान, उद्भव या विकास का रचना किया जाता था। इस समाज का

संगठन धर्म आधारित संगठन है। वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में आदिवासी समाज से जो ईसाई बन गये हैं, वह इस राजनैतिक संगठन का अगुवा नहीं हो सकता है। प्रशासनिक दृष्टि से गाँव को मिलाकर पड़हा का निर्माण किया गया था। टोला, गाँव एवं पड़हा को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिये कई महत्वपूर्ण पद होते हैं– जैसे–पहान, महतो, पनभरा, कोटवार, गोल्ला और करताहा इत्यादि। सबसे ऊपर पड़हा राजा होता है।

आदिम राजनीतिक संगठन

आदिवासी समाज में राजनीतिक संगठन को क्षीवीकस तथा हाइजर ने तीन श्रेणियों में बाँटा है जो

1) प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत वे राजनीतिक संगठन आते हैं जिनमें कि कानून तथा सरकार का रूप इतना अस्पष्ट है कि उन्हें वास्तव में राजनीतिक संगठन कहना उचित नहीं होगा। इन समाजों में नेताओं का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता। इस कारण इसका स्थानीय समूह या परिवार पर कोई नियंत्रण नहीं होता। ऐसे समाजों के अन्तर्गत अपने–अपने समूह होते हैं जो अत्यधिक छिटके होते हैं। जनसंख्या भी बहुत कम होती है। इस कारण राजनीतिक व्यवस्था का संगठित स्वरूप भी विकसित नहीं हो पाता है।

2) द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत श्रेणी के समूहों की अपेक्षा जनसंख्या और आर्थिक उत्पादन की मात्र कुछ अधिक होती है। एक समूह अपने पास पड़ोस के समूह शासन नहीं होता वरन केवल कुछ आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करना या दूसरे समूह को हराकर वहाँ से निकाल देना होता है।

3) तृतीय श्रेणी के अनतर्गत वे समाज होते हैं जो कि जनसंख्या तथा आर्थिक उत्पादन की दृष्टि से उपरोक्त दो श्रेणियों से कहीं अधिक उन्नत अवस्था में हैं। इन समाजों में राजनीतिक संगठन इतना व्यवस्थित होता है कि ये दूसरे समूहों को पराजित करके या तो उनसे हर्जाना वसूल करते हैं या उन्हें निम्न वर्ग के रूप में अपनों में मिला लेते हैं। ऐसे समाजों में शासन की बागडोर वंश परम्परागत कुलीन समूहों के हाथ में रहता है। आदिकाल में समाजों की राजनीतिक व्यवस्था का खर्च इतना संगठित नहीं होता था जितना की आधुनिक वर्त्तमान समाजों में। इनका शासन प्रबन्ध प्रायः स्थानीय समूहों में बँटकर वंश परम्परागत मुखिया द्वारा ही होता है जो कि प्रथा धर्म और अनेक अन्धविश्वासों के आधार पर शासन करती है और समूह में शांति और सुव्यवस्था कायम रखने का प्रयत्न करता है।

प्रत्येक समाज या समुदाय में मानव जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए शक्ति का प्रभावपूर्ण होना आवश्यक होता है। प्रत्येक समुदाय में कुछ लोग अवश्य होते हैं जिनमें शक्ति निहित होती है। यह व्यक्ति समूह के निर्णय को तथा व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमानों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी समूह के अन्तर्गत इस शक्ति का विस्तार किस वर्ग में होगा तथा शक्ति संपन्न व्यक्तियों, अन्य एवं व्यक्तियों के बीच संबंधों की प्रकृति किस प्रकार की होगी यह वह प्रमुख आधार है जिसके द्वारा समूह में एक विशेष शक्ति संरचना का निर्माण होता है। यही सम्पूर्ण समाज पर अंकुश रखता है।

पड़हा और (पट्टी)

पड़हा पट्टी, खूटकट्टी, भूँइहरी ये शब्द मुण्डारी समाज की ग्राम व्यवस्था और शासन प्रणाली के हैं। ये वे थे जो गोत्र प्रथा के दिन जिसमें एक ही गोत्र के लोग सम्मिलित रहते थे। यह जमींदारी काल

और नागवंशी राजाओं की हुकुमत के पूर्व के थे। जिस समय झारखण्ड में खूटकट्टी जमीन सारी की सारी आदिवासियों के हाथ में थी। ये आदिवासी जोत जमीन जो आरम्भ में 3614 वर्गमील थी। वर्त्तमान में 118 वर्गमील राँची जिला के अन्तर्गत 1903 सेटलमेन्ट के अनुसार।

छोटानागपुर में आदिवासियों की संख्या बढ़ जाने के कारण गाँव भी बढ़ने लगे। नए चूल्हे चौके बनने लगे। जहाँ तक बन पड़ा गाँवों के लोग मातृग्राम ही पूजा पाठ करते रहे। उनके ससन (कब्र शिला और सरना भी वे ही थे पर कठिनाई होने के कारण अन्त में नए ससन और सरने स्थापित करने पड़े अब पूजा पाठ क्रियाएँ तो हुई भिन्न परन्तु पुराने और नए गाँवों का सामाजिक और ग्राम्य शासन एक ही रहा यो टोले–टोले मिलकर। इसी समूह (संगठन) पड़हा अथवा पट्टी कहा गया। शुरू में पड़हा और पट्टी एक ही नाम थे पर नागवंशी राजाओं ने इस संस्था में कुछ अपने शासन व्यवस्था के अनुरूप हेरफेर कर पड़हा को पट्टी नाम दे दिया।

पड़हा का मुख्य नाम है मानकी या माँड़की हर एक गाँव का मुख्य जैसे मुण्डा कहलाता है वैसा ही हर पड़हा का प्रमुख मानकी कहलाता है। पर स्थान–स्थान में इसका रूख और ही है। खूँटी थाना की पूर्व में खूँटकटी का राज्य और उक्त थाने के पश्चिम भूंइहारी क्षेत्र कहा जाता है जो भूईहारी प्रांत में पड़हा नाम चलता है। प्रत्येक पड़हा आठ से बाहर गाँवों का बना रहता है। पड़हा में सब भूंईहार लोग सगोत्र है। वर्त्तमान में हर पड़हा में एक स्थायी कमिटी या पंचायत कायम हुई जो अब तक जारी है। यही संख्या ग्राम्यशासन का प्राण है। इसके कर्णधार या सभापति स्थायी होते हैं। हिन्दू लोगों की देखा देखी इन्हें पदवी का भी गर्व है कोई राजा कहलाता तो कोई दीवान कोई ठाकुर, कोई लाल कोई, पांडे और कोई कर्त्ता। इसी पड़हा को ग्राम्य शासन की रूप में उराँव लोगों द्वारा भी प्रबंध किया। आदिवासी शासन व्यवस्था में (जिसकी संरचना निम्न है) यह राजनीतिक संस्था आदिम काल से ही आदिवासियों की शासन व्यवस्था प्रणाली का मुख्य अंग रही है। इसी कारण से यह सर्वत्र प्रचलित रही थी। यह संस्था का नाम और काम अब तक पोड़ाहाट और सिंहभूमि हो और संथालों में भी जारी है। पड़हा पद पर आसीन व्यक्ति को किसी तरह की सुख–सुविधा जुड़ी नहीं है। ना ही उन्हें किसी तरह का वेतन नही दिया जाता है। दैनिक जीवन में पड़हा राजा भी हल जोतता, बोझा ढोता है अर्थात् समाज के अन्य व्यक्तियों से उनके जीवन में फर्क नहीं रहता।

पड़हा– पड़हा समाज की अपना राजनीतिक संगठन होता है। यह समाज को व्यवस्थित एवं संगठित रखता है। आदिवासी समाज में अपना राजनीतिक संगठन होता है। आदिवासियों का राजनीतिक जीवन परम्परा, प्रथा तथा धार्मिक विश्वास पर आधारित होता है। इसका संचालन गाँव के बड़े–बुजुर्गों द्वारा निमित पंचायत द्वारा होता है।

झारखण्ड के उराँव जनजातियों का सामाजिक संगठन तथा राजनीतिक संगठन सुव्यवस्थित है। यह संगठन परम्परा प्रथा तथा धार्मिक विश्वास पर आधारित है। परम्परागत संरचना के अन्तर्गत इनके सामाजिक संगठन की इकाई परिवार तथा राजनीतिक व्यवस्था की इकाई गाँव टोला रही है। ये गाँव प्रारम्भ में एकान्त तथा सुसंगठित होते थे जिनमें कोई एक टोला गाँव ही विकसित होकर गाँव में परिणत हो गया होता था। इसलिए इनके गाँव में एकरूपता होती थी जिसके द्वारा पूरी उराँव जाति समूह ही एक सामाजिक इकाई के रूप में अपने कार्य का संचालन करता था। इनके समाज में कुछ सामाजिक नियम होते थे। ये नियम पूराने रीति–रिवाज और कानून के रूप में होते थे। इनके प्राचीन सांस्कृतिक प्रथा तथा व्यवस्था की सुरक्षा का भार घुमकुड़िया के सदस्यों पर होता था। उराँव जनजाति के सामाजिक विकास के साथ ही साथ जायदाद तथा प्रशासन का विचार उत्पन्न हुई और समाज को

व्यवस्थित रखने, उसके नैतिक जीवन के ह्रास को रोकने तथा जायदाद की सुरक्षा के निमित्त सामाजिक नियम आगे चलकर एक संस्था के रूप में परिवर्तित हुआ जो पड़हा के नाम से प्रचलित हुआ और यही व्यवस्था गाँव की शासन व्यवस्था का क्रियान्वयन करने लगा। प्रत्येक पड़हा में एक समिति कायम की जो पड़हा पंचायत और प्रत्येक गाँव में गाँव सभा आज भी जारी है। यही आदिवासी समाज के ग्राम्य शासन की रीढ़ है।

पड़हा यहाँ के तमाम अदिवासियों का सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं न्यायिक व्यवस्था है। इस पड़हा व्यवस्था के बगैर यहाँ के निवासी चाहे किसी भी जाति, धर्म एवं संप्रदाय के क्यों न हो के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर विभिन्न गाँवों को मिलाकर पड़हा का निर्माण किया गया जैसे कहीं 21 गाँवों को मिलाकर समन्वय स्थापित करता है तो उसे 21 पड़हा कहा जाता है। उसी प्रकार 7 पड़हा, 12 पड़हा, 21 पड़हा तथा 40 पड़हा तक का व्यवस्था बनाया गया है। पड़हा विशेष के प्रत्येक गाँव के आदेशानुसार उस गाँव की पहचान को बनाये रखने के लिए एक पड़हा झण्डा एवं उसका विशेष रंग जो दूसरे गाँव के झण्डों के रंग एवं डिजाइन से अलग होता है। उसी झण्डे एवं रंग पर गाँव का पहचान, मान–सम्मान एवं नियम–कानून निहित रहता है। उस गाँव के पड़हा झण्डा पर केवल लोगों की आस्था एवं विश्वास भर नहीं बल्कि यह भी विश्वास किया जाता है कि वहाँ के देवी–देवताओं का भी निवास उस पर है।

टोला पंचायत– उराँव जातियों का गाँव बड़ा–छोटा दोनों प्रकार का होता है। छोटे गाँवों में टोले कम या नहीं के बराबर होते हैं लेकिन बड़े गाँवों में कई छोटे–छोटे टोले होते हैं। इस तरह टोले का निर्माण गाँव का क्षेत्र इंगित करने और विधि व्यवस्था को ठीक तरह से चलाने के लिए किया जाता है। प्रायः टोले का पेड़ के नाम पर या बुर्जुग व्यक्ति जो उस टोले में पहली बार बसाया गया था उसके नाम पर होता है। टोला बड़ा है तो प्रत्येक टोला स्तर पर एक द्दोटी पंचायत की व्यवस्था होती है। टोल पंचायत के सदस्य टोला के बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। छोटा टोला होने पर वह गाँव के पंचायत से ही संचालित होता है। ऐसे छोटे पंचायतों में छोटे–मोटे विवादों का फैसला किया जाता है जिस विवाद का निपटारा टोला पंचायत में नहीं हो पाता है उसे आगे पद्दा पंचायत में रखा जाता है।

पद्दा पंचायत–पद्दा पंचायत में पूरे गाँव का टोला सम्मिलित रहता है। इसके अन्तर्गत टोला से आने वाला विवाद तथा गाँव का विवाद शामिल होता है जैसे परिवार विभाजन, सम्पति का बँटवारा, अत्याचार, बलात्कार, निषिद्ध यौन संबंध, भूतप्रेत तथा डायन बिसाही का झगड़ा आदि का निपटारा किया जाता है। इसलिए नर्मदेश्वर प्रसाद ने अपनी पुस्तक 'भारतीय समाज में जनजातिगण' में लिखा है पंचायतों में दिवानी, फौजदारी और लैंगिक सभी प्रकार के मुकदमों का फैसला होता है। पति–पत्नी में संबंध विच्छेद और विवाहित कन्या की विदाई के विवाद में पंचायत का कोई भी स्तर हो उसमें दोनों पक्ष, दोनों गाँव के पंच मौजूद होते हैं।

पड़हा पंचायत– उराँव समाज प्राचीन समय से ही सुव्यवस्थित समाज था। इस समाज का विस्तार अपने आन्तरिक मामलों में विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। उराँव जनजीवन में एकता एवं शांति बनाये रखने के उद्देश्य से एक अन्तग्रामीण परिषद का निर्माण किया गया जिसे हम पड़हा नाम से जानते हैं।

मिखाइल कुजूर इस बात की पुष्टि करते हुए अपनी पुस्तक उराँव संस्कृति में लिखते हैं। खूँटीकट्टी और भूंइहरी की भाँति पड़हा पट्टी भी मुण्डा और उराँव समाज की ग्राम्य व्यवस्था और शासन प्रणाली का प्रमुख अंग है। आदिवासियों ने अपने पड़हा राज्य के महत्व का परिचय दिया था। पड़हा पट्टा पंचायत से बड़ा होता है। इसके अन्तर्गत पाँच तीस गाँव तक होते हैं। कुछ क्षेत्रों में इससे भी अधिक

गाँव को कई गाँव होने के कारण क्षेत्र काफी बड़ा हो जाया करता था इसलिए पूजा–पाठ की पद्धति में भिन्नता आ जाया करती है जो आज भी उसी रूप में प्रचलित है। सभी गाँवों की ग्राम्य शासन एक ही रहा किन्तु पूजा पाठ, भिन्न हो गयी। दस बारह गाँव मिलाकर एक संघ स्थापित किये जो पड़हा पट्टी कहलाया। इनकी इन्हीं विशेषता को देखते हुए विद्वानों, लेखकों ने प्रत्येक आदिवासी गाँवों को गणराज्य के रूप में देखा।

उराँव के शासन व्यवस्था में शासन की प्राथमिक इकाई गाँव एवं टोला होता है। प्रशासनिक दृष्टि से सुविधा के लिए कई गाँवों को मिलाकर पड़हा का निर्माण किया जाता है। टोला गाँव एवं पड़हा को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कई महत्वपूर्ण पद होते हैं।

यह पद पारम्परिक रूप से वांशिक होता है। परम्परा से चले आ रहे इस वांशिक अधिकारी अपनी जाति समूह और गाँव के लोगों के साथ विभिन्न समयों में अन्तः क्रियाएँ करता है। विभिन्न कार्य करता है और अपनी जाति तथा गाँव के लोगों के साथ प्रेम एवं भ्रातृत्व का सौहादपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करता है।

1 महतो– महतो ही उराँव समुदाया और गाँव का मुखिया होता है। प्रत्येक गाँव में महतो का पद वंशानुगत होता है इसका पद दायित्वों से परिपूर्ण है। उसे अपनी संस्कृति एवं गाँव की आवश्यकताओं को देखते हुए अने कार्य करने पड़ते हैं वह ग्रामीणों को अपनी व्यवस्था के प्रति जागृति करने वाला व्यक्ति होता है। वह पारम्परिक झगड़ों का निपटारा करने एवं जरूरत के समय सदस्यों की सहायता करने का कार्य भी करता है। ग्रामीणों के बीच आपसी संघर्ष के समय पंच एवं मध्यस्थत का कार्य भी वही करता है और दो पक्षों की बातों को सुनने के पश्चात उचित निर्णय करता है। वह ग्रामिणों के बीच गुटबंदी की प्रक्रिया को रोककर सामूहिक संगठन को बनाये रखता है। गाँव के सभी व्यक्ति पड़हा के सदस्य होते हैं। गाँव या टोला स्तर के बैठक में महतो ही अन्य लोगों के समक्ष प्रतिनिधित्व करता है। उराँव परम्परा के अनुसार समाज के नेता यह महतो का पद में पुरूष वर्ग ही होता है। यदि परिस्थितिवश पुरूष घर में न हो तो महिला भी इस कार्य को कर सकती है लेकिन नेतृत्व का स्वरूप वंशानुगत ही होता है।

2 पाहन– पाहन उराँव समाज का धार्मिक प्रमुख व्यक्ति होता है। इनका कार्य गाँव के देवी–देवताओं की पूजा करना होता है। इनके पास समाज की पवित्र देन धर्म होती है। उराँवों के पर्व त्यौहारों में पाहन की मुख्य भूमिका होती है। पूजा–पाठ का कार्य पाहन के द्वारा ही किया जाता है। कृषि कार्य जैसे धान बुनी रोपनी आदि का आरम्भ करते हैं। साथ ही साथ गाँव वाले अपना कार्य आरम्भ करते हैं। साथ ही गाँव के किसी–किसी भी परिवार में जन्म मृत्यु या विवाह हो तो वहाँ भी पाहन द्वारा पूजा पाठ होने के बाद ही अन्य कार्य का प्रारम्भ होता है। गाँवों में किसी प्रकार की महामारी आने पर गाँव वाले मिलकर पुनः पाहन से पुजा कराते हैं। उनका सोचना है कि पाहन ने ठीकसे पूजा पाठ नहीं किया होगा। इस तरह पाहन और महतो दोनों ही उराँव समाज के अच्छाई के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेवार होते हैं।

पड़हा पंचायत के सदस्य होते हैं। वैसे तो गाँव का प्रत्येक व्यक्ति पड़हा का सदस्य होता है। ये पड़हा पंचायत के अधिकारियों एवं अन्य प्रमुख सभा तथा बैठकों में गाँव का प्रतिनिधित्व करते हैं। उराँवों के बीच एक कहावत प्रचलित है। पाहन गाँव बनाता है महतो गाँव चलाता है। अर्थात् पाहन गाँव के देवी–देवताओं को प्रसन्न रखता है जिससे गाँव में किसी तरह का दैविक प्रकोप नहीं होता है और गाँव के लोग भयमुक्त रहते हैं तथा महतो गाँवों में अपनी शासन व्यवस्था को दुरूस्त रख पाता है। पाहन का चुनाव प्रत्येक तीन या पाँच वर्ष में होता है। पाहन का पद अधिकतर गाँवों में वंशानुगत होता है। समय

समाप्त होने पर पूर्णिमा के दिन गाँव के युवा एवं बुजुर्ग पुरूष चाला टोंका में उपस्थित होते हैं। इस प्रक्रिया में कार्यरत पाहन भी उपस्थित रहता है। एक व्यक्ति को आँख में पट्टी बाँध दिया जाता है और चालाटोंका में पूजनोपरांत पट्टी बाँध युवक गाँव की ओर आता है। पाहन के साथ और बुजुर्ग एवं युवक होते हैं जो पट्टी बाँध युवक के साथ चलते हैं। पट्टी बंधा युवक किसी भी दरवाजे में जाकर रूक जाता है। युवक जिस दरवाजे में रूकता है। उस घर के बड़े–बुजुर्ग को पहान बना दिया जाता है।

3 पनभरा :– पहान के प्रत्येक पूजा–पाठ में पनभरा सहायता करता है जैसे गाँव की पूजा स्थल की सफाई, पूजा स्थल की देखभाल आदि।

4 करताहा :– परम्परा के विरूद्ध होने वाले कार्य का निर्वाह करता है, जैसे एक ही गोत्र के बीच विवाह संबंध, दूसरे जाति के साथ अवैध संबंध आदि। यदि करताहा द्वारा संभव नहीं होता है तो उसे पड़हा पंचायत में पड़हा राजा के सुपूर्द कर दिया जाता है।

5. पड़हा राजा :– पड़हा राजा, पड़हा का मुख्य व्यक्ति होता है, यह पद बहुत आदरणीय होता है। पड़हा राजा अपने प्रत्येक काम में अपने सहयोगियों, दीवान, कोटवार आदि की मदद लेता है।

6. दीवान :– यह पड़हा राजा का सहयोगी एवं सलाहकार भी होता है।

7. कोटवार :– कोटवार भी अप्रत्यक्ष रूप से पड़हा राजा का सहयोगी होता है। कोटवार मुख्यतः पड़हा राजा का दूत होता है।

वह सभी प्रकार की सूचनाएँ पड़हा राजा द्वारा निर्देषित सूचनाएँ गाँववालों को देता है। चाहे वह धर्म, पूजा–पाठ से संबंधित हो, गाँव का सूचना पड़हा राजा तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हो। पड़हा राजा जिस गाँव में रहता है उसे राजा गाँव कहते हैं।

पड़हा पंचायत के कार्य

i) गाँवों के बीच शांति एवं सहयोग बनाये रखना और दो गाँवों के बीच उभरे झगड़ों को सुलझाना है।

ii) पड़हा पंचायत अपील कोर्ट भी है। आदिवासियों में यदि गाँव के स्तर पर मामला का निपटारा न हो हो पाये तो इसे पड़हा पंचायत में ले जाया जाता है।

iii) पड़हा पंचायत उराँव प्रथागत नियमों (ब्नेजवउवतल सें) कोड में लागू करता है।

iv) पड़हा पंचायत गैर उराँव के साथ अवैध संबंध पर प्रतिबंध लगाता है और जाति के भीतर शादी की प्रथा एवं गोत्र से बाहर की प्रथा को लागू करता है। इस मामले में पाये गये अपराधों को खत्म करके उराँव समाज से बाहर कर देता है। ऐसे अपराधी मेड़ी तथा रीति द्वारा ही फिर से समाज में प्रवेश करता है।

परम्परागत स्वाशासन में जो फैसला जनहित में परम्परागत स्वाशासन व्यवस्था सदियों से चली आ रही एक स्वतंत्र इकाई है। ग्रामीण अधिकारों की रक्षा करना इनकी जिम्मेवारी है। इस व्यवस्था के तहत चुनाव के बदले जन समूह में आम सहमति से चयन करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाती है। परम्परागत स्वाशासन व्यवस्था में जाति धर्म समुदाय से ऊपर उठकर संवैधानिक मान–सम्मान की रक्षा करने का वाद–विवाद समस्या का निपटारा ग्राम प्रधान यथा मानकी मुण्डा की अध्यक्षता में हातु–टुनूब (गाँव में आयोजित की जाने वाली बैठक) के माध्यम से सम्पन्न करायी जाती है। इसमें यह भरसक

प्रयास किया जाता है कि समस्या का निष्पादन के क्रम में आम जनता भी अपना विचार सबके सामने रख सके ताकि मानकी मुण्डा पर यह आरोप नहीं लग सके कि वे आम जनता को अहमियत नहीं देता है। ली जाती है वह काफी मायने रखता है। विचार–विमर्श के क्रम में दोनों पक्षों का ख्याल रखा जाता है, ताकि भविष्य में इसकी वजह से गाँव की विधि व्यवस्था न बिगड़े तथा दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी का कारण न बने बल्कि अच्छे वातावरण (माहौल) में दोनों पक्षों को राजीनामा (समझौता) कराना ही परम्परागत स्वाशासन व्यवस्था की प्राथमिकता है।

संदर्भ :–

1. पौलुस तोपनो, छोटानागपुर के आदिवासी 1974, स.प. भारती, राँची

2. भगत नरायण 2012, छोटानागपुर के उराँव रीति रिवाज, झारखण्ड झरोखा, राँची, पेज–29

3. सिंह सुनील कुमार (2013), इन साइड झारखण्ड, सुबोध ग्रंथमाला, राँची

4. शर्मा विमला चरण एवं विक्रम कीर्ति, (2008), झारखण्ड की जनजातियाँ, प्रकाशन–क्राउन पब्लिकेशन, राँची, पृ0 310

5. वर्मा उमेश कुमार, (2007), झारखण्ड की जनजातियाँ, प्रकाशन सुबोध ग्रंथ माला, राँची, पृ.सं. 209

ग्रामीण विकास में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की भूमिका का समाजवैज्ञानिक विश्लेषण

सुभाष कुमार

शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

सारांश :–

स्वास्थ्य विकास का सर्वोत्तम मार्ग है। स्वस्थ मानव समाज, अपना सर्वांगीण विकास खुद कर सकता है इसी को ध्यान में रखते हुए 1983 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के मसौदे को अंगीकार करने के साथ ही सबके स्वास्थ्य के आधार पर नीतिगत निर्देश भारत सरकार का घोषित नीति बनी। स्वास्थ्य के लिए धन की व्यवस्था करना स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का प्रमुख घटक है इसीलिए भारत में सरकार विशाल सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का संचालन मुख्यतः स्वयं करती है, जिससे ग्रामीण आदिवासियों, किशोरों, युवाओं एवं अन्य सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध हो सके। जिसको ध्यान में रखते हुए 12 वीं पंचवर्षीय योजना में भारत के प्रत्येक राज्य के 2 जिलों में यू एच सी की पेशकश की थी। जिसके आधार पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रारूप तैयार किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों के रहन–सहन और स्वास्थ्य की स्थिति में बेहतर सुधार हो सके।

प्रस्तावना :–

भारतीय परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य ही मानव की अमूल्य सम्पत्ति भी है जिसको बनाये रखने के लिए प्राचीन समय से ही विभिन्न सरकारी प्रयास होते रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य के 2 जिलों में यूएचसी का प्रयोग की पेशकश की और इन प्रस्तावित प्रयोगों को लागू करने के लिए कार्य भी शुरू हो गया, मई, 2013 में, शहरी क्षेत्रों में स्वासथ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) प्रारंभ किया गया जिनमें दो उप–मिशनों (एनआरएचएम और एचएमएम) का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएमएम) के रूप में विलय कर दिया गया। एनएचएम का विजन ''स्वास्थ्य के व्यापक सामाजिक निर्धारण को प्राप्त करने लिए अंतर क्षेत्रीय सम्मिलित कार्यवाही सहित जनता को जरूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी, समान किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सम्पूर्ण पहुँच प्राप्त करना है। स्वस्थ प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने का प्रमुख माध्यम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य विलय (एन0आर0एच0एम) था जिसका अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के साथ मिलने कर दिया गया है और उसका नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रख दिया गया है। स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या से निपटने और अपनी स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय एवं वैचारिक दोनों प्रकार से केन्द्रिय सहायता राज्यों द्वारा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 2013 में शुरू किया गया जिसका उद्देश्य समान वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सभी व्यक्तियों तक पहुँचना है यह एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है जिसके दो मुख्य घटक है, एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दूसरा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन' है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लोगों के रहन–सहन और स्वास्थ्य की स्थिति में बेहतर सुधार स्वतंत्रता के बाद से ही प्राथमिक विषय रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के अनुपालन में सबको गुणवत्तापूर्वक

स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रारूप :–

- ★ ग्राम स्तर पर सामान्य बीमारी के इलाज के लिए दवाई किट के साथ प्रशिक्षित सामुदायिक स्तरीय कार्यकर्ता की उपलब्धता करना।
- ★ निश्चित दिन/महीना को प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्र पर स्वास्थ्य दिवस का आयोजन करना ताकि प्रतिरक्षण, बच्चे के जन्म पूर्व या उसके पश्चात् जाँच के लिए एवं माता व शिशु स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य सेवा एवं पोषाहार आदि के बारे में आवश्यकता की पूर्ति की जा सके।
- ★ स्वास्थ्य उप–केन्द्रों एवं अस्पताल स्तर पर सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए औषधि की व्यवस्था करना।
- ★ सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर निश्चित रूप से डॉक्टर, दवा एवं गुणवत्तापूर्ण सेवा के साथ अच्छे अस्पताल की सेवा उपलब्ध कराना।
- ★ स्वयं नष्ट हो जाने वाले सिरिज के माध्यम से सार्वभौमिक प्रतिरक्षा की सुविधा मुहैया करना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैकल्पिक टीका वितरण एवं समुन्नत परिभ्रमण सेवा की व्यवस्था करना।
- ★ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए जननी सुरक्षा योजना के तहत रेफरल, परिवहन व रक्षक सुविधा के साथ उन्नत संस्थागत प्रसव की व्यवस्था एवं कम मूल्य पर उचित अस्पताल सुविधा की उपलब्धता।
- ★ इस मिशन के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य बीमा के पायलट के माध्यम से न्यूनतम वित्तीय क्षति पर सुनिश्चित स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था।
- ★ इस मिशन के द्वारा पारिवारिक शौचालय की व्यवस्था करना।

अध्ययन की समस्या :–

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाऐं प्रदान करना है जिसके अन्तर्गत छोटे–छोटे कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं। जिसमें जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एवं जननी सुरक्षा कार्यक्रम शामिल है। जिसमें जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एवं जननी सुरक्षा कार्यक्रम शामिल है। इस मिशन का उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं की योजना और प्रबन्धन में समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने में बेहतर कार्यक्रम प्रबंधन, लचीला वित्त पोषण और संयुक्त अनुदान का प्रवाधान और मानव संसाधन के संवर्धन जैसे दृष्टिकोण को अपनाते हुए स्वास्थ्य प्रणाली में संरचनात्मक सुधार लाना है। जिसका विस्तृत जानकारी इस शोध में किया जायेगा कि इस क्षेत्र में इस मिशन से जुड़े क्षेत्रों में सेवाओं में क्या–क्या बदलाव हुआ है।

उद्देश्य :–

1. स्वास्थ्य सुविधाओं की योजना और प्रबन्धन में समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने और स्वास्थ्य प्रणाली में संरचनात्मक सुधार लाना है।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का परीक्षण करना।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जा रही योजनाओं की सफलता की जांच करना।

आवधारणात्मक व्याख्याः –

वर्तमान परिपेक्ष्य, से तात्पर्य प्राचीन एवं मध्य के बाद वर्तमान का जो समय चल रहा है कि उसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की क्या भूमिका हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन :–

यह मिशन लोगों के रहन–सहन और स्वास्थ्य की स्थिति में बेहतर सुधारे ही प्राथमिकता का विषय रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के अनुपालन में सबको गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया।

अध्ययन क्षेत्र– प्रस्तुत शोध–पत्र उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जनपद के मंगरौरा विकासखण्ड ग्राम सभा अत्तरसण्ड के गौरा ग्राम का चयन राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत चयनित किया गया है।

समग्र एवं न्यायदर्श का चयन :– प्रस्तुत अध्ययन 25 ईकाइयों का चयन सरल दैव निदर्शन पद्धति द्वारा किया गया है तथा तथ्य संकलन के लिए अवलोकन, साक्षात्कार अनुसूची तथा वैयक्तिक अध्ययन पद्धति किया गया है।

अध्ययन पद्धति :– प्रस्तुत अध्ययन पद्धति अन्वेषणात्मक एवं सह–वर्णनात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है।

तथ्य संकलन के स्रोत :– प्रस्तुत शोध–पत्र को पूर्ण करने हेतु प्राथमिक एवं द्वैतीयक दोनों स्रोतों से तथ्यों का संकलन किया गया है।

तथ्य संकलन का अपकरण एवं विधि :– प्रस्तुत शोध–पत्र में तथ्य संकलन के लिए अनुसूची तथा साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया है।

वर्गीकरण सारणीयन एवं विश्लेषण– प्रस्तुत शोध–पत्र में उत्तरदाताओं से प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण वह सारणीबद्ध किया गया है। तथा सारणी के तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष देने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध–पत्र में सारणीवार तथ्यों की विवेचना निष्कर्ष सहित इस प्रकार है।

आयु के आधार पर स्थिति

सारणी संख्या–1.1

प्रत्युत्तर (वर्षों में)	आकृति	प्रतिशत
18–30	8	32.00
31–40	10	40.00
41–50	5	20.00
51–ऊपर	2	8.00
योग	25	100

स्रोत– प्राथमिक

उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 40.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं 31 से 40 वर्ष आयु एवं 32.00 प्रतिशत 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग से सम्बन्धित है। स्पष्टतः पाया तो गया कि तो ज्यादातर उत्तरदाताएँ 31 से 40 वर्ष के हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रति जागरूकता

सारणी संख्या 1.2

प्रत्युत्तर	आकृति	प्रतिशत
हाँ	20	80
नहीं	5	20
योग	25	100

स्रोत– प्राथमिक

उपर्युक्त सारणी के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 80.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है उनको इस मिशन के बारे में जानकारी है और 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस मिशन के विषय में जानकारी नहीं है।

अतः यदि अगर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लोगों में जागरूकता की बात कि जाए तो इस योजना के विषय में लोगों की जानकारी है जिससे कि यह प्रतीत होता है कि यह मिशन का प्रभाव सकारात्मक है।

जननी सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभ

सारणी 1.3

प्रत्युत्तर	आकृति	प्रतिशत
हाँ	22	88
नहीं	3	12
योग	25	100

स्रोत– प्राथमिक

उपर्युक्त सारणी के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 88.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त होता है और 12.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें लाभ नहीं प्राप्त होता है वे किसी निजी अस्पताल से सेवा प्राप्त करते हैं।

अतः सामान्यत देखा गया कि ज्यादातर लोगों के स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या अन्य स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी और कई योजना है।

जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत लाभ

सारणी संख्या–1.4

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	20	80
नहीं	5	20
योग	25	100

स्रोत– प्राथमिक

उपर्युक्त सारणी के तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 80.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें इस कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त होता है और 20.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें लाभ नहीं प्राप्त होता है वे किसी निजी अस्पताल से सेवा प्राप्त करते हैं।

सामान्यत देखा गया कि ज्यादातर लोगों के स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन या अन्य स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी और कोई योजना है। जननी शिशु सुरक्षा के तहत 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि प्राप्त होती है।

जननी सुरक्षा योजना के तहत वहनीय सुविधा

सारणी –1.5

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	18	72
नहीं	7	28
योग	25	100

स्रोत–प्राथमिक

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता 72.00 प्रतिशत का मानना है कि उन्हें आवश्यकता पड़ने पर 108 एवं 102 नं0 सेवा उपलब्ध हो जाती है। और 28 प्रतिशत लोगों के अनुसार वहनीय सेवा नहीं मिल पाती या फिर वे निजी वाहन से उपचार के लिए जाते हैं।

अतः ज्यादातर उत्तरदाताओं को वहनीय सुविधा प्राप्त हो रही है जिससे उन्हें जिला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुँचने में आसानी होती है।

आशा कार्यकत्री के द्वारा समय–समय पर जागरूकता

सारणी–1.6

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	15	60

नहीं	10	40
योग	25	100

स्रोत– प्राथमिक

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता 60.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है। उनके घर पर या समय–समय जागरूकता प्रदान की जाती है और 40.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उन्हें ऐसी कोई जागरूकता नहीं प्रदान की जाती हैं।

अतः ज्यादातर उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि वे आशा कार्यकर्त्री के सम्पर्क में रहते हैं और विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम की जानकारी होती रहती है।

सामान्य बीमारी के इलाज के निःशुल्क दवाइयाँ

सारणी सं0–1.7

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	20	80
नहीं	5	20
योग	25	100

स्रोत– प्राथमिक

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि 80.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें दवाइयाँ निःशुल्क प्राप्त होता है और 20.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उन्हें निशुल्क दवाइयाँ मिलती हैं साथ ही बाहर से भी दवा लेना पड़ता है।

अतः ज्यादातर उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें जिला अस्पताल एवं सामुदायिक केन्द्र से दवा मिलती है लेकिन महंगी दवाइयाँ बाहर से खरीदना पड़ता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र पर पुष्टाहार एवं अन्य सेवाएँ

सारणी–1.8

प्रत्युत्तर	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	15	60
नहीं	10	40
योग	25	100

स्रोत– प्राथमिक

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 60.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों को पुष्टाहार एवं पल्स, पोलियों, दवाइयाँ एवं अन्य चीजे उपलब्ध होती है और 40.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार सुविधाओं का अभाव है।

अतः जिस प्रकार क्षेत्र में देखने को मिला 60.00 प्रतिशत के अनुसार लोगों की सुविधा प्राप्त हो रही है खाद्य सामाग्री एवं दवाएँ मिल रही है।

निष्कर्ष :–

वैश्विक स्तर पर देखें तो भारत एक विकासशील देश है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है भारत की जनसंख्या भी कही न कही से इसके विकास को प्रभावित कर रही है। इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक विकास किए बिना परिवार का समूचित विकास सम्भव नहीं है। उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र स्वास्थ्य है। जिसके लिए सरकार ने ग्रामीण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से 12 अप्रैल, 2005 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था और महिलाओं और उनके स्वास्थ्य में सुधार सहित बच्चों के स्वास्थ्य के लिए वंचित समूहों, सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने में सामुदायिक स्वास्थ्य को सक्षम बनाने में सेवा वितरण की कुशलता को बढ़ाने के लिए किया गया था। इसके साथ और जवाबदेही को बढ़ावा देने के विकेन्द्रीकरण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन गरीब सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए और इस तरह प्रमुख स्वास्थ्य संकेतको में सुधार की चुनौती सबसे बड़ी है जहां 18 राज्यों पर विशेष ध्यान देने के साथ पूरे देश को शामिल किया गया। इससे जुड़ी विभिन्न योजनाओं ने स्वास्थ्य के चुनौतियों वाले क्षेत्रों में मानव स्वास्थ्य को लाभ पहुँचाकर करारा जवाब दिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने गरीब व्यक्तियों पर ध्यान देते हुए ग्रामीण इलाकों और दूरस्थ इलाकों में सुलभ, वाहनीय और विश्वसनीय गुणवत्ता युक्त सेवा उपलब्ध करा रही है। यह योजना कुल 18 राज्यों में एक साथ लागू है और सभी राज्यों में लागू की जा रही है। यह योजना महिला एवं बच्चा के स्वास्थ्य के साथ ही परिवार कल्याण कार्यक्रम में मलेरिया, दृष्टिहीनता, आयोडीन की कमी, फॉइलेरिया, काला ज्वर, टी0वी0 तथा समेकित रोगों के निगरानी कार्यक्रमों को सम्मिलित की हुई है।

सरकार के विभिन्न प्रयासों के बावजूद आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों जिससे सुविधा का अभाव वाले क्षेत्र जिनमें दवा, जांच, डाक्टरों की कमी को दूर करने में प्रयासरत है। स्वास्थ्य को ध्यान देते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है जैसा प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के आधार पर प्राप्त आंकड़ों से प्रतीत होता है कि यह कार्यक्रम के प्रयास सकारात्मक है। क्योंकि इसमें मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में इसके अंतर्गत गर्भवती महिला, उसके साथ एक या दो परिवार के सदस्य, इन सभी का आवागमन, उसके साथ दो से तीन दिन रहना, इस दौरान उनका भोजन, मजदूरी का नुकसान आदि पूरा करने का ध्यान रखा जाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. आशुतोष कुमार सिंह, (दिसम्बर 2015) ''बदलते गाँव, उभरता भारत'', कुरूक्षेत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली।
2. तिवारी, जयकान्त, 2003, ''भारत का समाजशास्त्र'', अवध पब्लिशिंग हाऊस, लखनऊ।
3. पाण्डेय अनुराधा, 2010, महिला सशक्तिकरण, इशिका पब्लिकेशन हाऊस, जयपुर।
4. प्रीति, राजकुमार, देवी रामेश्वरी परूथी रोमिला, 2003 ''इण्डियन ओमेन प्रेजेण्ट स्टेटस एण्ड फ्यूचर प्रस्पेक्ट्स'' मंगलदीप पब्लिकेशन्स, जयपुर।

5. पाण्डेय जितेन्द्र कुमार, फरवरी 2016, ''सार्वजनिक स्वास्थ्य : समस्याएं एवं समाधान'' योजना प्रकाशन, विभाग नई दिल्ली।

6. सविता कुमारी, अप्रैल 2014, ''गाँवों के सर्वांगीण विकास हेतु अंतरिम बजट'' कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।

7. आसुतोष कुमार सिंह, दिसम्बर 2015, ''बदलते गाँव, उभरता भारत'', कुरूक्षेत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।

8. शर्मा, सुभाष, फरवरी 2016, ''सबका स्वास्थ्य : महत्त्वपूर्ण वैश्विक परिदृश्य'' प्रकाशन विभाग नई दिल्ली।

9. टी0 सुंदररामन (फरवरी 2016) ''भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र : दृष्टिकोण और भावी रूपरेखा, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।

10. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 2011 ''एनुअल रिपोर्ट द पीपुल ऑन हेल्थ (दिसम्बर 2011) : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।

11. राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2015 का मसौदा।

12. डब्ल्यू एच ओ0 असंक्रामक रोगों पर वैश्विक स्थिति, 2014, जिनेवा।

13. वार्षिक प्रतिवेदन (2007–08) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

14. जनगणना 2011 (2016) भारत की साक्षरता दर।

15. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 'पत्रिका' राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन– स्वस्थ्य ग्रामीण रहन–सहन में पथ–प्रदर्शक, फरवरी–मार्च 2013, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

16. सक्सेस मिरर, मई 2014,

17. सिविल सर्विसेज टाइम्स, मई 2011

18. वार्षिक प्रतिवेदन (2007–08): ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

19. हिन्दुस्तान हिन्दी समाचार पत्र, 23 दिसम्बर 2015।

झारखण्ड के बीड़ी श्रमिकों की स्थिति का एक समाजशास्त्रीय अध्ययनः पश्चिमी सिंहभूमि जिले के विशेष संदर्भ में

डॉ समीर निरंजन

एम.ए. पीएच.डी., स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची

असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्रों में बीड़ी उद्योग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस क्षेत्र में वे सारे संस्थान आते हैं जो 1948 के कारखाना अधिनियम में शामिल नहीं हैं। अर्थात जो बिजली का उपयोग नहीं करते और 20 से अधिक लोगों को काम देते हैं। यह अवस्थित या अनौपचारिक उद्योग है इसलिए इससे संबंधित तथ्य इकटठा करना बहुत मुश्किल है।[1] परंतु उद्योगवार या क्षेत्रवार फुटकर संस्थानों का थोडा गहरा अध्ययन करने से सामान्य परिस्थिति की एक झलक सामने आ जाती है। ऐसे कई अध्ययनों से इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि इन क्षेत्रों में बच्चों का बेहद शोषण होता है। और बाल श्रम का प्रमाण भी बहुत अधिक है जैसे उनके काम की मजदूरी लगभग नहीं के बराबर होती है। उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में एवं खतरनाक स्थितियों में काम करना पडता है। काम का और सोने का स्थान प्रायः एक ही होता है। काम से हटा दिये जाने की आशंका बराबर बनी रहती है। इनकी शारीरिक एवं मानसिक सहिष्णुता की पूरी पूरी परीक्षा हो जाती है।[2]

इस क्षेत्र में बच्चों को काम देने वाले संस्थानों के आकार प्रकार और उनके काम अनेक प्रकार के हैं जिनमें से कुछ ये हैं घरेलू कामकाज, मोटर वर्कशाप परचून की दुकानें छपाई प्रेस बीडी उद्योग इत्यादि।[3] । इस क्षेत्र के कामों को मुख्यतः तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है–

- दूसरों के लिए काम करना
- घरेलू इकाइयों में काम करना
- अपने लिए काम करना

बच्चों को काम देने वाला एक बडा क्षेत्र है निर्माण उद्योग। इसमें आमतौर पर करार पूरे परिवार के साथ किया जाता है जिसमें पति पत्नी और बच्चे सबसे काम की अपेक्षा रहती है कुछ निश्चित अवधि के लिए किसी एकमुश्त रकम पर यह करार होता है।[4] भारत में ऐसे परिवार अक्सर आव्रजक ही होते है। और काम पाने का उनका एकमात्र जरिया ठेकेदार या जमादार हुआ करते हैं। वे उन्हें लगभग बंधुआ जैसे हालत में रखते हैं। इस तरह के श्रमिकों के शोषण का जबरदस्त नमूना 1982 में एशियाड संबंधित निर्माण कार्य में देखने को मिला। बताया गया कि अलग अलग निर्माण कार्यों में लगभग एक लाख प्रवासी मजदूर काम कर रहे थे। जिनमें औरतें और बच्चे भी बडी मात्रा में थे। ये सब राजस्थान, उतर प्रदेश, मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल, उडिसा, झारखंड जैसे दूर दूर के प्रदेशों से आये हुए लोग थे। उनकी मजदूरी बहुत ही कम तो थी ही साथ ही काम के समय हुई दुर्घना का और मृत्यु का मुआवजा उन्हें नहीं दिया गया।[5]

पिपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स की जांच में यह बात सामने आई कि कामगार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित सभी कायदे कानूनों का जिनमें न्यूनतम मजदूरी कानून,

आव्रजित मजदूर कानून बाल रोजगार कानून और बंधुआ मजदूर कानून भी शामिल है। का साफ उल्लंघन किया गया है। वही। ईंट भटटा, पत्थर खादानों आदि उद्योगों में भी स्थिति ऐसी ही है। मजदूरों को खासकर बच्चों को बंधुआ बना लेने की घटना आम है। कृषि क्षेत्र असंगठित क्षेत्र है। इसमें बहुसंख्यक बाल मजदूर हैं। इसमें खास दुःख पहुचाने वाली बात यह है कि खेतिहर मजदूरों में लडकियों की संख्या सबसे ज्यादा हैं मजदूर लडकियों के काम की मात्रा भी लडकों से कहीं अधिक है।[6]

बहुत बडी संख्या में बच्चों को काम देने वाला क्षेत्र कुटीर उद्योग या हस्तलिपि है। अनधिकृत जानकारी के अनुसार इस उद्योग में लगे कुल श्रमिकों का 80 प्रतिशत भाग बच्चों का माना जाता है।[7] यहां बच्चे सीधे ही मजदूर के रूप में काम करते हैं। या सीखने के रूप में काम करते हैं। हां इस क्षेत्र में अपने ही घर के ऐसे कुटिर उद्योग में काम करने वाले बच्चों की भी काफी बडी संख्या है। बाल मजदूरों को मुख्यतः चार वर्गों में विभाजित किया जाता है। जिन्हें प्राथमिक द्वितियक एवं तृतियक क्षेंत्रों की गतिविधियों में विभाजित किया जा सकता है। प्राथमिक क्षेत्र में किसान, कृषि श्रमिक, और पशुधन वन मत्स्य शिकार बागानों में संलग्न बच्चे आते है। वहीं द्वितियक क्षेत्र के अंतर्गत खदान या उत्खनन, निर्माण प्रकिया सेवा तथा मरम्मत और विनिर्माण आते हैं। जबकि तृतीयक क्षेत्र में व्यापार तथा वाणिज्य और परिवहन भंडार संचार तथा अन्य सेवाएं आती हैं।

लडके तथा लडकी दोनों के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र की कार्यविधि के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बाल मजदूरों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में निर्माण, व्यापार तथा वाणिज्य व अन्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। खेती में जुटे श्रमिकों में लडकों का प्रतिशत 39 व लडकियों का 26.2 से अधिक है। जबकि कृषीय श्रम में लडकियों की संख्या 55.4 प्रतिशत व पुरूषों की संख्या 38.1 प्रतिशत से ज्यादा है। द्वितियक क्षेत्र के अंतर्गत पारिवारिक उद्योगों में अधिकांशतः बालिका मजदूर जुटी रहती है। जबकि बालक मजदूर सामान्यतः घर से बाहर काम करते है। लडकों की ही तरह लडकियों की भी भारी संख्या पारिवारिक कार्यों के अतिरिक्त उद्योगों में देखने को मिलती है। राज्यों के बीच स्त्री तथा पुरूष बाल श्रमिकों में काफी भिन्नता है।[8]

1981 की जनगणना के अनुसार जिन भारतीय राज्यों में बालिका मजदूरों की संख्या बाल मजदूरों से अधिक है वे इस प्रकार है जम्मू व कश्मीर 10.58 प्रतिशत, दादर एवं नगर हवेली 9.12 प्रतिशत, अरूणाचल प्रदेश 8.33 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश 7.14 प्रतिशत, सिक्किम 7.05 प्रतिशत, महाराष्ट्र 6.67 प्रतिशत नागालैंड 6.39 प्रतिशत मिजोरम 3.53 प्रतिशत और गोवा दमन एवं दीव 2.85 प्रतिशत में अनेक राज्यों में बालिका मजदूरों की संख्या बढी है।[9] उत्तर पूर्वी भारत के चाय बागानों में निराई, खाद डालना, नर्सरी की देखभाल करना, फसल काटना, बीनना तथा चुनना आदि कार्यों के लिए बालिकाओं को ही काम पर रखा जाता है। यहां इनकी संख्या लडकों से अधिक होती है।[10]असंगठित क्षेत्रों में बालिकाएं प्रायः घरेलू नौकरानी का कार्य करती हैं और उन्हें उनके माता पिता द्वारा वैतनिक श्रम के रूप में निर्माण कार्यों की भी साथ ले जाया जाता है। गरीब माता पिता उधार लेते हैं और अपनी लडकी को जमानत के तौर पर दे देते हैं जहां उसे बंधक मजदूर के रूप में काम करना पडता है। बाल श्रम पर आधारित प्रयोगाश्रित आंकडे बताते हैं कि भारत में सामान्यतः ढाबों पर चार की दुकानों पर इंजीरियरिंग एवं रासायनिक कार्यस्थलों पर मोटरगााड़ी तथा साइकिल की मरम्मत की दुकानों पर जूते चमकाने आदि कार्य लडकियों के द्वारा नहीं किये जाते। वे धाबा कुली होटल में बैरे तथा झाडन मुंगफली नारियल आदि बेचने जैसे कार्यों में भी लडकियों को शामिल नहीं किया जाता है।

पश्चिमी उतरप्रदेश में ग्रामीण महिलाओं पर विकास के प्रभाव का अध्ययन में आहुजा ने रिपोर्ट दी कि 6 से 11 वर्ष के आयु समुह की 245 में से 83 लडकियां अर्थात लगभग 33.5 प्रतिशत किसी न किसी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में संलग्न थी। 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की 52 प्रतिशत लडकियां भी इसी प्रकार के कार्यों में जुटी थीं। उतर प्रदेश में कालीन उद्योग तथा उतर पूर्वी भारत के चाय बागानों में 14 वर्ष से कम आयु की लडकियां काम करती हैं कश्मीर में कालीन बनाने के उद्योग में छोटी लडकियों को कमर तोड कार्यों में लगाया जाता है।[11]ऐसे मामलों में उन्हें बंधुआ मजदूर कहा जाता है। अक्सर लडकियों को अग्रिम राशि के बंधक के लिए भी बेच दिया जाता हैं इसी संदर्भ में कुछ लडकियों को जबरदस्ती वेश्यावृति में न चाहते हुए भी बेच दिया जाता है। हालांकि भारत में बालिका मजदूरों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए कई प्रयास किये गये। परंतु इनकी वास्तविक संख्या का पता नहीं चल पाता है।

बीडी उद्योग एवं मजदूर

बीडी बनाने का काम समूचे भारत में फैला हुआ है और इसमें महिलायें एवं बच्चियां बहुतायत से जुडी हैं। नीति निर्माताओं एवं प्रशासकों का ध्यान अभी तक इस ओर नहीं गया है। लाखों की संख्या में ग्रामीण और शहरी गरीब महिला कामगार अपना परिवार इससे पालती है। उतर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में बीडी बनाने वाला देश का सबसे बडा उद्योग हैं जिसमें लगभग 2.5 लाख कामगार काम करते हैं। जो कांट्रेक्टर की दया पर जीते हैं और न्यूनतम मजदूरी से भी कम मेहनाताना पाते हैं। गरीब परिवारों में भी 75 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जो सरकारी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और जिनकी आय प्रमुख स्रोत बीडी बनाना ही है। हालांकि इस प्रणाली को गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है पर फिर भी अभी तक यह जारी है।

लगभग 90 प्रतिशत महिलाएं इस रोजगार में जुटी हैं जो कांट्रेक्टर द्वारा दिए गए कच्चे माल को घर ले जाती हैं और प्रति दर के हिसाब से कार्य करती हैं। बीडी बनाने की प्रक्रिया सरल है और बहुत कम कौशल की आवश्यकता है। अतः कुछ बच्चे एवं अपाहिज लोग भी बीडी बनाने का काम करते हैं। समस्त कच्चे माल का उत्पादन भारत में ही किया जाता है। ग्रामीण परिवारों द्वारा इसे पूरक आय के रूप में देखा जाता है। बीडी बनाने के लिए तीन प्रक्रियाओं से गुजरना पडता है।

- तेंदू की पत्तियों को धोकर सुखाना और उचित आकार में काटना
- फिर उन्हीं पत्तियों पर तंबाकू की अपेक्षित मात्रा फैलाना और उन्हें शंकु आकार देना। दोनें छोरों को एक तिनके की सहायता से मोडकर पतले छोर को धागे से बांधना
- 25 बीडी के बंडलों के बनने पर उन्हें कांट्रेक्टर को सौंप देना

कांट्रेक्टर उन्हें फर्म भेजता है जहां वे 24 घंटे के लिए भटटी में नियत तापमान पर रखी जाती है। भटठी में से निकाले जाने पर उन्हें हल्के कागज में लपेटा जाता और लेबल लगाया जाता है। और फिर फुटकर इकाइयों को भेज दिया जाता हैं।

इस उद्योग में घरेलू व कामगारों के निम्न जीवन स्तर तथा दोषपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप ही उद्योग असंगठित है। इनमें 90 प्रतिशत महिलाएं हैं। वास्तव में देखा जाए तो औरतों से अधिक लडकियां इस काम में जुटी हुई हैं। अनुमान है कि एक महिला के पीछे 5 लडकियां इस काम में लगी हुई हैं। बीडी बनाने का अधिकांश कार्य घरों पर किया जाता है। जिसे फैक्टरी नहीं कहा जा

सकता और न ही निर्माता फर्म एवं कामगारों के बीच मालिक–मजदूर के संबंध होते हैं। बीडी बनाने की प्रक्रिया के अत्यंत सरल होने एवं सामान घर ले जाने की सुविधा ने ही महिलाओं का ध्यान अपनी ओर खींचा हैं । एक शोध में पाया गया है कि बीडी उद्योग से जुडे प्रत्येक परिवार द्वारा अपना काम बच्चों में बांट दिया जाता है। इससे बडे परिवार कइी आय के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। बीडी उद्योग की एक विशेषता यह है कि इसमें महिलाओं एवं बच्चों को काम मिल जाता है जिससे परिवार भोजन की सुरक्षा में कमी आती है और कुल पारिवारिक आय में महिलाओं के योगदान आय को औसतन 45.5 प्रतिशत तक बढाता है। बीडी निर्माण से जुडी महिलाएं अपना सामान्य घरेलू जैसे खाना पकाना, कपडे धोना आदि काम भी करती रहती हैं। यदि इन कार्यों को करने के लिए किसी व्यक्ति को रखा जाए तो उसे ये काम करने के बदले भुगतान करना पडेगा। लेकिन गृहणी या धर की किसी महिला सदस्य द्वारा यदि ये कार्य किये जाते हैं तो उनके काम को आर्थिक कार्यों में नहीं गिना जाता। घरेलू कार्यों के मूल्यांकन का अभाव के परिणामस्वरूप ही घरेलू कार्यों एवं आर्थिक रूप से लाभकारी कार्यों के बीच महिला श्रमिकों को एकत्रित करने वाले विश्लेषण को अनदेखा कर दिया जाता है। परिवार की कुशलता के लिए गृह कार्य अनिवार्य है। हर कुटुंब का मुख्य उददेश्य अपने परिवार का अधिकाधिक कल्याण करना हैं वे अधिक पैसा कमाने के लिए बीडी नहीं बनाते बल्कि इसलिए बनाते हैं क्योंकि इससे उनके परिवार को भोजन मिलने की आशा होती है। इसलिए घरेलू कार्य करने के घंटों में कुछ कटौती की जाती है और यह थोडा परिवर्तन महिला के घरेलू कार्यों का मूल्यांकन भी करता है। साथ ही बीडी बनाने से होने वाली आय में वृद्धि को भी दर्शाता है। महिलाओं द्वारा आर्थिक कार्यों को ज्यादा समय तक करने पर उनके जीवन स्तर में सुधार होता हे। परिवार की आय व शिक्षा का स्तर दोनों में वृद्धि होती है। और घरेलू कार्यों के लिए ज्यादा समय देने पर परिवार की आय कम हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि औरतों के घरेलू कार्य तथा आर्थिक कार्य के समय को निर्धारित करने वाले अनेक कारक हैं और एक छोटा सा परिवर्तन इन कारकों की परस्पर निर्भरता में गुणात्मक परिवर्तन ला सकता है।

अनेक परिवारों में विशेषकर गरीब परिवारों के बीच कुल आय का एक बडा हिस्सा महिलाओं की आय का होता है। जो उन्हें बीडी बनाने से होती है। एक अध्ययन बताता है कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 500 रूपये से अधिक नहीं हैं उनमें 86 प्रतिशत आय महिलाओं द्वारा अर्जित की जाती है। इसी प्रकार जिन परिवारों की वार्षिक आय 500 से 750 रू के बीच होती है उसमें 95 प्रतिशत महिलाओं का योगदान होता है। तत्पश्चात दो बडे आय वर्ग 750 से 1000 रूपये व 1000 से 15000 की वार्षिक आय में महिलाओं का योगदान क्रमशः 79 प्रतिशत व 77 प्रतिशत से 95 प्रतिशत के बीच रहता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन उत्पादन क्रियाओं से परिवार जुडे होते हैं विशेषकर महिलाएं वहां पर यह पाया गया है कि महिलाओं के योगदान में वृद्धि से परिवार की आय में वृद्धि होती है जिससे प्रति व्यक्ति आय भी बढती है। पारिवारिक सामाजिक वातावरण में बीडी बनाना ही औरतों के लिए आमदनी का एकमात्र जरिया हैं परंतु वास्तविकता यह है कि बीडी अधिकांश महिलाएं नहीं चाहती कि उनकी बेटियां विवाह के पश्चात भी इस कार्य में संलग्न रहें। और जो महिलाएं बेटियों के विवाहोपरांत भी इस कार्य से जुडे रहने की पक्षपाती हैं उनका मुख्य तर्क यही है कि यह उनकी अतिरिक्त आय का प्रमुख स्रोत है जिससे उनके सामाजिक, आर्थिक स्तर में भी सुधार होता हे। उनकी यह सोच परिवर्तन के काम में बाधक हो सकती हैं। क्योंकि उनके काम करने की वांछनीयता आय में सहयोगी के रूप में तथा परिवार कल्याण में नारी के कार्यों के विचारो के साथ नारी स्थापित रूढियों में चुनौती देने का संकल्प नहीं कर सकती। बीडी उद्योग में शोषण के कुछ प्रमुख रूप इस प्रकार हैं–

- बीडी के व्यवसाय में बीडी बनाना उसके पैकेट बनान तथा उनपर लेबल चिपकाने का काम शामिल है और इन सभी में कुछ खास तरह का कौशल होना चाहिए। चार वर्ष की उम्र से ही बच्चे बच्चियों से बीडी बनवाना शुरू कर दिया जाता हैं काफी सारे बच्चे पांच से ग्यारह वर्ष की उम्र में तथा कुछ बच्चे 11 से 15 वर्ष की उम्र में इस पेशे में आते हैं। उनके हाथ सधने और काम में पूरी रफतार आने में करीब तीन साल का समय लगता है।
- बीडी उत्पादन की प्रक्रिया और यह उद्योग इस तरह बना हुआ है कि इसके हर चरण में मजदूरों के शोषण की गुंजाइश है।
- 1000 बीडीयां बनाने के लिए 800 ग्राम तेंदू पत्ता और 350 ग्राम तंबाकू चाहिए। अक्सर इन दोनों चीजों की तंगी रहती है। अगर माल उपलबध भी हो तो उसके घटिया होने का खतरा रहता है और उनसे तैयार बीडी बेकार हो जाती हे। ऐसी बीडी जब न खरीदी जाए तो मजदूर मारा जाता है। इस बीडी को ठेकेदार निर्माता उनके पासबुक में दर्ज नहीं करते। फिर माल का तौल कम होने की शिकायत भी आम है और यह बोझ मजदूर के माथे ही आता है।
- कच्चे माल की कमी में घट बढ यह काम न मिलने की स्थिति में मजदूर स्थानीय सूदखोर के बंधुआ बन जाते हैं।
- बीडी मजदूरों के संरक्षण और बचाव के लिए चार कानूनों की मौजूदगी के बावजूद उनके प्रावधान ढंग से लागू नहीं हो पाते और मजदूरों के काम की स्थितियों में कोई बहुत फर्क नहीं आया है। यह काम बहुत ही एकरूपता वाला और उबाउ है तथा इसमें कुछ नया करने की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन यह काम मुश्किल भी है क्योंकि मजदूर पलभर के लिए नजर फेर नहीं पाता। जब बीडियों की गिनती पर ही मजदूरी मिलती हो तो नजर फेरने का सीधा मतलब नुकसान उठाना है। एक ही स्थिति में बैठकर घंटों काम करना, गंदी जगह में बैठना और दिन रात तंबाकू सुंधना मजदूरों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है।

झारखंड में बीडी उद्योग

झारखंड एक जनजातिय क्षेत्र होने के साथ साथ वनों की सघनता वाला क्षेत्र है। यहां पर वनों की अधिकता व केंदू पता की उपलब्धता ने बीडी उद्योग को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परंतु इतना होने के बाद भी यहां पर अशिक्षा के कारण जनजातिय समाज व बीडी उद्योग में संलग्न दूसरे लोग भी शोषण का शिकार होते जाते हैं। एक अध्ययन के अनुसार यहां पर बीडी उद्योग के निम्नलिखित गुण दोष सामने आये हैं–

चूंकि यह काम बहुत कुशलता चाहता है और इसमें पीढियों से लोग लगे हैं इसलिए इसमें एक किस्म की निरंतरता बन गई है और इसमें नये लोगों के आ सकने की गुंजाइश काफी कम हो गई है। बीडी ठेकेदार आमतौर पर पुराने परिचित परिवारों को ही काम सौंपते हैं और प्रायः नये लोगों को काम नहीं ही देते।

इस काम में साल के नौ महीने लगे रहने वाले मजदूर यह उसके परिवार के लिए बाकी तीन महीनों के लिए किसी अन्य काम में जाना संभव नहीं होता न उन्हें कोई और काम मिल पाता है।

उन्हें पते को साइज से काटना, तंबाकू मिलाना, बीडी मोडना, किनारे मोडना, धगा बांधना, मुठ बनाना और लेबल चिपकाना होता है। बच्चे एक काम के बाद दूसरा सीखते हुए आगे बढते हैं और फिर माहिर मजदूर बन जाते हैं।

यह बात उल्लेखनीय है कि यह काम चाहे जितना भारी और उबाउ लेग स्थितियां जितनी भी मुश्किल हो बच्चे आमतौर पर अपना काम मजे से करते हें और मां बाप की आमदनी में योगदान करने पर गौरव महसूस करते हैं। वे अपने पास कोई पैसा नहीं रखते और अनेक बच्चे तो काम से लौटने के बाद घर पर पढाई करते हैं।

मजदूरी

एक हजार बीडी बनाने की मजदूरी है 24.90 रूपये। इसमें 8.50 रूपये का महंगाई भता भी शामिल है। प्रति 1000 बीडी बनाने के अलग–अलग चरण की मजदूरी इस प्रकार होती है–

- तेंदू पता को साइज से काटना–12.50 रूपये
- उसका मुंह बंद करना–2.50 रूपये
- बीडी का धागा बांधना–1.30 रूपये
- पत्ते और तंबाकू की बर्बादी–2.50 रूपये
- बंधुआ बच्चे चाहे जितना माल बनाएं उन्हें बहुत थोडी और दिखावटी ही मजदूरी मिलती है। अधिकांश को उनके दिनभर के काम की सिर्फ आधी मजदूरी ही मिलती है। और बाकी रकम उधार के एवज में रख ली जाती है।
- काम सीख गया बाल श्रमिक रोज दस घंटे काम करते हुए औसतन 2000 बीडियों को बना लेता है। आधा काटने पर भी उसे कायदे से रोज 25 यपये मिलने चाहिए पर पत्ते और तंबाकू की बर्बादी के नाम पर उनसे 2.50 रूपये की जगह 5 रूपये काट लिए जाते हैं। आधी रकम तो उधार के खाते में चली जाती है। सो आमतौर पर उन्हें दस रूपये या उससे कम ही मिलते हैं।
- लडके और लडकी की दिहाडी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है।
- बंधुआ रखे गए बच्चों की वास्तविकता कमाई ठेकेदार या एजेंट द्वारा सीधे काम पर रखे गए बाल श्रमिकों की कमाई से काफी कम होती है। बंधुआ बच्चे भी उधार चुकने के बाद आजाद होने पर ही अन्य बाल श्रमिकों जितना कमा सकते हैं। जब तक मजेदूरी न बढेगी उधार चुकाने की क्षमता भी नहीं बढ सकती। और जब तक ठेकेदार उचित और सही नाप–तौल का कच्चा माल न दे तथा तैयार माल लेने में नखरे दिखाते हुए काफी सारे माल को घटिया न घोषित करे तब तक उचित मजदूरी भी संभव नहीं है। इस प्रकार यह पूरी प्रक्रिया एक दुष्चक्र का रूप ले चुकी हैं।

अध्ययन से पता चलता है कि बीडी उद्योग में दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों की पिटाई अधिक होती है इससे उपर वालों की कम। इसका कारण ढूंढना मुश्किल नहीं है दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों को न काम का अनुभव होता है, न उनका कौशल निखरा होता है। वे बहुत चौकस होकर काम भी नहीं करते और बचपन की मस्ती में काम को या काम पर आने को भूल जाते हैं। उनकी हाजिरी भी कम होती है उम्र बढने के साथ बच्चों का हाथ सधता जाता है और वे काम भी समझते हैं। साथ ही उन्हें अपने नियोक्ताओं की पसंद–नापसंद का भी पता हो जाता है।

मैंने अपने अध्ययन के दौरान दो लडकियों और एक लडके की जो कहानीयां देखीं वो बहुत ही दर्दनाक है। चाइबासा में रहने वाली एक गांव में बीडी बनाने वाली 11 वर्ष की लडकी की अपने नियोक्ता से यह शिकायत हैः मेरे मालिक छोटी सी छोटी गलती की सजा देते हैं। वे मोटी मजबूत छडी से मेरी पिटाई करते हैं। वे अक्सर मुझे अपनी पत्नी के गांव के कुएं से पानी लाने को कहते हैं। कई बार मुझे उनके दो साल के बच्चे की देखरेख भी करनी होती है। अगर मुझे कभी दवाई या इलाज की जरूरत होती है तब न तो वे मुझे घर जाने देते हैं न ही इलाज कराते हैं। मैं उनसे मुक्ति पाना चाहती हुं।

जुडी दो कहानियां–उसी उम्र की एक लडकी चाइबासा के ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। उसने अपने नियोक्ता से मुक्ति पाने की कामना के साथ अपनी कहानी मेरे अध्ययन के दौरान सुनाई– मेरे मां बाप मूलतः खेतिहर मजदूर हैं और वे बीडी के धंधे को नहीं जानते। मेरे परिवार की भारी आर्थिक मुश्किलों के चलते ही उन्होंने मुझे इस काम में लगाया। मैं छठी क्लास तक पहुंच गई थी लेकिन फिर मेरे लिए बीडी के धंधे में आने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया। यह सिर्फ मुश्किल काम ही नहीं है इसमें बिना आराम किये घंटों एक तरह से ही बैठे रहना भी काफी मुश्किल है। काम का बोझ काफी है। रोज 3000 बीडीयों का मुंह बंद करने का काम मेंरे लिए मुश्किल है। मुझे रोज सिर्फ 3 रूपये की मजदूरी मिलती है। इसलिए मैं तो इस काम से एकदम उब चुकी हुं। मुझे इस नरक से निकालने में कृप्या मदद करें। एक साल छूटने के बाद भी मैं पढाई शुरू कर सकती हुं।

घाटशीला शहर में बीडी बनाने के काम में लगे 12 वर्ष के लडके ने अपनी व्यथा इन शब्दों में सुनाई,– बीडी का मुंह बंद करनपे में हुई जहां सी चूक के लिए भी मालिक मुझे पीटते हैं। वे सिर्फ डांटते–झिडकते ही नहीं मेरे मां बाप को भी भला–बुरा कहते हैं। जबकि मालिक से थोडा एडवांस लेने के अलावा उनका और कोई लेना देना नहीं है। शुरू में मेरा माथा नीचे झुकाए रखा। देखने के लिए मालिक दियासलाई की डिब्बी मेरे गर्दन के उपर रख देते थे। फिर मैं न तो सिर उठा सकता ाि न इधर उधर देख सकता था न ही सिर हिला डुला सकता था। सिर उठाने और मोडने के लिए मैं कई बार पिट चुका हुं। जैसे ही सिर हिलता या उठता तो दियासलाई की डिब्बी गिर जाती है और उसकी आवाज मालिक सुन लेते हैं कई बार तो वे मुझे बडी निर्दयता से बिजली के तार से पीटते है।

पर इन सबसे दुखद बात यह है कि जब अपने बच्चों को पिटाई या उनसे दुर्व्यवहार की खबर मां–बाप को मिलती है वे तब भी उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखा सकते।

निष्कर्ष–

झारखंड में असंगठित मजदूरों की संख्या लाखों में है। इसमें बीडी मजदूरों का एक बडा तबका शामिल है। इनका दुर्भाग्य यह है कि इनकी वास्तविक संख्या राज्य सरकार के पास नहीं है। राज्य सरकार बीडी उदयोग से जुडे मजदूरों की हालत से नावाकिफ है। इन परिस्थितियों में राज्य या केंद्र सरकार द्वारा बीडी मजदूरों के लिए बनाई गई योजनाएं किमनी उपयोगी होंगी, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आंकडों के अनुसार राज्य सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की जानकारी में पाकुड जिले में मात्र 2589 मजदूर हैं पर वास्तविकता यह है कि इस जिले में बीडी मजदूरों की संख्या 25 हजार से भी अधिक है। हैरत की बात तो यह है कि पाकुड स्थित भारत सरकार के श्रमिक औषधालय में भी मजदूरों की सही संख्या दर्ज नहीं हे। इस औषधालय में निबंधित मजदूरों की संख्या 4457 है। इसका मतलब यह है कि पाकुड जिले के मजदूरों की वास्तविक संख्या न तो राज्य सरकार के पास है और न पाकुड स्थित श्रम औषधालय में

कमोबेश यही स्थिति घाटशीला एवं चाईबासा की है। राज्य सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से मिले आंकडों के अनुसार देवघर में बीडी मजदूरों की संख्या 4897, साहेबगंज में 251, दुमका में 892, गोडडा मे 867, हजारीबाग में 600, पूर्वी सिंहभूम में 6500 और पलामू में 384 है।[12] इनमें से कोई भी आंकडा वास्तविक आंकडों से मेल नहीं खाता है। इन आंकडों से बीडी मजदूरों की उपेक्षा का अंदाज सहज लगाया जा सकता हे। सरकार के अलावा बीडी बनाने वाली कंपनियों के पास भी बीडी मजदूरों की वास्तविक संख्या नहीं है। सच पूछा जाए तो बीडी कंपनियां जानबूझकर मजदूरों की वास्तविक संख्या जाहिर नहीं करना चाहती है। वे नहीं चाहती कि मजदूरों का संगठन मजबूत हो और वह उनके लिए परेशानी का सबब बने। दरअसल झारखंड में बीडी उद्योग चलाले वाली लगभग सभी कंपनियां बाहर की है। ये कंपनियां बिचौलियों और दलालों के माध्यम से झारखंड में बीडी का कारोबार चलाती हैं। इसके कारण कंपनियों का मजदूरों से सीधे तौर पर कोई सरोकार नहीं होता। कंपनियां यह चाहती भी नहीं हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि झारखण्ड राज्य गठन के 18 साल बाद भी बीडी मजदूरों की समस्या किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंडा नहीं बनी। बीडी मजदूरों की तमाम समस्याओं की जड उनका असंगठित होना है।

संदर्भ सूची

1. कारखाना अधिनियम 1948
2. बनर्जी सुमंत, 1979 चाइल्ड लेबर इन इंडिया, चाईल्ड लेबर इन डेल्ली/बॉम्बे, इंडियन इंस्टीटयूट फॉर रीजनल डेवलपमेंट स्टडीज पृ 78
3. दूबे लीला, 2001, एक्सप्लोरेशन इन जेंडरःइंटरसेक्टिंग फिल्डस, सेज पब्लिकेसंस,नई दिल्ली
4. पूर्वोक्त बनर्जी पृ 187
5. पी.आई.डी.आई.डाक्युमेंटशन 1933 पृ 1
6. गंगराडे, के. डी.,1976, डाइमेंसंस ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, मारवाह प्रकाशन, नई दिल्ली पृ 12
7. पूर्वोक्त बनर्जी पृ 18
8. श्रम एवं समाज कल्याण विभाग भारत सरकार रिपोर्ट 2011
9. भारत की जनगणना 1981
10. भद्रा वीरेंद्र कुमार, 2010, झंझट, कोलकाता प्रकाशन, कोलकाता, पृ 118
11. शाह ए एम, 1998, द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसेज, ओरिएंट बलैक स्वान, नई दिल्ली पृ 45
12. श्रम एवं समाज कल्याण विभाग झारखण्ड सरकार रिपोर्ट 2015

नगरीकरण एवं करारोपण के बदलते स्वरुप
(ईसा पूर्व छठी शताब्दी से अशोक के काल तक)

डॉ0 मृत्युंजय कुमार

सहायक प्राध्यापक, सूरत पाण्डेय डिग्री कालेज, गढ़वा

छठी शताब्दी ई0पू0 को सार्वभौमिक जिज्ञासाओं की शताब्दी का काल कहा जा सकता है।[1] भूमध्यसागर से प्रशांतमहासागर तक मानव मस्तिष्क में खलबली मची हुई थी।[2] चीन, ईरान तथा यूनान में पुरातन मान्यताओं को क्रमशः कन्फ्यूशियस, जरथुष्ट्र तथा पाइथागोरस चुनौती दे रहे थे।[3] भारतीय इतिहास के इस क्रियात्मक युग में मगध जो कि आर्य देश नहीं माना जाता था, सभी प्रकार के प्रगतिशील आंदोलनों का उद्‌गम स्थल बना।[4] राज्य संगठन अपने विकास के साम्राज्यिक चरण में जो कि छठी शताब्दी ई0पू0 से प्रारंभ होकर चौथी शताब्दी ई0पू0 था, में पूर्णता की स्थिति में तब जा पहुँचा जब सोलह महाजनपदों में से एक मगध ने दूसरे महाजनपदों पर अपना आधिपत्य जमा लिया, प्राचीन भारत में राज्य संगठन के विकास का यह अंतिम चरण था।[5] प्रस्तुत लेख का उद्देश्य नगरीकरण के साथ–साथ होनेवाले करारोपण के विकास को समझने का प्रयास है।

इस समय कुछ बुनियादी आर्थिक परिवर्त्तन हुए थे जिन्होंने धार्मिक तथा सामाजिक प्रवृत्तियों को प्रभावित किया, आर्यों की अर्थव्यवस्था आरंभिक वैदिक युग में अर्द्ध खानाबदोश चारागाही अर्थव्यवस्था थी लेकिन धीरे–धीरे वह कृषि प्रधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रुप में स्थिर हो चली थी, इसी के साथ भूमिकर और ग्रामीण प्रशासन की नींव रखी गयी थी।[6] परंतु भूमि आय का एकमात्र साधन नहीं था। इन शताब्दियों में उत्तरी भारत के आर्थिक जीवन में एक नये तत्व का प्रवेश हो गया था, उद्योग और व्यापार के केन्द्रों के रुप में नगरों का उदय हो गया था, गांगेय प्रदेश की अर्थव्यवस्था में श्रावस्ती, चंपा, राजगृह, कोशांबी जैसे कुछ नगर बहुत महत्वपूर्ण बन गये थे। कुछ दूसरे नगरों यथा तक्षशिला, भारुकच्छ आदि का आर्थिक प्रभाव और अधिक व्यापक था।

कृषि में गहनता आने के साथ ही गंगा की घाटी में नगरों के विकास के लिए आर्थिक आधार सुलभ हुआ। बहुत से नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर तो थे ही साथ ही जनपदों की राजधानियाँ भी थे–यथा कोशांबी, काशी, अयोध्या और राजगृह।[8] नगरों के उदय का समय मुख्य रुप से उत्तरी काले ओपदार मृदमांड संस्कृतियों के प्रारंभ के साथ ही माना जा सकता है। उत्तरी काली मृदमांड संस्कृति छठी ई0पू0 में दिखने लगती है, यद्यपि कुछ स्थानों पर यह परवर्ती काल में दिखती है यथा हस्तिनापुर, उज्जैन आदि में।[9]

चाईल्ड की शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार नगरीय क्रान्ति की विशेषताएँ विशाल इमारत और घनी आबादी वाली बड़ी–बड़ी बस्तियाँ हैं। इसके अतिरिक्त खाद्योत्पादन से अलग रहने वाले वर्ग (शासन, शिल्पी, सौदागर आदि) तथा कला, विज्ञान एवं लेखन का संवर्धन होता है।[10] कांस्य युग की शहरी क्रान्ति के ये सारे लक्षण माने गये हैं। अनाज नहीं पैदा करनेवाले नगरवासियों को पालने वाले शिल्प विशेषज्ञों की उपस्थिति और उत्पादकों से कर के रुप में प्राप्त अधिशेष के महत्व पर चाईल्ड ने बहुत बल दिया है।[11]

सभी नगर एक समान कारण समूह से उत्पन्न नहीं थे, अधिकांश नगर भिन्न–भिन्न परिस्थितियों एवं कारणों से उत्पन्न हुए थे।[12] उत्पादन अधिशेष एवं इस अधिशेष के वितरण के लिए उत्तरदायी व्यापारी तथा प्रशासनिक तंत्र की उपस्थिति नगरीकरण का मूल कारण था।[13]

प्रथम सहस्त्राब्दी में ई0पू0 के पूर्वार्द्ध में उच्च गंगा घाटी में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति ने जो भौतिक उपलब्धियाँ हासिल की थी वे उत्तरार्द्ध में भी न सिर्फ जारी रही बल्कि उनमें और भी ज्यादा

विकास हुआ। [14] लोहे का प्रयोग चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति में ही प्रारंभ हो गया था परन्तु इस काल में इसका प्रयोग अत्यंत सीमित था। इस समय लोहे के प्रयोग का उदाहरण बाणाग्र एवं भाले के शीर्ष के रुप में मिलता है। इस समय तक भारतीयों का इस धातु के सामाजिक आर्थिक प्रयोग के विषय में ज्ञान सीमित था। [15]

ई0पू0 छठी शताब्दी से सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों में लोहा प्रभावकारी भूमिका निभाने लगा था। इसी समय पहली बार उत्पादन प्रणाली पर लोहे का असर दिख पड़ा जिसने उत्पादन प्रणाली में क्रान्ति ला दी तथा कालान्तर में आर्थिक परिवर्तनों एवं तदुपरान्त सामाजिक परिवर्तनों की गति तीव्र कर दी। लौह तकनीक की श्रेष्ठता इस काल के मृदभांडों पर भी दिख पड़ती है जब उत्तरी काले ओपदार मृदभांडों पर चमकदार काली पॉलिश करने के लिए ब्लैक मैग्नेटिक ऑक्साइड का प्रयोग किया गया। [16] स्वाभाविक ही था कि एक बार जैसे ही लौह अयस्क की खोज कर ली गयी और अपेक्षित प्रौद्योगिकी पर अधिकार प्राप्त हो गया। पूर्ववर्ती युग की जीवन निर्वाह वाली खेती का स्थान अधिशेष उत्पादन वाली खेती ने ले लिया। [17] इस प्रकार छठी शताब्दी ई0पू0 में उत्तरी भारत में नगरीकरण के लिए मंच पूरी तरह से तैयार था। [18]

बुद्ध काल आते आते कुरु–पांचालों के राज्य अर्थात् पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने जो उत्तरवैदिक काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, अपना पूर्व महत्व खो चुका था, राजघाट (बनारस) तथा चिरांद (छपरा) के उत्खननों से प्रमाणित होता है कि इस समय गंगा घाटी में लोहे का व्यापक प्रयोग हो रहा था, जिसके फलस्वरुप बड़े–बड़े प्रादेशिक राज्यों की स्थापना हुई, जो सैनिक दृष्टि से सुसज्जित थे और जिसमें मुख्य भूमिका क्षत्रिय वर्ग ने निभाई, खेती के नये औजारों और उपकरणों के कारण अब किसान अपनी जरुरत से इतना अधिक उत्पादन कर सकते थे जिससे न केवल शासकवर्ग की, बल्कि अनेक नगरों की आवश्यकता की भी पूर्ति हो सकती थी, उत्खननों से प्रकट होता है कि राजगीर, वैशाली, राजघाट, चिरॉंद और कौशांबी छठी शताब्दी ई0पू0 की शहरी बस्तियाँ थे, यद्यपि श्रावस्ती, पाटलिपुत्र इसके बाद के नगर थे, इस प्रकार 500 ई0पू0 में गंगाघाटी में नगरीकरण का प्रारंभ दीख पड़ता है। [19]

पी.एल.गुप्ता की प्रस्तावना के अनुसार सातवीं शताब्दी ई0पू0 से आहत मुद्रा का चलन प्रारंभ हो गया था परंतु इन सिक्कों का प्रचलन एवं निरंतरता में पांचवीं शताब्दी ई0पू0 के अंतिम चरण और चतुर्थ शताब्दी ई0पू0 के प्रारंभिक चरण तक वृद्धि हो गयी थी। [20] इससे स्वभावतः आंतरिक व्यापार और लेनदेन की सुविधा बढ़ी, जो एक ओर राज्य की आय के अच्छे साधन थे और दूसरी ओर उनसे व्यापरियों के एक वर्ग का उदय हुआ जो सेट्ठि कहे जाते थे। [21] नई भौतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के कारण राज्य के सेना तथा कर व्यवस्था जैसे अंगों का तीव्र विकास हुआ। [22] किसानों से उत्तर वैदिक काल से ही कर लिया जा रहा था; पर अब कर व्यवस्था सुदृढ़ हो रहा था और नए कर दाता भी सामने आए, ये थे कारीगर और व्यापारी। यह नयी चीज शहरी अर्थव्यवस्था के कारण सामने आयी। [23] बौद्ध विचारकों के अनुसार पहले राज्य संस्था का अभाव था। मनुष्य तेजस्वी थे तथा बड़ी अच्छी अवस्था में रह रहे थे परन्तु , जब लोगों में लोभ और मोह उत्पन्न हो गया तो उन्हें राज्य संस्था के निर्माण की आवश्यकता प्रतीत हुई। [24] राजा का जन्म युद्ध के कारण हुआ, इस प्रकार राज्य और राजपद का विकास अराजकता और युद्ध की बुराईयों की अनिवार्यता के कारण और मानव चरित्र की स्वाभाविक दुष्टताओं के फलस्वरुप हुआ। [25] इसलिए उन्होंने योग्यतम व्यक्ति को राजा बनाकर इस प्रकार संविदा या इकरार किया ''अब से तुम उस व्यक्ति को दंड दिया करो जो दंड पाने योग्य है तथा उसे पुरस्कृत किया करो जो पुरस्कृत होने योग्य हो, इसके बदले हम तुम्हें अपने खेतों की उपज का एक भाग दिया करेंगे। '' इस प्रकार दीध निकाय का सिद्धांत, रुसो तथा हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था के सिद्धांत से मिलता जुलता है। [26]

पहले पहल कृषि उपज में राजांश और पशु के रुप में अंशदान की अवधारणा थी जो प्रारंभ में ऐच्छिक एवं कालान्तर में अनिवार्य हो गयी, ज्यों–ज्यों राज्य की शक्ति का विस्तार होता गया त्यों–त्यों करों का बहुगुणन होता गया तथा वित्त के महत्व का अनुभव होने लगा। [27] वास्तव में राज्य के विभिन्न तत्वों में राजस्व व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के संसाधनों को जुटाये बिना केन्द्रीय

व्यवस्था जिसमें राजा अथवा शासन करने वाला कुलीन वर्ग, नियमित सेना तथा कार्यकारी एवं न्यायिक अधिकारी होते हैं का रख रखाव संभव नहीं है, अतः करव्यवस्था का उद्‌भव एवं विकास राज्य के उद्‌भव एवं विकास को निर्धारित करता है। [28]

विविध प्रकार के करों का सर्वप्रथम और विस्तृत विवेचन, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र का अर्थ है – ''आर्थिक लाभ का शास्त्र'' व्यक्ति विशेष का नही अपितु एक विशेष प्रकार के राज्य के आर्थिक लाभ का शास्त्र। लक्ष्य सदा स्फटिक की तरह स्वच्छ रहा जिसे प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त साधनों का औचित्य सिद्ध करने की कतई आवश्यकता नहीं समझी गयी।[29] कौटिल्य ने पशुपालन, कृषि और व्यापार के लिए ''वार्ता'' शब्द का प्रयोग किया है। [30] उसके अनुसार वार्ता के साधनों से राजा अपने कोष और सेना को बलशाली करके शत्रु को अपने अधीन कर लेता है।[31] राज्य वार्ता के निरीक्षण हेतु पृथक विभाग रखता था। महाभारत में नारद युधिष्ठिर से पूछते हैं कि ''क्या आपकी वार्ता योग्य हाथों में है?'' क्योंकि ''वार्ता के समुचित वृद्धि मे ही लोगों की खुशी छिपी है''। [32]

वैदिक काल में स्वेच्छापूर्वक दिया जाने वाला कर ''बलि'' छठी शताब्दी ईसा पूर्व आते–आते अनिवार्य कर के रुप में परिणत हो गया था। कर की वैधता प्रमाणित करनेवाले अनेक सूत्र प्राचीन भारतीय साहित्यों में मिलते हैं। गौतम के अनुसार, कर राजा द्वारा दी जानेवाली सुरक्षा के बदले में मिलता है। नारद, कर को प्रजा की सुरक्षा के बदले में राजा को मिलने वाला पुरस्कार मानते हैं। इसी प्रकार का मत आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता ''एडम स्मिथ'' अपने पहले नियम में प्रतिपादित किया हैं। [33]

यद्यपि राजा को कर लगाने का अधिकार था परन्तु धर्मसूत्रों में स्पष्ट प्रतिपादित है कि राजा केवल वैध कर वसूल सकता है। [34] यदि वह प्रजा पर दमनकारी कर लगाएगा तो स्वर्ण फल देने वाला वृक्ष ही सूख जाएगा। कामन्दक, राजा को माली अथवा ग्वाला के समान कार्य करने का सलाह देता है जो पहले पालन करते हैं तदुपरान्त सेवन करते हैं। [35] करारोपण के सिद्धांत को कालिदास पूर्णता पर पहुँचा देता है, जब वह राजा को सूर्य के समान बतलाते हुए कहता है कि जिस प्रकार सूर्य धरती पर का जल पुनः धरती को हजार गुणा फायदे के साथ लौटा देता है ठीक उसी प्रकार राजा प्रजा से वसूला गया कर प्रजा के ही भलाई के लिए व्यय करता है। [36] महाभारत के अनुसार, राजा को मधुमक्खी के समान वर्ताव करना चाहिए जो फूलों को नुकसान पहुँचाए बिना उनसे रस निकाल लेती है। [37] एडम स्मिथ का तीसरा और चौथा नियम इस मत को परिपुष्ट करता है जिसका समर्थन जॉन स्टुअर्ट मिल भी करते हैं। [38]

विविध प्रकार के साहित्यिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि राजकोष की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग भूमिकर था। साधारणतया राजा उपज का छठा भाग कर के रुप में लेता था। [39] इसी कारण ''षडभागी'' राजा की स्थायी उपाधि बना। [40] नारद के अनुसार, उपज का छठवां भाग राजा का होता है, परन्तु विधि निर्माताओं ने इस दर में विविधता भी रखा है। [41] गौतम ने भू–राजस्व की तीन दरें – छठा भाग, आठवां भाग तथा दसवां भाग निर्धारित किया है। इसके टीकाकार हरदत्त ने लिखा कि दरों में विविधता मिट्टी की किस्म पर निर्भर थी।[42] इसी प्रकार मनुस्मृति एवं शुक्र नीति भी भूमि के किस्म एवं सिंचाई की सुविधा के आधार पर कर की विविध दरें निर्धारित करते हैं। [43]

डायोडोरस ने मेगास्थनिज के आधार पर लिखा है कि किसान उपज का चौथा भाग भू–राजस्व के रुप में राज्य को देते थे। घोषाल ने डायोडोरस के उक्त कथन को सत्य मानकर कहा कि मौर्यकाल में भू–राजस्व की दर बहुत उँची थी। [44] कर के रुप में उपज का एक चौथाई भाग सामान्य अनुमान पर आधारित था, संभवतः यह बहुत उपजाऊ भूमि पर लगता था। उदाहरणार्थ पाटलिपुत्र क्षेत्र में, जिसके बारे में मेगास्थनिज को सर्वाधिक जानकारी थी। उपयुक्त राशि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही होगी, निःसंन्देह नियमित रुप से एक–चौथाई भाग कर की दर अधिक थी, परन्तु बाद की सदियों में दशा और बिगड़ी जबकि एक तिहाई भाग कर का सामान्य दर हो गया जैसा अकबर के काल में था।[45]

एक अन्य कर, 'भाग–भोगकर' का उल्लेख मिलता है। फ्लीट महोदय 'भाग का उपभोग' के रुप में इस शब्द की व्याख्या करते हैं। इसे वह एक ही शब्द मानते हैं, परन्तु कहीं–कही 'भोग–भागकर' का उल्लेख भिन्न अर्थ में मिलता है। जिससे फ्लीट महोदय की व्याख्या को स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। अतः सरकार साहब का मत समीचीन लगता है कि, 'भाग' उपज में राजकीय अंश था और 'भोग' राजा के प्रयोग हेतु दिया जानेवाला उपहार था। [46]

एक अन्य शब्द 'कर' का अभिलेखों में बहुधा प्रयोग होता रहता है। धर्मसूत्रों में तथा संस्कृत के मानक शब्दकोषों में 'बलि, भाग और कर' शब्द का प्रयोग भू–राजस्व के रुप में किया गया है। परन्तु अर्थशास्त्र और मनु इसकी व्याख्या भिन्न रुप में करते हैं। विभिन्न व्याख्याकारों ने इसकी व्याख्या भिन्न–भिन्न रुपों में की है, मेघातिथि इसे द्रव्यों का उपहार तो सर्वज्ञ नारायण इसे भूमि के लिए निर्धारित स्वर्ण का भुगतान मानते हैं। रामचन्द्र इसे घास, लकड़ी आदि के रुप में अंशदान मानते हैं तो कुल्लुक एवं राघवानंद इसे ग्रामवासियों द्वारा किया जानेवाला मासिक भुगतान मानते हैं। [47]

अर्थशास्त्र में 'हिरण्य' नामक कर का भी उल्लेख है, यह संभवतः किसी प्रकार का अतिरिक्त कर था क्योंकि नियमित करों में इसका उल्लेख नहीं है। घोषाल इसे नकदी कर मानते हैं। [48]

'विष्टि' का अर्थ बेगार है, एरियन के अनुसार शिल्पी और कारीगर कर के स्थान पर बेगार करते थे। [49] अर्थशास्त्र के अनुसार कारीगरों को महीने में एक दिन बेगार करना पड़ता था। [50] 'प्रणय' का अर्थ आपातकालीन कर था। 'शक महाक्षत्रप रुद्रदमन' ने अपने गिरनार अभिलेख में लिखा है कि उसने अपनी प्रजा से बिना 'विष्टि', 'प्रणय' या 'कर' वसूले सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई, स्पष्टतया प्रणय, विष्टि तथा कर 'कष्टकारी' कर के रुप में माने जाते थे।[51]

इस समय सिंचाई कर के रुप में 'उदक भाग' वसूला जाता था। [52] इसके दो भाग थे, अस्थायी किसान से वसूला जानेवाला कर, 'उपरिकर' कहलाता था तो स्थायी किसानों से वसूला जानेवाला कर 'उद्रंग' कहलाता था। [53]

अशोक के अभिलेखों में केवल रुम्मिदेई अभिलेख में ही कर व्यवस्था का जिक्र किया गया है। बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण लुम्बिनी ग्राम कर मुक्त था और उपज का केवल आठवां हिस्सा कर के रुप में लिया जाता था। 'उदबलिक' शब्द का अर्थ संभवतः करों से मुक्ति है। यह संभवतः उस भूमि लगान की ओर इशारा है जो हर गाँव को देना पड़ता था। [54]

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कर भी देने पड़ते थे। 'पिण्ड कर' संभवतः गांव वाले सामूहिक रुप से देते थे। 'सेना भक्त' संभवतः' गांव वालों को सेना के भोजन की व्यवस्था के लिए जो धन देना पड़ता था उसे कहा गया है। [55] राजकुमार के जन्मोत्सव के अवसर पर दिया जानेवाला भेंट 'उत्संग' कहा गया है। पशु कर के अतिरिक्त कई अन्य कर भी लगाये जाते थे औपायनिक (उपहार), पार्श्व (अधिक लाभ पर दिया जानेवाला अतिरिक्त कर), कौष्ठेयक (नीची भूमि पर कर), मरहीनक (पशुओं द्वारा की गई हानि पर कर) आदि। [56]

अर्थशास्त्र में परामर्श दिया गया है कि आपत्तिकाल में कर की दर बढ़ाकर एक तिहाई या एक चौथाई की जा सकती है और दो फसल लेने का तरीका भी अपनाया जा सकता है। परन्तु यह वर्षा पर आधारित उपजाऊ इलाकों में ही होना चाहिए। [57] रुम्मिदेई अभिलेख से एक और दिलचस्प तथ्य का पता चलता है कि कर मुक्ति का निर्णय राजा स्वयं करता था। [58] अर्थशास्त्र में उल्लेखित राजा के कुछ अधिकारों से यह अभिप्राय निकलता है कि भूमि पर उसका स्वामित्व अलिखित रुप में माना जाता था। हालांकि सैद्धांतिक रुप में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर दूसरी फसल की अनिवार्य वसूली एक ऐसा ही अधिकार था। [59]

स्पष्टतया मौर्यकाल में राज्याधिकारी खेती की जानेवाली भूमि पर कर निर्धारित करते थे, यह कर निर्धारण समूचे गाँव पर सामूहिक रुप से न होकर भूमि के प्रत्येक टुकड़ें के किस्म के आधार पर होता था। फिर ग्रामों को निम्नलिखित शीर्षक के अन्तर्गत रखा जाता था, कर मुक्त ग्राम (परिहारक),

सैनिक प्रदान करने वाले गाँव (हिरण्य), कच्चा माल देने वाले गाँव (कुप्य), बेगार देने वाले गाँव (विष्टि) और कर की जगह दुग्ध उत्पादन देने वाले गाँव, स्पष्टतया कर निर्धारण से पहले प्रशासन सभी स्थानीय विशेषताओं पर ध्यान देता था। [60]

व्यापार अर्थात 'वार्ता' राजस्व का एक अन्य महत्वपूर्ण अंग है जो मुख्यतः वैश्यों के नियंत्रण में था, मुख्य कर दाता में रुप में इन व्यापारियों का राज्य द्वारा विशेष ध्यान रखने एव सुरक्षा के उपाय करने के निर्देश महाभारत की शांति पर्व में दिया गया हैं। [61] व्यापारिक केन्द्र के रुप में नगरों को प्राप्त होनेवाली आय को कौटिल्य ने 'दुर्ग' कहा है। [62] दुर्गीकरण के कारण व्यापारियों को विश्वास रहता है कि राज्य भली–भाँति सुरक्षित है और वे निश्चित होकर व्यापार कर सकते हैं। इस प्रकार राज्य के वाणिज्य में वृद्धि के नवीन आयाम जोड़ सकते हैं। सैन्य शक्ति इस प्रकार व्यापारिक विकास एवं सम्पन्नता में वृद्धि का कारण बन जाता है। दुर्गीकरण के फायदे का आधुनिक उदाहरण बंगाल में यूरोपीय स्थापनाओं का तीव्र विकास है, क्योंकि मराठा आक्रमण के समय सभी व्यापारी फोर्ट विलियम तथा चंदा नगर के दुर्गो में ही स्वयं को सुरक्षित महसूस करते थे। [63] दुर्ग से प्राप्त राजस्व के मुख्य स्त्रोत थे शुल्क (चुंगी), दंड (जुर्माने), सूत्र (सूत निर्माण), तेल, धृत, क्षार, (चीनी गुड़), सौवर्णिक (सोना), द्यूत, वास्तुक (भवन) कारुशिल्पगण (बढ़ई तथा शिल्पियों की श्रेणियाँ), देवता (मंदिर) और द्वार बाहिरिक (नट, नर्त्तकों आदि से प्रवेश कर) आदि, [64]

इस समय व्यापारी राज्य की रीढ़ माने गये तथा तदनुसार सम्मानित किये गये। [65] सभी नगर व्यापारिक केद्रों के रुप में उभर कर सामने आते हैं जो धनी व्यापारियों से अटे पड़े हैं। [66] बुद्ध के समकालीन कोसल नरेश प्रसेनजित ने अपने राज्य में बड़े व्यापारियों की कमी महसूस करके अपने मित्र मगध नरेश बिम्बिसार से एक धनी व्यापारी भेजने के लिए कहा। तब मगध नरेश बिम्बिसार ने धनंजय नामक व्यापारी को भेजा जिसने श्रावस्ती से सात योजन की दूरी पर साकेत नामक नगर बसाया। व्यापारियों की प्रभावशाली स्थिति को ध्यान में रखते हुए नरेश इनके साथ मित्रवत व्यवहार करते थे, विनयपिटक के अनुसार बिम्बिसार राजगृह के एक व्यापारी के न्यौते पर भगवान बुद्ध एवं उनके शिष्यों के साथ भोजन करने राजगृह गया था। निःसन्देह इसका कारण व्यापारियों द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत करने में सहयोग करना था। [67] इस समय के व्यापारियों के व्यापारिक समझ को दर्शाने के लिए बौद्ध ग्रंथ दीधनिकाय का निम्न अवतरण अत्युपयुक्त है – 'एक बुद्धिमान और नैतिक पुरुष पहाड़ी की चोटी पर आग की तरह चमकता है, वह उस मधुमक्खी की तरह पैसा बनाता है जो फूलों को हानि नहीं पहुँचाता, वह धीरे–धीरे बॉबी की तरह धन संचय करता है। इस प्रकार धन कमाकर व्यक्ति अपने परिवार की सहायता कर सकता है और अपने मित्रों से घनिष्ठ संबंध रख सकता है, उसे अपना धन चार भागों में बांटना चाहिए, एक भाग अपने खर्च के लिए, दो भाग व्यापार को बढ़ाने के लिए और चौथा भाग अपने आपत्तिकाल के लिए। [68]

'शुल्क' शब्द का उल्लेख अर्थववेद में भी मिलता है, संस्कृत शब्दकोषों तथा स्मृतिकारों के अनुसार शुल्क व्यापारियों द्वारा चुकाया जाने वाला कर है। [69] मनु इसे व्यापारियों द्वारा दिया जाने वाला कर राशि तो आपस्तम्ब इसे वाणिज्य वस्तु पर लगने वाला कर कहते हैं, [70] अर्थशास्त्र में जहाँ एक ओर शुल्क को 'दुर्ग' के अन्तर्गत आय के स्त्रोत के रुप में स्वीकार किया गया है वहीं दूसरी ओर शुल्क को 'वर्त्तनी; तरदेय; गुल्मदेय; आतिवाहनिक' आदि शुल्कों से भिन्न बताया गया है। अतः घोषाल महोदय के अनुसार शुल्क दुर्ग के भीतर वसूला जाता था। इस कारण यह बाहर वसूले जाने वाले शुल्कों से भिन्न था, कौटिल्य नगर के बाहर चुंगी अधिकारी के द्वारा शुल्क वसूलने का निर्देश देते हैं, वहीं एक अन्य अध्याय में 'नवाध्यक्ष' को बंदरगाह पर रुकने वाले जहाजों से शुल्क लेने का निर्देश देते हैं, निष्कर्षतः शुल्क व्यापार में राजकीय हिस्सा था जो राज्य नगर अथवा तट पर कहीं भी वसूल सकता है। [71]

राजा स्थायी रुप से वाणिज्यकर विभाग रखता था। नारद ने कर संबंधी नियमों को प्रतिपादित किया। प्रत्येक व्यापारी से निर्धारित कर देने की अपेक्षा की गई,परंतु यदि कोई व्यापारी निर्धारित कर देने से बचने की कोशिश करे तो उससे कर का आठ गुना दंड वसूला जाना चाहिए।[72] अर्थशास्त्र के अनुसार तस्करी एवं माल के मूल्य के संबंध में असत्य विवरण देना न सिर्फ खतरनाक था, बल्कि अत्यंत कठिन

भी था, क्योंकि काफिले में कम से कम एक व्यापारी ऐसा होता था जो राज्य गुप्तचर सेवा से अच्छा वेतन प्राप्त करता था तथा वह काफिले संबंधी सूचना अग्रिम रुप से भेज देता था, इसलिए अधिकारी व्यापारियों के विवरण देने के पूर्व ही यह बताने की स्थिति में होते थे कि सार्थ में किस प्रकार का वस्तु है। [73]

शुल्क के अलावा भी कई अन्य कर थे, प्रवेश्य (विदेशों से आनेवाले सामान पर लगने वाला कर) द्वारदेय (जो नगर में आनेवाले विविध सामानों पर, शुल्क की राशि के पंचमाश की दर से फाटक पर लगने वाला कर) वर्तनी (सड़क कर या सीमा कर) भी याज्ञवल्क्य स्मृति में उल्लिखित है। 'तरपण्य' घाटकर है तथा 'तरदेय' संभवतः समान शुल्क है। 'आतिवाहिनिक' एक परिवहन शुल्क जो नदी और समुद्र के तट पर लिया जाता था और यह अतिरिक्त शुल्क जैसा लगता था, [74]

'गुल्मदेय' कौटिल्य के अनुसार उन वाणिकों द्वारा देय होता था जो विदेशी वस्तुओं का कारोबार करते थे, 'गुल्म' का तात्पर्य ऐसे सैनिक दल अथवा रक्षा टुकड़ी से है जो किला, व्यापारिक मार्गो आदि के सुरक्षा के लिए 'गौल्मिक' के नेतृत्व में तैनात रहती थी, संभवतः इन्हीं के खर्चों की पूर्ति के लिए 'गुल्मदेय' वसूला जाता था, [75] इसके अतिरिक्त राज्य गणिकाओं से भी माह में दो दिन की आय कर के रुप में लेता था।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, मौर्यो के ग्राम प्रशासन का मुख्य प्रयोजन राजस्व का उचित निर्धारण और वसूली था, राज्य का प्रधान अधिकारी 'समाहर्ता' प्रमुख रुप से राजस्व निर्धारण के लिए उत्तरदायी था, इस काम में उसकी सहायता 'स्थानीय और गोप' करते थे जो राजस्व निर्धारण के लिए विस्तृत आंकड़े एकत्र करते थे। [76] राज्य की बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियों और शहरी बस्तियों की आवश्यकता के फलस्वरुप नगर प्रशासन तंत्र का निर्माण हुआ। यह ऐसी चीज थी जिसके विषय मे पूर्व मौर्य काल में कुछ भी सुना नहीं गया था। मेगास्थनिज के नगर प्रशासन के वर्णन से स्पष्ट है कि 'नागरक' अपनी समितियों के साथ शहरी समस्याओं के निदान के साथ–साथ कराधान के लिए भी कार्य करता था। [77]

प्राचीन काल में कर प्रणाली के विकास की दृष्टि से मौर्यकाल का युगांतकारी महत्व है, कौटिल्य ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, किसानों और कारीगरों तथा व्यापारियों से वसूले जाने वाले अनेक नये करों का उल्लेख किया है। स्वभावतः ऐसी कर प्रणाली, कराधान, करों की वसूली तथा वसूल की गई जिंसों को रखने और राशियों को जमा करने के बजाय कराधान को अधिक महत्व दिया गया है। राज्य को राजकोष तथा राजभंडार के मुख्य अधिकारी 'सन्निधाता' से होनेवाली हानि की अपेक्षा कराधान व्यवस्था के मुख्य अधिकारी 'समाहर्ता' से होनेवाली हानि को अधिक गंभीर माना गया है। सच तो यह है कि कराधान तंत्र अपने विकसित रुप में सर्वप्रथम मौर्य काल में ही दिख पड़ता है। [78] स्पष्टतया नगरीकरण की प्रक्रिया का पूर्ण विकास होने के साथ ही कर एवं कराधान तंत्र भी पूर्णरुपेण विकसित नजर आने लगे। इसी समय भौतिक जीवन के पूर्णता को प्रदर्शित करते हुए कौटिल्य कहते हैं कि 'धन और केवल धन महत्वपूर्ण है, मानव की प्रत्येक इच्छा एवं पुण्य को प्राप्त करने के लिए धन अत्यावश्यक है'। [79]

संदर्भिका :

1. रोमिला थापर, 1999, अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन, ग्रंथ शिल्पी (इंडिया) प्रा0लि0, दिल्ली, पृ0 4

2. राधा कृष्ण चौधरी, 2001, प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, भारती भवन, पटना, पृ0सं0–77

3. द्विजेन्द्र नारायण झा एवं कृष्ण मोहन श्रीमाली (सं0) गोविंद प्रसाद उपाध्याय, 1995, प्राचीन भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पृ0सं0 138

4. राधाकृष्ण चौधरी, प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृति इतिहास, पूर्वोद्धृत पृ0सं0 –77

5. उमा चक्रवर्ती, 2001, प्राचीन भारत, प्रकाशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ0सं0 –34

6. रोमिला थापर, अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 –4

7. रोमिला थापर, 2001,भारत का इतिहास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0सं0–45

8. रोमिला थापर, 2001,प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, ग्रंथ शिल्पी प्रा0 लि0, नई दिल्ली, पृ0 सं0 –43

9. विजय कुमार ठाकुर, 1981, अरबनाइजेशन इन एन्शियेंट इंडिया, अभिनव पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ0 सं0 – 61–62

10. रामशरण शर्मा, 1995,प्राचीन भारत के नगरों का पतन, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, पृ0 17–18

11. के.सी.श्रीवास्तव, 2004–05, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, यूनाईटेड बुक डिपो, इलाहाबाद, पृ0सं0 208

12. विजय कुमार ठाकुर, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0–62

13. रामशरण शर्मा, 2000, प्रारंभिक भारत का आर्थिक और सामाजिक इतिहास, हिन्दी माध्यम क्रियान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, पृ0सं0 – 182

14. उपरिवत् पृ0सं0 141

15. विजय कुमार ठाकुर, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 –62

16. उपरिवत, पृ0सं0– 63

17. रामशरण शर्मा, प्रारंभिक भारत का आर्थिक और सामाजिक इतिहास, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 144

18. विजय कुमार ठाकुर, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 65

19. रामशरण शर्मा, 1996, प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थायें, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली,, पृ0सं0–346

20. डॉ. आनन्द शंकर सिंह, 1995,भारत की प्राचीन मुद्रायें, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पृ0सं0 –19

21. रामशरण शर्मा, प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थायें, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 –346

22. उपरिवत्– पृ0सं0 – 347

23. उपरिवत्– पृ0सं0 – 349

24. ओम प्रकाश, 2001, प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास, द्वितीय खंड, विश्व प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0सं0 –702

25. पी.एन.चोपड़ा, बी.एन.पुरी, एम.एन.दास, भारत का सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास, प्राचीन भारत, मैकमिलन इंडिया लि0, दिल्ली, 1998, पृ0सं0 –59

26. ओम प्रकाश, पूर्वोद्धृत – पृ0सं0 – 102

27. राधाकृष्ण चौधरी, प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास, जानकी प्रकाशन, पटना, 1986, पृ0सं0 –207

28. रामशरण शर्मा, प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थायें, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 –123

29. दामोदर धर्मानन्द कोशाम्बी, प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0सं0–179

30. ओम प्रकाश, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 21

31. डॉ. जयशंकर मिश्र, 1974, प्राचीन भारत का सामजिक इतिहास, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, पृ0सं0–485

32. प्रकाश चरन प्रसाद, 1977,फॉरेन ट्रेड एंड कामर्स इन एन्शियेंट इंडिया, अभिनव पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ0सं0 –14

33. सचिन्द्र कुमार मैती, 1970, इकॉनामिक लाइफ इन नार्दन इंडिया इन द गुप्त पीरियड, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली, पृ0सं0 –74

34. ओम प्रकाश, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 77

35. सचिन्द्र कुमार मैती, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 74–75

36. उपरिवत, पृ0सं0 –75

37. पी0एन0चोपड़ा, बी.एन.पुरी, एम.एन.दास, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 79

38. सचिन्द्र कुमार मैती, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 75–76

39. उपरिवत्, पृ0सं0–77

40. रमेशचन्द्र मजूमदार, हेमचन्द्र राय चौधरी, कालिकिंकर दत्त 2000, भारत का वृहत इतिहास, प्राचीन भारत, मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, दिल्ली, पृ0सं0–61

41. सचिन्द्र कुमार मैती, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 78

42. ओम प्रकाश, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 77

43. सचिन्द्र कुमार मैती, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 77

44. ओम प्रकाश, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 79

45. रोमिला थापर, अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन, पूर्वोद्धृत पृ0सं0 –64

46. सचिन्द्र कुमार मैती, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 79

47. उपरिवत्, पृ0सं0 – 81–82

48. ओम प्रकाश, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 80

49. उपरिवत् , पृ0सं0 – 80

50. रामशरण शर्मा, प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थायें, पूर्वोद्धृत– 349

51. ओम प्रकाश, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 80

52. उपरिवत् , पृ0सं0 –81

53. राधाकृष्ण चौधरी, प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास, पृ0सं0 –211

54. रोमिला थापर, अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 64

55. ओम प्रकाश, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 80

56. उपरिवत, पृ0सं0 – 82,

57. रोमिला थापर, अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 64

58. उपरिवत् , पृ0सं0 – 65

59. उपरिवत् , पृ0सं0 – 65

60. उपरिवत् , पृ0सं0 – 65

61. प्रकाश चरन प्रसाद् , पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 14

62. प्रो0 के0ए0नीलकंठ शास्त्री (सं0, लेखक) नंद मौर्य युगीन भारत, मोतीलाल, बनारसी दास, दिल्ली, 1969, पृ0सं0 –200

63. सचिन्द्र कुमार मैती, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 77

64. प्रो0 के0ए0नीलकंठ शास्त्री, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 200

65. प्रकाशचरन प्रसाद, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 28

66. उपरिवत्, पृ0सं0 – 14

67. प्रकाश चरन प्रसाद, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 28

68. रोमिला थापर, अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 74

69. सचिन्द्र कुमार मैती, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 28

70. राधाकृष्ण चौधरी, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 214

71. सचिन्द्र कुमार मैती, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 90

72. उपरिवत्, पृ0सं0 – 91

73. डी.डी.कोसांबी, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 195

74. राधाकृष्ण चौधरी, प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 – 215

75. उपरिवत् पृ0सं0 –215

76. रामशरण शर्मा, प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थायें, पूर्वोद्धृत, पृ0सं0 –215

77. उपरिवत्, पृ0सं0–358,

78. उपरिवत्– पृ0सं0–359

79. संतोष कुमार दास, द इकॉनॉमिक हिस्ट्री ऑफ,एनशियेंट इंडिया, वोहरा पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इलाहाबाद, 1980, पृ0सं0 –107